खण्ड १—अंक ४

२२ मार्च, १९५७ (शक्रवार)

लोक-सभा

वाद-विवाद

(भाग १—प्रश्नोत्तर)

1st Lok Sabha

(XV Session)

सत्यमेव जयते

(खण्ड १ में अंक १ से अंक ८ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,

नई दिल्ली

चार आने (देश में) एक शिलिंग (विदेश में)

62८ LSD

विषय-सूची

(खंड १—अंक १ से ८—१९ से २८ मार्च, १९५७)

पृष्ठ

अंक १—मंगलवार, १९ मार्च, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १,२, ४, ५, ७, ८, ३, ६ और ९ . १-१२

प्रश्न का लिखित उत्तर—

अतारांकित प्रश्न संख्या १ . १२

दैनिक संक्षेपिका १३

अंक २—बुधवार, २० मार्च, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर— . .

तारांकित प्रश्न संख्या ११,१२, १३, १४, १६, १७, १९, २०, २१, २२, २३, २४, २६, २७, २८, २९ और १५ . . . १४–२९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १८ और २५ . . . . २९–३०

अतारांकित प्रश्न संख्या २, ३ और ४ . . . . ३०

दैनिक संक्षेपिका ३१

अंक ३—गुरुवार, २१ मार्च, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३० से ३२, ३४ से ३७, ३९ से ४५ और ३३ . ३२–४७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३८ . . . . . ४७-४८

अतारांकित प्रश्न संख्या ५ से १३ . . . ४८–५०

अतारांकित प्रश्न संख्या ७९ के उत्तर में शुद्धि . ५१

दैनिक संक्षेपिका ५२

अंक ४—शुक्रवार, २२ मार्च, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४६, ४७, ५० से ५२, ५४, ४९ और ५३ . . ५३–६३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४८ और ५३ . . . ६४

अतारांकित प्रश्न संख्या १४ से १७ . . . ६४–६५

दनिक संक्षेपिका . . . ६६

अंक ५--सोमवार, २५ मार्च, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ५६, ५९, ६० और ६२ से ७२ . . ६७–८२

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ५७ और ६१ ८२–८३

अतारांकित प्रश्न संख्या १८ से २५ ८३–८८

तारांकित प्रश्न संख्या ५९ के उत्तर में शुद्धि . . . ८९

दैनिक संक्षेपिका ९०

अंक ६--मंगलवार, २६ मार्च, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ७३ से ७९, ८१, ८२, ८४ से ९६ . . ९१–११५

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १ . . . . . ११५–१६

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ८० और ८३ . . . . ११६–१७

अतारांकित प्रश्न संख्या २६ से ४५ और ४५-क . . ११७–२४

तारांकित प्रश्न संख्या १२५७ के उत्तर में शुद्धि . . . १२४

दैनिक संक्षेपिका १२५–२६

अंक ७--बुधवार, २७ मार्च, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ९८, ९८-क, १०० से १०६, १०८ से ११०, १११, ११२, ११४ और ११५ . . . . . १२७–४७

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १०७, ११०-क और ११३ . . . १४७–४८

अतारांकित प्रश्न संख्या ४७ से ५२ . . . १४८–५०

अतारांकित प्रश्न संख्या २२७३ के उत्तर में शुद्धि . . . १५०

दैनिक संक्षेपिका १५१

अंक ८--गुरुवार, २८ मार्च, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ११६ से १२१, १२३ से १२५, १२७ से १२९, १३१ और १३२ . . . . १५२–६८

अल्प सूचना प्रश्न संख्या २ . . . . . १६८–७०

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १२६ और १३० . . . १७०–७१

अतारांकित प्रश्न संख्या ५३ से ५७ . . १७१–७३

दैनिक संक्षेपिका १७४

सारांश १७५

अनुक्रमणिका . . . . . (१–४८)

टिप्पणी: किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

लोक-सभा

शुक्रवार, २२ मार्च, १९५७

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

भारत में पुर्तगाली बस्तियां

+

†*४६. { **श्री कृष्णाचार्य जोशी** :
श्री कामत :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोआ तथा अन्य भारत स्थित पुर्तगाली बस्तियों को भारत सरकार को शान्तिपूर्ण ढंग से हस्तान्तरित कर देने के सम्बन्ध में पुर्तगाली सरकार द्वारा अपनाई गई नीति में अब परिवर्तन हुआ है; और

(ख) क्या मिस्री राजदूतावास ने, जो कि गोआ में भारतीय हितों की देख भाल करता है, गोआ के जेलों में बन्द भारतीय बन्दियों की दशा के सम्बन्ध में कोई प्रतिवेदन भेजा है ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) जी, नहीं।

(ख) नई दिल्ली स्थित मिस्री राजदूतावास के प्रथम सचिव इन बस्तियों में भारतीय हितों की रक्षा करने के सम्बन्ध में जनवरी, १९५७ में गोआ, दमन और दीव गये थे। उन्होंने एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें गोआ के जेलों में बन्द भारतीय बन्दियों की दशा सम्बन्धी जानकारी भी है।

गोआ के जेलों में बन्द अथवा गोआ में नजरबन्द ४२ भारतीय बन्दियों में से ३४ को पुर्तगाली प्राधिकारियों द्वारा दी गई, सामान्य सर्वक्षमा के आधार पर जनवरी, १९५७ में छोड़ दिया गया।

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी** : ऐसी गतिरोध की स्थिति कब तक रहेगी, और सरकार इस समस्या को हल करने के लिये कौन सी प्रभावकारी कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : मैं कह नहीं सकता कि यह स्थिति कब तक जारी रहेगी।

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या मिस्री राजदूतावास ने वहाँ के लोगों की सामान्य अवस्था के सम्बन्ध में कोई प्रतिवेदन भेजा है ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : अपने उत्तर में मैंने बताया है कि उसने वहाँ की अवस्था के बारे में एक पूर्ण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री कामत** : भाग (ख) के उत्तर से उत्पन्न होने वाला यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या यह सच नहीं है कि गोआ में भारतीय बन्दियों की दशा और उनके प्रति किये जाने वाले व्यवहार के सम्बन्ध में मिस्री राजदूतावास से जो प्रतिवेदन प्राप्त होते रहे हैं, वे उन तथ्यों से भिन्न हैं जिन्हें परसों श्री टी० के० चौधरी ने सभा में प्रस्तुत किया था ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : मिस्री राजदूतावास के प्रथम सचिव ने पूछ-ताछ की थी और उसके परिणाम स्वरूप प्राप्त हुई जानकारी के आधार पर ही उसने प्रतिवेदन भेजा है ।

†**श्री कामत** : क्या मिस्री राजदूतावास के प्रथम सचिव ने सरकार से अभ्यावेदन किया है कि वहाँ के पुर्तगाली अधिकारियों ने गोआ में बन्द बन्दियों के सम्बन्ध में वास्तविक जानकारी देने वाले वास्तविक लोगों तक उन्हें पहुँचने नहीं दिया ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : उन्होंने विस्तृत रूप से पूछ-ताछ की है और प्रतिवेदन भी सविस्तार है ।

†**श्री कामत** : क्या वह प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखा जायेगा ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : जी, नहीं । संभवतः, वैसा नहीं किया जा सकेगा ।

†**श्री ब० स० मूर्त्ति** : क्या श्री त्रि० कु० चौधरी द्वारा बताये गये तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इस समस्या के सम्बन्ध में कोई नया उपाय अपनाने के सम्बन्ध में सरकार की कोई योजना है ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : यह तो एक अत्यन्त सामान्य प्रश्न है; मेरे लिये यह कठिन है कि मैं इसका एक अनुपूरक प्रश्न के रूप में उत्तर दूं, क्योंकि यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण मामला है ।

†**श्री ब० स० मूर्त्ति** : बात यह है कि इस सभा के एक माननीय सदस्य ने अपने व्यक्तिगत अनुभव बताये हैं । इसलिये मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार, इस दृष्टि से कि क्या गोआ में बन्द भारतीय बन्दियों की कुछ एक कठिनाईयां दूर की जा सकती हैं और उन्हें अच्छी सुविधायें दी जा सकती हैं, प्रश्न के इस पक्ष पर विचार कर रही है ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : मिस्री राजदूतावास के प्रथम सचिव ने गोआ के गवर्नर-जनरल को वहाँ के भारतीय बन्दियों की कठिनाईयों तथा शिकायतों के सम्बन्ध में लिख दिया है ।

सैलम में निम्न उदग्र भट्टियां[1]

†*४७. **श्री सें० वें० रामस्वामी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सैलम में आपिद्यम लोहा (पिग आयरन) बनाने के लिये निम्न उदग्र भट्टियों के निर्माण सम्बन्धी प्रस्थापनाओं पर विचार किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो उस मामले की इस समय क्या स्थिति है; और

(ग) क्या सैलम के लोह अयस्क को जापान भेजने के सम्बन्ध में कोई प्रस्थापना है ?

†**भारी उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) इस समय सैलम में निम्न उदग्र भट्टियां बनाने के सम्बन्ध में कोई भी प्रस्थापना विचाराधीन नहीं है । परन्तु सैलम के लोह अयस्क से कोयम्बटूर में प्रतिवर्ष १५,००० टन आपिद्यम लोहे के उत्पादन के सम्बन्ध में एक ऐसी योजना मंजूर कर दी गई है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Low Shaft Furnaces.

(ग) निर्यात के प्रयोजन के लिये, सैलम के लोह अयस्क तथा देश के अन्य भागों के लोह अयस्क में कोई भेद नहीं रखा जाता; जापान को लोह अयस्क भेजने की प्रस्थापनायें भारत सरकार तथा जापान सरकार के विचाराधीन हैं।

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में बताई गई योजना, सरकारी क्षेत्र में है या गैर-सरकारी क्षेत्र में ?

क्या गैर-सरकारी क्षेत्र में संयंत्र की क्षमता के बारे में कोई उच्चतम सीमा निर्धारित की जा रही है, और यदि हाँ, तो वह सीमा क्या है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : यह संयंत्र गैर-सरकारी क्षेत्र में है और उसकी सीमा १५,००० टन प्रतिवर्ष है।

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : इस संयंत्र पर कितनी पूंजी लगेगी और उसके कब तक चालू हो जाने की संभावना है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : संयंत्र पर लगभग ३० लाख रुपये की लागत आयेगी, और यह संभवतः दो या तीन वर्षों में चालू हो जायेगा।

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : यदि इस संयंत्र को कोयम्बटूर के स्थान पर सैलम में स्थापित करने के लिये अनुज्ञप्ति की मांग की जाये तो क्या अनुज्ञप्ति दी जायेगी ?

†**श्री मनुभाई शाह** : ऐसी प्रार्थना आने पर उस पर विचार किया जायेगा।

†**श्री बोस** : क्या लोह अयस्क का इस समय सैलम में उत्पादन हो रहा है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : वास्तव में सैलम के लोह अयस्क निक्षेपों को किसी बड़े पैमाने पर खोदना अभी प्रारम्भ नहीं हुआ है। अधिकतर खुदाई मैसूर के संडूर निक्षेपों और मध्य प्रदेश के निक्षेपों की की जा रही है।

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : गैर-सरकारी क्षेत्र में लोह अयस्क के खनन के लिये कौनसा अभिकरण नियुक्त किया जायेगा ? अथवा, क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करेगी ?

†**श्री मनुभाई शाह** : यह विभिन्न प्रस्थापनाओं पर निर्भर करता है। मुख्य खनिजों के सम्बन्ध में इस समय सामान्य नीति यह है कि उनमें से अधिकतर सरकारी क्षेत्र में ही होंगे, परन्तु विभिन्न प्रस्थापनाओं के बारे में उनके अपने गुणावगुणों के आधार पर निर्णय किया जाता है।

†**श्री हेडा** : हम जापान अथवा अन्य देशों को कितना लोह अयस्क भेज रहे हैं ? क्या समस्त संसाधनों से अयस्क निकालने के लिये प्रस्तावित संयंत्र पर्याप्त होगा अथवा और संयंत्रों की आवश्यकता होगी ?

†**श्री मनुभाई शाह** : यह संयंत्र लोह अयस्क के उत्पादन के लिये नहीं हैं; यह तो लोह अयस्क को अविद्यम लोहे के रूप में बदलने के लिये है। जहां तक लोह अयस्क के विभिन्न देशों को भेजे जाने के सम्बन्ध है १९५३ में हम ११ लाख टन भेज रहे थे; गत वर्ष यह बढ़कर लगभग १८ लाख टन हो गया था।

---

†मूल अंग्रेजी में

हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी

†*५०. **श्री कामत** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली की हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी के भविष्य के सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो वह क्या है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) और (ख). फैक्टरी को भविष्य में किस प्रकार चलाया जाय इस प्रश्न पर अभी विचार किया जा रहा है और शीघ्र ही निर्णय होने की आशा है। १६ अगस्त, १९५५ के बाद से अन्तरिम कार्यवाही के रूप में यह फैक्टरी सरकार द्वारा चलाई जा रही है और इसके परिणामों को असंतोषप्रद नहीं माना गया है।

†**श्री कामत** : १९४८ या शायद १९४९ में फैक्टरी का जन्म होने के बाद से अब तक सार्वजनिक कोष, अथवा गरीब करदाता को कुल कितनी हानि हुई है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : वाद-विवाद और विभिन्न प्रश्नों के उत्तर दिये जाने के दौरान में इस सभा में इस प्रश्न पर चर्चा की जा चुकी है। यदि अलग से प्रश्न पूछा जाये तो ये आंकड़े एकत्र कर इसे बताया जा सकता है।

†**श्री कामत** : क्या हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी ने आज तक हिन्दुस्तान में एक भी मकान का उत्पादन अथवा निर्माण किया है ; और यदि हां, तो कहां और कितने ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : यह फैक्टरी इस समय पूर्व सम्पीड़ित और सांचे ढली कंक्रीट[२] तथा लकड़ी का सामान बनाने का काम कर रही है। इरादा सम्पूर्ण मकान बनाने का नहीं वरन् उनके हिस्से बनाने का है।

†**श्री वे० प० नायर** : मंत्री महोदय ने कहा है कि अगस्त, १९५५ के बाद से यह फैक्टरी सरकार द्वारा चलाई जा रही है और इसके परिणाम असंतोषप्रद नहीं हैं। क्या सरकार को यह आशा है कि आगे चल कर ये परिणाम निश्चित रूप से संतोषप्रद हो जायेंगे ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : मेरा ऐसा ख्याल तो है। इसका सम्पूर्ण चित्र आपके सामने रखने के लिये मैं बता दूं कि इस अवधि के भीतर फैक्टरी के पूर्व-सम्पीड़ित और सांचे ढली कंक्रीट तैयार करने वाले विभाग ने १३.५४ लाख रुपये का सामान तैयार किया, जब कि पिछले प्रबन्ध के अधीन इसी मूल्य के आर्डर २ वर्ष ४ महीनों में पूरे किये जा सके थे। लकड़ी का सामान तैयार करने वाले विभाग ने इस वर्ष में १४ लाख रुपये के आर्डर पूरे किये हैं और इसी मूल्य के आदेश हाथ में हैं, जिसका अर्थ यह है कि मार्च, १९५७ के अन्त तक फैक्टरी इन्हीं को पूरा करने में व्यस्त रहेगी। फैक्टरी के झागदार कंक्रीट[३] तैयार करने वाले विभाग ने उस वर्ष में २.३ लाख रुपये के आर्डर पूरे किये जब कि पिछले प्रबन्ध के अधीन के १.२३ लाख रुपयों के आर्डर २ वर्ष ४ महीनों में पूरे किये जा सके थे।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** : ये आर्डर, जो पूरे किये गये, सरकारी विभाग द्वारा दिये गये थे या वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों द्वारा ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : दोनों ने दिये थे।

---

† मूल अंग्रेजी में

[२] Pre-stressed and pre-cast concrete

[३] Foam concrete.

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** : क्या तैयार किये गये इस सामान का उत्पादन-व्यय किसी वाणिज्यिक प्रतिष्ठान में होने वाले व्यय का ठीक दूना था ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : यह ग़लत है। यह किसी वाणिज्यिक प्रतिष्ठान में होने वाले व्यय के लगभग बराबर ही पड़ता है ।

†**श्री कामत** : क्या यह सच है कि मेरे प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया है वह १९४९ में, जब कि दिल्ली में इस फैक्टरी की स्थापना की गई थी, प्रभारी मंत्री और प्रधान मंत्री द्वारा दिये गये इस वक्तव्य के, कि दिल्ली तथा अन्य स्थानों में मकान बनाने का इरादा है, प्रतिकूल है, और यदि हां, तो यह इरादा कब बदला गया था ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : यह एक ऐसी ऐतिहासिक बात है जिसके सम्बन्ध में श्री कामत को काफी जानकारी है। वह इसके बारे में काफ़ी कुछ कहते रहे हैं . . . .

†**श्री कामत** : आप उस समय यहां नहीं थे ।

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : म उस समय यहां नहीं था। न वे ही उस पूरी अवधि भर यहां थे ।

†**श्री कामत** : मैं यहीं था ।

†**सरदार स्वर्ण सिंह**: मैंने उस पूरी अवधि भर कहा है। परन्तु, इस प्रश्न पर अनेक बार चर्चा और विचार किया जा चुका है और यह समझाया जा चुका है कि शुरू में जो इरादा था, उसे क्यों पूरा नहीं किया जा सका ।

भूतपूर्व फ्रांसीसी बस्तियां

*५१. {**श्री कृष्णाचार्य जोशी** :
श्री वोडयार :

क्या **प्रधान मंत्री** १४ नवम्बर, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या ४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत की भूतपूर्व फ्रांसीसी बस्तियों को विधि अनुसार हस्तांतरण के अनुसमर्थन[४] का प्रश्न इस समय किस स्थिति में है ?

†**वदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : पांडिचेरी, कारीकल, येनाम और माही के फ्रांसीसी प्रतिष्ठानों की अभ्यर्पण संधि का, जिस पर २८ मई, १९५६ को हस्ताक्षर हुये थे, फ्रांस सरकार द्वारा अनुसमर्थन नहीं किया गया है। फ्रांसीसी संसद् द्वारा शीघ्र ही इस प्रश्न पर विचार किये जाने की आशा है; फ्रांसीसी सरकार द्वारा इस संधि का अनुसमर्थन किये जाने के बाद ही भारतीय संघ को इन प्रतिष्ठानों का विधि अनुसार हस्तांतरण होगा ।

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या सरकार का ध्यान समाचार पत्रों में प्रकाशित इस सूचना की ओर आकृष्ट किया गया है कि फ्रांस की संघ-सभा[६] ने इस संधि का अनुसमर्थन किये जाने के विरुद्ध मत दिया है ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : जी हां। हमें सूचना मिली है कि फ्रांस के संघ की परिषद्[७] को विधायिनी शक्तियां प्राप्त नहीं हैं। वह केवल परामर्शदात्री संस्था है ।

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या कोई नयी संधि करने के लिये कोई नया प्रस्ताव आया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में
[४]Ratification
[५]Treaty of Cession
Union Assembly. [७]Council of Union of France.

†**श्री अनिल कु० चण्दा** : यह प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि अभी तो स्थिति यह है कि फ्रांस की संसद् या तो उस संधि का अनुसमर्थन करे या अनुसमर्थन न करे। फ्रांस सरकार ने इस विषय में अभी आवश्यक कार्यवाही नहीं की है ।

†**श्री वोडयार** : क्या विलम्ब होने का कारण यह है कि फ्रांस पर अन्य राष्ट्रों द्वारा दबाव डाला जा रहा है ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : यह मैं कैसे बतला सकता हूं फ्रांस सरकार द्वारा देर क्यों हुई हैं?

†**श्री ब० स० मूर्त्ति** : पहले एक बार यह कहा गया था कि विधि-अनुसार हस्तांतरण तो सामान्य रूप में ही हो जाना है । अब मंत्री महोदय यह कह रहे हैं कि दुबारा चर्चा करनी पड़ेगी । क्या अन्तिम रूप से हस्तांतरण किये जाने के लिये अभी ऐसे कुछ विवाद-ग्रस्त प्रश्न शेष हैं जिन पर चर्चा की जानी है ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : यह प्रश्न संधि के अनुसमर्थन का है । अभी अनुसमर्थन नहीं किया गया है । पिछली बार हमने जब ऐसे प्रश्न का उत्तर दिया था उस समय कहा था कि फ्रांस सरकार से हमें यह सूचना मिली है कि वह जल्दी ही इस प्रश्न को लेने वाली है । दुर्भाग्यवश, अभी तक ऐसा नहीं किया गया है ।

†**श्री कामत** : भारत में सामान्य निर्वाचन प्रायः पूरे हो चुके हैं । क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय किया है कि फ्रांस और भारत द्वारा इस संधि का अनुसमर्थन किये जाने के तुरन्त बाद पांडिचेरी तथा अन्य भूतपूर्व फ्रांसीसी बस्तियों में निर्वाचन कराये जायें जिससे उन्हें संसद् में उचित प्रतिनिधित्व प्रदान किया जा सके ?

श्री अनिल कु० चन्दा : यह एक बिल्कुल काल्पनिक प्रश्न है । अनुसमर्थन अभी नहीं किया गया है ।

†**श्री कामत** : मैं समझा नहीं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अभी निर्णय नहीं किया गया है । अगला प्रश्न ।

निवेली लिग्नाइट परियोजना

†***५२. श्री सें० वें० रामस्वामी** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि निवेली लिग्नाइट परियोजना की इस समय क्या स्थिति है ?

†**उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : सरकार ने सिद्धान्त रूप में एकीकृत लिग्नाइट परियोजना[८] का अनुमोदन किया है और परियोजना के खनन सम्बन्धी अंश को, जिस पर लगभग १७ करोड़ रुपये का प्राक्कलित व्यय होगा, विशेष रूप से मंजूर कर लिया है । लगभग ५.५ करोड़ मूल्य के प्रचलित और विशेष प्रकार के उपकरणों की खरीद के लिये भी आर्डर दिये जा चुके हैं ।

पहली खदान काटने के लिये स्थान चुन लिया गया है और इस वर्ष मई में कार्य शुरू हो जाने की आशा है ।

केन्द्रीय जल-शक्ति आयोग ने २०,००० किलोवाट के एक ताप विद्युत् केन्द्र के लिये परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया है । उर्वरक एकक और कृत्रिम कोयले की ईंट बनाने वाले संयंत्र[९] की स्थापना सम्बन्धी कार्य किया जा रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

८ Integrated Lignite Project.

९ Briquetting Plant.

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : क्या यह सही है कि भूमिगत जलप्रवाह[10] पर पूरी तरह नियंत्रण कर लिया गया है और अब लिग्नाइट निकालने का कार्य आरम्भ किया जा सकता है ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : सभा में पहले ही कई बार यह बताया जा चुका है कि नल द्वारा निकाले जाने वाले पानी की मात्रा निर्धारित करके भूमिगत जल पर नियंत्रण करने के जो प्रयोग किये गये हैं वे सफल सिद्ध हुये हैं। अब हमारा उद्देश्य परियोजना के अन्तर्गत खनन के लिये मशीनें प्राप्त करना है ताकि खान के ऊपर के क्षेप्य-पदार्थ[11] को हटाने का काम तुरन्त आरम्भ किया जा सके।

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : जब तक भूमिगत जल प्रवाह पर पूरी तरह नियंत्रण नहीं कर लिया जाता अथवा यह आश्वासन नहीं मिल जाता कि यह सम्भव है तब तक मशीनरी मंगवाने से क्या लाभ है ? माननीय मंत्री से मैं यही आश्वासन चाहता हूं।

†**श्री सतीश चन्द्र** : जी, हां। प्रविधिक मंत्रणा यही है कि इस पर नियंत्रण किया जा सकता है।

†**श्री बोस** : क्या खनन का कार्य सम्भालने के लिये कोई योग्य खान इंजीनियर नियुक्त किया गया है ? और यदि हां, तो क्या वह कोई भारतीय है अथवा विदेशी ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : एक विदेशी उपक्रम के साथ बातचीत चल रही है और आशा है कि शीघ्र ही निर्णय हो जायेगा।

†**श्री च० रा० नरसिंहन्** : इस विषय में कौन कौन से देश प्रविधिक मंत्रणा दे रहे हैं ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : ब्रिटेन के पौवेल डफरियल टैक्नीकल सर्विसेज[12] की सहायता से, जिनकी सेवायें मूलतः टैक्नीकल सहयोग योजना के अन्तर्गत प्राप्त की गई थीं, भूमि के नीचे की समस्या का अनुसंधान किया गया था।

†**श्री च० रा० नरसिंहन्** : इसके पश्चात् किये जाने वाले कार्य के लिये कौन से देश टैक्नीकल सहायता देंगे ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : परियोजना के विभिन्न भागों के लिये टैक्नीकल परामर्शदाता होंगे। माननीय सदस्य किस भाग के बारे में कह रहे हैं ?

†**श्री वे० प० नायर** : माननीय मंत्री ने कहा कि परियोजना प्रतिवेदन पूरा हो चुका है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उस क्षेत्र में प्रयोगात्मक छिद्र[13] किये जा चुके हैं; और यदि हां, तो क्या वर्कला परियोजना क्षेत्र में प्रयोगात्मक छिद्र करने के लिये मशीनरी दी जा सकती है जहां मशीनरी न होने के कारण छिद्र नहीं किये गये हैं ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : मशीनरी केवल प्रयोगात्मक छिद्र करने के लिये नहीं है। इससे और काम लिया जाना है और खान का कार्य आरम्भ करने के लिये कई छिद्र करने पड़ेंगे।

†**श्री वे० प० नायर** : मेरा प्रश्न यह था कि क्या निवेली में प्रयोग की गई प्रयोगात्मक छिद्र करने की मशीनरी वर्कला में प्रयोगात्मक छिद्र करने के लिये दी जा सकती है जहां परियोजना स्वीकृत हो चुकी है।

†**श्री सतीश चन्द्र** : मैं ने बताया कि निवेली में ही इस मशीनरी की आवश्यकता होगी ; बल्कि उसी के लिये अधिक मशीनरी की आवश्यकता है क्योंकि वहां और भी छिद्र करने पड़ेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[10] Under-water pressure.

[11] Over-burden.

[12] Powell Dufferil Technical Services, U. K.

[13] Test drilling.

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : अब तक कितनी मशीनें प्राप्त की गई हैं ? क्या इस बात में कोई तथ्य है कि इस परियोजना की प्रगति की गति मन्द पड़ गई है ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : कुछ मास पूर्व प्रचलित मशीनरी का आर्डर भेजा गया था। आशा है कि प्रचलित प्रकार की समस्त उपलब्ध मशीनरी अप्रैल तक अथवा एक या दो मास तक उस स्थान पर पहुंचा दी जायेगी और खनन का वास्तविक कार्य मई में आरम्भ हो जायेगा।

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : मेरे प्रश्न का दूसरा भाग यह है कि लोगों का कहना है कि परियोजना की प्रगति की गति मंद पड़ गई है। क्या यह सच है ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : बल्कि इसकी गति बढ़ रही है।

पाकिस्तान में प्रदर्शन

†***५४. श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही मासों में जब कि सुरक्षा परिषद् में काश्मीर के प्रश्न पर चर्चा हो रही थी पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान में कई प्रदर्शन किये गये ;

(ख) क्या वहां भारतीय उच्चायुक्त के कार्यालय को कोई क्षति पहुंची ;

(ग) क्या सरकार ने पाकिस्तान सरकार को कोई विरोध पत्र भेजा था ; और

(घ) यदि हां, तो क्या अब तक कोई उत्तर प्राप्त हुआ है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) हैदराबाद में प्रदर्शनकारियों ने भारत के सहायक उच्चायुक्त के निवास स्थान पर पत्थर फेंके जिसके फलस्वरूप ऊपर की मंजिल की खिड़कियों के शीशे टूट गये। लाहौर में प्रदर्शनकारियों ने भारतीय उप उच्चायुक्त के निवास स्थान पर ध्वज दंड (पलैग मास्ट) पर पत्थर और जूते फेंके। एक पत्थर ड्योढ़ी (पोर्च) में लगी बत्ती पर पड़ा।

(ग) और (घ). भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार के पास प्रदर्शन का कड़ा विरोध किया है। पाकिस्तान सरकार से अभी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या प्रदर्शनकारियों को काबू में लाने के लिये पुलिस तैनात की गई थी ; और यदि हां, तो क्या वह स्थिति को काबू में लाने में सफल रही ?

†**श्री सादत अली खां** : कुछ स्थानों पर पुलिस ने स्थिति पर काबू पा लिया परन्तु हैदराबाद में प्रदर्शनकारियों को रोकने का न तो पुलिस ने और न ही असैनिक प्राधिकारियों ने प्रयत्न किया।

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या पाकिस्तानी कर्मचारी उस स्वागत समारोह में आ थे जो हमारे उच्चायुक्त ने आयोजित किया था ?

†**श्री सादत अली खां** : नहीं, श्रीमान्।

†**श्री कामत** : क्या सभा-सचिव यह बता सकते हैं कि क्या पाकिस्तान सरकार ने उस उपबन्ध का जो दोनों देशों में शत्रुतापूर्ण अथवा युद्ध का प्रचार न करने के बारे में अप्रैल, १९५० के

---

†मूल अंग्रेजी में।

नेहरू-लियाकत अली करार में शामिल किया गया था, प्रत्याख्यान कर दिया है अथवा पाकिस्तान उसकी उपेक्षा कर रहा है ?

†**श्री सादत अली खां** : पाकिस्तान सरकार ने उस समझौते का परित्याग नहीं किया है अर्थात् वह समझौता ज्यों का त्यों ही है ।

†**श्री कामत** : इस समझौते के प्रति भारत सरकार का क्या व्यवहार है ?

†**श्री सादत अली खां** : हम अब भी उस समझौते का समर्थन करते हैं ।

†**श्री कामत** : क्या पाकिस्तान सरकार ने कभी भारत से इस समझौते के बारे में अपना रवैया जाहिर किया है ? उन्होंने इसका अंशतः प्रत्याख्यान किया है या पूर्णतः ?

†**श्री सादत अली खां** : उन्होंने समझौते का प्रत्याख्यान नहीं किया है ।

श्री भक्त दर्शन : क्या गवर्नमेंट के ध्यान में यह बात आई है कि पाकिस्तान में आये दिन ये जो भद्दे प्रदर्शन होते रहते हैं, उन से भारतीय जनता में बहुत बुरी प्रतिक्रिया हो रही है और असन्तोष फैल रहा है ? क्या इसकी ओर पाकिस्तान का ध्यान आकर्षित किया गया है और क्या उसका कोई प्रभाव पड़ा है ?

श्री सादत अली खां : ज़ाहिर है कि पाकिस्तान में जो इस किस्म की हरकतें होती हैं, इनका बहुत बुरा असर होता है । पाकिस्तान गवर्नमेंट उस पर तवज्जह करे या न करे, यह उसका अपना काम है ।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** : पाकिस्तान में जो काश्मीर आन्दोलन चल रहा है उसके कारण बहुत से पाकिस्तानी राष्ट्रजन भारत आने लगे हैं और पंजाब में आये दिन गिरफ्तारियां होती हैं ; क्या सरकार ने इसे रोकने के लिये कोई कार्यवाही की है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : इस प्रश्न से यह कैसे उत्पन्न होता है ?

†**श्री सादत अली खां** : इसके लिये पूर्व सूचना दी जानी चाहिये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह पूर्व सूचना चाहते हैं ।

†**श्री कामत** : ८ अप्रैल, १९५० के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच मंत्रियों अथवा अन्य सरकारी पदाधिकारियों के स्तर पर जो बातचीत हुई है, क्या उन में कभी उस समझौते की भी चर्चा हुई थी ; और यदि हां, तो इसके बारे में दोनों सरकारों का क्या रवैया रहा ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह प्रश्न कैसे उत्पन्न होता है ?

†**श्री कामत** : क्योंकि शत्रुतापूर्ण प्रदर्शन तथा प्रचार हो रहा है । आपने पहले प्रश्न की स्वीकृति दे दी थी । यह उस प्रश्न के परिणामस्वरूप उत्पन्न होता है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : परन्तु मैं असंगत प्रश्नों की अनुमति नहीं दे सकता । मैं ने उत्सुकता से एक दो प्रश्नों की अनुमति दे दी थी ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**अध्यक्ष महोदय :** श्री त० ब० विठ्ठल राव । अनुपस्थित प्रश्न सूची समाप्त हो गई है । अब मैं पुनः अनुपस्थित सदस्यों के नाम लेता हूं । श्री त० ब० विट्ठलराव, श्री अ० क० गोपालन, श्री त० ब० विठ्ठलराव, श्री त० ब० विठ्ठलराव ।

नारियल जटा उद्योग

†**श्री ब० स० मुर्त्ति :** मैं प्रार्थना करता हूं कि श्री अ० क० गोपालन के प्रश्न संख्या ४९ का उत्तर दे दिया जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय :** अच्छा । प्रश्न ४९ ।

†***४९. श्री अ० क० गोपालन :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान उन संकल्पों की ओर आकर्षित किया गया है जो नारियल जटा उद्योग की समस्याओं की ओर ध्यान दिलाने के लिये नारियल जटा कारखानों के मालिकों, नारियल जटा सहकारी समितियों और नारियल जटा उद्योग के श्रमिकों के १७ फरवरी, १९५७ को क्विलोन में हुये सम्मेलन द्वारा पारित किये गये ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार और नारियल जटा बोर्ड ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

†**भारी उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह):** (क) जी, हां ।

(ख) कुछ दिन हुये सरकार को यह संकल्प मिले हैं और उनका परीक्षण किया जा रहा है ।

†**श्री ब० स० मुर्त्ति :** केरल सम्बन्धी इन संकल्पों के अतिरिक्त क्या भारत के अन्य भागों में, विशेषकर आन्ध्र में जहां नारियल जटा उद्योग लुप्त होता जा रहा है, नारियल जटा उद्योग में लगे हुये श्रमिकों की सहायता करने की कोई योजना है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** हां, श्रीमान् । नारियल जटा योजना के अन्तर्गत भारत के सभी भागों की ओर ध्यान दिया जायेगा । और सभी जगह नारियल जटा उद्योग को सहायता दी जायेगी ।

†**श्री ब० स० मुर्त्ति :** क्या मंत्री महोदय बता सकते हैं कि आन्ध्र के लिये क्या विशेष व्यवस्था की जा रही है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत अन्य स्थानों की तरह आन्ध्र में सहकारी समितियां स्थापित करने, उन्हें ऋण देने, विपणन और निर्यात बढ़ाने का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है ।

डाक तथा तार कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी :** माननीय मंत्री से प्रश्न ५३ का उत्तर देने के लिये कहा जाये । डाक कर्मचारियों के लिये इसका सामान्य महत्व है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** जी, हां ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†*५३. **श्री त० ब० विट्ठलराव :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैदराबाद डाक परिमण्डल [१५] में डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों की परस्पर वरिष्ठता सूची अब तैयार कर ली गई है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) यह सूची कब तक तैयार होगी ?

†**संचार मंत्री (श्री राजबहादुर) :** (क) जी, हां । जारी करने से पूर्व डिगलाट कलैण्डर से इसकी जांच की जा रही है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) मई, १९५७ तक इस सूची के प्रकाशित होने की आशा है ।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी :** क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इसे सारणीबद्ध करने में यथार्थतः कितना समय लगा है ?

†**श्री राजबहादुर :** गृह-कार्य मंत्रालय द्वारा ४ अगस्त, १९५६ को आदेश पारित किये गये थे और २२ अगस्त, १९५६ को ये समस्त परिमण्डलों के अध्यक्षों में परिचालित किये गये । इस बीच उसके अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है ।

†**श्री ब० स० मूर्त्ति :** जब आंध्र की राजधानी हैदराबाद निर्धारित कर दी गई तो फिर डाक तथा तार निदेशालय अभी तक कुरनूल में क्यों स्थित है ?

†**श्री राजबहादुर :** यह विषय वर्तमान प्रश्न से कैसे उत्पन्न होता है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** यह उत्पन्न नहीं होता है । प्रश्न सूची पूरी हो गई है ।

†**श्री कामत :** एक औचित्य प्रश्न है । लोकहित की दृष्टि से मेरी आपसे पुनः प्रार्थना है कि जो विषय मैंने कल उठाया था उस पर आप ध्यानयुक्त एवं गम्भीरतापूर्ण विचार करें । आगामी सप्ताह में लोक-सभा को इससे लाभ हो सकता है क्योंकि प्रश्न का घंटा सदा ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न सूची आज समय से पूर्व ही समाप्त हो गई है । पूरे घंटे का उपयोग करने की दृष्टि से आप निदेश दे सकते हैं कि अतारांकित प्रश्नों का भी उत्तर दे दिया जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय :** जी, नहीं, मैं इस प्रकार की प्रथा को जन्म नहीं देना चाहता हूं । तारांकित और अतारांकित प्रश्न पूछने में कोई अभिप्राय नहीं है । केवल इसलिये कि माननीय सदस्य इस सत्र में विशेष रूचि नहीं ले रहे हैं मैं अपवाद की स्थापना नहीं कर सकता ।

†**श्री कामत :** इसका कारण आम चुनाव है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** सम्भव है कि इसका यही कारण हो । किन्तु इस कथन में कोई अभिप्राय नहीं है कि अतारांकित प्रश्न को तारांकित मान लिया जाये । मैंने कल कहा था कि यदि अतारांकित प्रश्न के रूप में रखा गया प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है कि उसका उत्तर सभा भवन में दिया जाये तो उक्त प्रश्नकर्ता लिख कर मुझे भेज सकते हैं । मैं अपने मत पर पुनर्विचार करूंगा । इसमें कोई सन्देह नहीं है कि यदि समय हुआ तो मैं इसकी अनुमति दूंगा । अतः इस आशय का कोई सामान्य नियम निर्धारित नहीं किया जा सकता है ।

---

†मूल अंग्रजी में ।

[१५] Postal Circle.

प्रश्नों के लिखित उत्तर

डाक तथा तार कर्मचारियों के क्वार्टर

†*४८. **श्री त० ब० विट्ठलराव** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैदराबाद नगर में डाक तथा तार कर्मचारियों के लिये क्वार्टर बनाने के लिये भूमि प्राप्त कर ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो निर्माण कार्य कब आरम्भ किया जायेगा ?

†**संचार मंत्री (श्री राजबहादुर)** : (क) तथा (ख). भूमि अधिग्रहण कार्य चल रहा है ; भूमि पर अधिकार प्राप्त होते ही और भवन पर व्यय होने वाली अनुमानित रकम की मंजूरी के बाद निर्माण कार्य आरम्भ कर दिया जायेगा ।

डाक तथा तार प्रशिक्षण केन्द्र, हैदराबाद

†*५५. **श्री त० ब० विट्ठलराव** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हैदराबाद नगर में डाक तथा तार प्रशिक्षण केन्द्र के लिये विभागीय भवन का निर्माण कब आरम्भ किया जायेगा ; और

(ख) इसके कब तक पूरे होने की सम्भावना है ?

†**संचार मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) वित्तीय कारणों से निर्माण कार्य अभी आरम्भ नहीं किया जायेगा । वृहद् पूंजी लागत के परिणामस्वरूप विभिन्न प्रदेशों में बड़े-बड़े निवासी डाक तथा तार केन्द्रों के बनाने का प्रश्न स्थगित करना पड़ा है । आजकल यह प्रशिक्षण विभिन्न परिमंडलों में खोले गये उन केन्द्रों में होता है जहां निवास की व्यवस्था नहीं है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

सीमावर्ती घटनाएं

†१४. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६ और १९५७ में सीमा पर तैनात भारतीय और पाकिस्तानी पेट्रोल पुलिस में कितनी बार झड़प हुई तथा परस्पर गोलियां चलाई गईं ; और

(ख) इन घटनाओं का स्वरूप और उनसे उत्पन्न होने वाला नुकसान अथवा हानि क्या है ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) १ जनवरी, १९५६ से १५ फरवरी, १९५७ की अवधि में कम से कम २१ बार घटनायें ऐसी हुई जिन में परस्पर गोलियां चलीं । (इस संख्या में वे घटनायें सम्मिलित नहीं हैं जो १ जनवरी से १५ फरवरी, १९५७ की अवधि में आसाम, जम्मू और काश्मीर और बम्बई राज्यों के सीमावर्ती स्थानों में घटी हों ; इनके बारे में अभी जानकारी प्राप्त होना शेष है ।)

(ख) घटनाओं का कारण पाकिस्तानियों द्वारा ढोर चुराने का प्रयत्न अथवा उस सीमा-रेखाहीन क्षेत्र पर बलात् अधिकार, जिसे वे विवादग्रस्त मानते थे, या अनाधिकार प्रवेश था जो बाद में असावधानी के कारण किया गया प्रतीत हुआ ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

पाकिस्तान से आने वाले यात्री

†**१५. श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष अजमेर में उर्स में सम्मिलित होने वाले पाकिस्तानी यात्रियों की संख्या ; और

(ख) भारत सरकार द्वारा यात्रियों को दी गई सुविधायें क्या क्या हैं ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) तथा (ख). राजस्थान सरकार से जानकारी मंगाई गई है। प्राप्त हो जाने पर इसे लोक-सभा के पटल पर रख दिया जायेगा।

काम दिलाऊ दफ्तर

†**१६. श्री स० चं० सामन्त** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम पंचवर्षीय योजना में काम दिलाऊ दफ्तरों की सहायता से कितने व्यक्तियों को काम दिलाया गया ;

(ख) उन में से छटनीशुदा व्यक्तियों की संख्या कितनी है ;

(ग) कितने 'कुशल' व्यक्तियों ने काम दिलाऊ दफ्तरों के मार्फत आवेदन पत्र दिया था किन्तु उक्त अवधि में उन्हें कोई काम नहीं दिया जा सका ; और

(घ) कुल पंजीकृत संख्या में काम दिलाये जाने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत क्या है ?

†**श्रम मंत्री (श्री खण्डूभाई देसाई)** : (क) १२,३२,१७५ ।

(ख) १,२८,१२२ (जिनमें ८०,२५३ भूतपूर्व सैनिक कर्मचारी भी सम्मिलित हैं) ।

(ग) यह जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(घ) १६.७ प्रतिशत ।

कोयला खान सम्बन्धी विनियम

†**१७. श्री त० ब० विट्ठलराव** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला खदान से सम्बन्धित औद्योगिक समिति की सिफारिशों और निर्णयों पर, जिसकी बैठक अगस्त, १९५६ में हुई थी, भारत सरकार ने विचार किया है ;

(ख) यदि हां, तो कार्यवाही का स्वरूप ;

(ग) क्या सरकार कोयला खदानों के अतिरिक्त अन्य खदानों के सम्बन्ध में औद्योगिक समिति स्थापित करने का विचार रखती है ; और

(घ) यदि हां, तो उसे कब तक स्थापित करने की संभावना है ?

†**श्रम मंत्री (श्री खण्डूभाई देसाई)** : (क) जी, हां ।

(ख) जो कार्यवाही की गई है उसे बताने वाला एक बिवरण लोक-सभा के पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १६]** ।

(ग) जी, हां ।

(घ) ज्योंही समिति के सदस्यों के बारे में निर्णय कर लिया जाता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

दैनिक संक्षेपिका

[शुक्रवार, २२ मार्च, १९५७]

पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर— ५३–६३

तारांकित प्रश्न संख्या — विषय

४६. भारत में पुर्तगाली बस्तियां ५३–५४
४७. सैलम में निम्न उद्ग्र भट्टियां ५४–५५
५०. हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी ५६–५७
५१. भूतपूर्व फ्रांसीसी बस्तियां ५७–५८
५२. निवेली लिग्नाइट परियोजना ५८–६०
५४. पाकिस्तान में प्रदर्शन ६०–६१
४९. नारियल जटा उद्योग ६२
५३. डाक तथा तार कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची ६३

प्रश्नों के लिखित उत्तर— ६४–६५

तारांकित प्रश्न संख्या

४८. डाक तथा तार कर्मचारियों के क्वार्टर ६४
५५. डाक तथा तार प्रशिक्षण केन्द्र, हैदराबाद ६४

अतारांकित प्रश्न संख्या

१४. सीमावर्ती घटनाएं ६४
१५. पाकिस्तान से आने वाले यात्री ६५
१६. काम दिलाऊ दफ्तर ६५
१७. कोयला खदान सम्बन्धी विनियम ६५

२२ मार्च, १९५७ (शुक्रवार)

लोक-सभा
वाद-विवाद

(भाग २--प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

खण्ड १, १९५७

(१८ मार्च से २८ मार्च, १९५७)

[redacted]

1st Lok Sabha

(XV Session)

Preservation Unit
9-4-92
Fumigated
On 11/11/83
Parliament Library

पन्द्रहवां सत्र

(खंड १ में अंक १ से अंक १० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली

विषय सूची

(भाग २—वाद-विवाद खंड १—१८ से २८ मार्च, १९५७)

पृष्ठ

अंक १—सोमवार, १८ मार्च १९५७—

कुछ सदस्यों का निधन १

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति २

राष्ट्रपति का अभिभाषण . २–७

स्थगन प्रस्ताव—

पूर्वी उत्तरप्रदेश में खाद्यान्न स्थिति . . ८

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . ८–१२

लोक-लेखा समिति—

बीसवां प्रतिवेदन १२

सदस्यों द्वारा पद त्याग १२

दैनिक संक्षेपिका . १३–१६

अंक २—मंगलवार, १९ मार्च, १९५७—

श्री पी० एस० कुमार स्वामी राजा का निधन १७

सभा-पटल पर रखे गये पत्र १७–२०

प्राक्कलन समिति—

चवालीसवां तथा पैंतालीसवां प्रतिवेदन २१

सदस्य द्वारा पदत्याग . . २१

रेलवे आय-व्ययक, १९५७–५८—

उपस्थापित २१–२४

१९५६–५७ के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगों का विवरण २४

१९५२–५३ के लिये अतिरिक्त अनुदानों की मांगों का विवरण २५

केरल राज्य की संचित निधि में से किये गये व्यय का विवरण २५–२६

१९५६–५७ के अनुदानों की अनुपूरक मांगों (रेलवे) का विवरण . २६

समुद्र सीमा-शुल्क (संशोधन) विधेयक . . २६–२८

विचार के लिये प्रस्ताव . . . २६

खंड २ से ७ और १ . . . . . २७

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . . २८

विदेशी व्यक्ति कानून (संशोधन) विधेयक . . . २८–३८

विचार के लिये प्रस्ताव २८

खंड २ से ९ और १ . . . . ३५–३८

	पृष्ठ
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . . .	३८
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव के बारे में . .	३८
सामान्य आय-व्ययक १९५७–५८ उपस्थापित . .	३८–४२
वित्त विधेयक	४२–४३
पुरस्थापित	४२
नियम समिति—	
आठवां प्रतिवेदन	४३
कार्य मंत्रणा समिति—	
अड़तालीसवां प्रतिवेदन	४३
दैनिक संक्षेपिका	४४–४७

अंक ३—बधवार, २० मार्च, १९५७—

सभा-पटल पर रखे गये पत्र	४९, ५०
प्राक्कलन समिति—	
सैंतालीसवां प्रतिवेदन	५०
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव . . .	५०–८४
दैनिक संक्षेपिका	८५

अंक ४—गुरुवार, २१ मार्च, १९५७—

सभा-पटल पर रखे गये पत्र	८७–८९
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—	
अड़सठवां प्रतिवेदन	८९
कार्य मंत्रणा समिति—	
अड़तालीसवां प्रतिवेदन . .	८९
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव . .	८९–१००
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेलवे) १९५६–५७ .	१००–०६
अनुपूरक अनुदानों की अनपूरक मांगें १९५६–५७ अतिरिक्त अनुदानों की मांगें १९५२–५३ . } .	१०६–१९
अनुदानों की मांगें, केरल	१२०–२४
सामान्य आयव्ययक—सामान्य चर्चा . . .	१२५–२९
दैनिक संक्षेपिका	१३०–३३

अंक ५—शुक्रवार, २२ मार्च, १९५७—

सभा-पटल पर रखे गये पत्र	१३५
राज्य सभा से संदेश	१३५

पृष्ठ

विधेयक, राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में, सभा पटल पर रखा गया
प्राक्कलन समिति १३६
उनचासवां और पचासवां प्रतिवेदन . . . १३६
सदस्यों द्वारा पदत्याग १३६
विनियोग (रेलवे) विधेयक—पुरस्थापित . . १३६
विनियोग विधेयक . . . १३६–३७
विनियोग (संख्या २) विधेयक—पुरस्थापित . . . १३७
केरल विनियोग विधेयक—प्रस्थापित . . . १३७
सामान्य आय व्ययक—सामान्य चर्चा . . . १३८–६६
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के अड़सठवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . . . १६६–६७
चाय उद्योग के राष्ट्रीयकरण के बारे में संकल्प . . . १६७–७०
गन्ने का मूल्य नियत करने के लिये संविहित निकाय के बारे में संकल्प . १७२–७७
दैनिक संक्षेपिका १७८–७९

अंक ६—शनिवार, २३ मार्च, १९५७—

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . १८१
सभा से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति—
बीसवां प्रतिवेदन १८१
विनियोग (रेलवे) विधेयक, १९५७—
विचार तथा पारित करने का प्रस्ताव . . १८१–८२
विनियोग विधेयक, १९५७—
विचार तथा पारित करने का प्रस्ताव . . १८२
विनियोग (संख्या २) विधेयक, १९५७—
विचार तथा पारित करने का प्रस्ताव . . १८३
केरल विनियोग विधेयक, १९५७—
विचार तथा पारित करने के प्रस्ताव . . १८३
सामान्य आय व्ययक—सामान्य चर्चा . . १८–९४, १९–२२३
सभा का कार्य . . . १९४
दैनिक संक्षपिका २२४

अंक ७—सोमवार, २५ मार्च, १९५७—

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . २२५–२६
प्राक्कलन समिति—
इक्यावनवां, छप्पनवां और सत्तावनवां प्रतिवेदन . . २२७

	पृष्ठ
सदस्य द्वारा पद-त्याग	२२७
केरल आय-व्ययक, १९५७–५८	२२७–२८
राष्ट्रपति से संदेश	२२९
अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के संबंध में प्रस्ताव . . .	२२९–६१
दैनिक संक्षेपिका . .	२६२–६३

अंक ८—मंगलवार, २६ मार्च, १९५७—

श्री सत्यप्रिय बैनर्जी का निधन .	२६५
सभा-पटल पर रखे गये पत्र . .	२६५
राज्य-सभा से संदेश . .	२६६
लोक-लेखा समिति—	
बाइसवां प्रतिवेदन	२६६
आक्कलन समिति—	
अड़तालीसवां और अठावनवां प्रतिवेदन .	२६६
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
विनयनगर के रेलवे फाटक के निकट दुर्घटना .	२६६–६७
अनुपस्थिति की अनुमति .	२६८
सदस्य द्वारा पद-त्याग . . .	२६८
अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव .	२६८–६९
लेखानुदानों के लिये मांगें .	२७९–३००
विनियोग (लेखानुदान) विधेयक—	
पुरःस्थापित .	३०१
वित्त विधेयक, १९५७—	
विचार के लिये प्रस्ताव . .	३०१
खण्ड १ से ६ . .	३०२
पारित करने का प्रस्ताव .	३०२–०३
रेलवे आय-व्ययक—सामान्य चर्चा .	३०३–०९
नियम समिति—	
नवां प्रतिवेदन . . .	३०६
सभा का कार्य	३०६
दैनिक संक्षेपिका	३१०–११

पृष्ठ

अंक ९—बुधवार, २७ मार्च, १९५७—

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ३११-१६

लोक-लेखा समिति—

चौबीसवां प्रतिवेदन ३१६

प्राक्कलन समिति—

बावनवां और उनसठवां प्रतिवेदन . . . ३१६

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

भारत में तेल की खोज के संबंध में हुई प्रगति . . ३१६-१८

विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९५७—

विचार तथा पास करने का प्रस्ताव . . ३१८

रेलवे आय-व्ययक—सामान्य चर्चा . ३१८-३३

लेखे पर अनुदान की मांगें (रेलवे) . . ३३३-४७

विनियोग (रेलवे) लेखानुदान विधेयक, १९५७—

पुरःस्थापित ३४८

केरल आय-व्ययक—सामान्य चर्चा ३४८-५३

दैनिक संक्षेपिका ३५४-५६

अंक १०—गुरुवार, २८ मार्च, १९५७—

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . ३५७-६०, ३६५

हिन्दी पर्याय समिति का प्रतिवेदन . . ३६०

राज्य-सभा से संदेश ३६१

लोक-लेखा समिति—

तेइसवां प्रतिवेदन ३६१

प्राक्कलन समिति—

छियालीसवां, तिरपनवां से पचपनवां और साठवां से छासठवां प्रतिवेदन ३६१

याचिका समिति—

बारहवां प्रतिवेदन . . . ३६२

आश्वासनों संबंधी समिति—

चौथा प्रतिवेदन ३६२

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

ऐसे बीमा समवायों की पालसियां जिनकी वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है। ३६२-६३

स्थगन प्रस्ताव—

कालीघाट फाल्टा रेलवे को बन्द करने के बारे में निर्णय ३६३-६४

सदस्यों द्वारा पद-त्याग ३६५

	पृष्ठ
नियम समिति—	
नवां प्रतिवेदन	३५९
विनियोग (रेलवे) लेखानुदान विधेयक, १९५७—	
विचार तथा पास करने के प्रस्ताव . . .	३५९
केरल आय-व्ययक—सामान्य चर्चा	३६०–७२
लेखानुदान की मांगें—केरल, १९५७–५८ . . .	३७२–८२
केरल विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९५७—	
पारित	३८२
भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक . . .	३८२–९०
विचार करने का प्रस्ताव	३८२
खंड १ से ३	३९०
पारित करने का प्रस्ताव	३९०
राष्ट्रपति के निर्वाचन और नई लोक-सभा के गठन के बारे में चर्चा .	३९०–९५
विदाई भाषण	३९५–४०१
दैनिक संक्षेपिका	४०२–०५
पन्द्रहवें सत्र में किये गये कार्य का संक्षेप . . .	४०६–०७
अनुक्रमणिका	(१–१०४)

लोक सभा

शुक्रवार, २२ मार्च, १९५७

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

११.२४ बजे

सभा पटल पर रखे गये पत्र

ऐसे मामलों का विवरण जिनमें कम से कम दरों के टेंडर स्वीकार नहीं किये गये ।

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : मैं, ऐसे मामलों के, जिनमें लन्दन स्थित भारत स्टोर विभाग द्वारा ३१ दिसम्बर १९५६ को समाप्त होने वाले वर्ष में कम से कम दरों के टेंडर स्वीकार नहीं किए गए, विवरण की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १७]**

अल्युमीनियम समिति का प्रतिवेदन

†**भारी उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : मैं अल्युमीनियम समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एस ५५।५७]**

राज्य-सभा से संदेश

†**सचिव** : श्रीमान, मुझे सभा को यह बताना है कि मुझे राज्य-सभा के सचिव से यह संदेश प्राप्त हुआ है :—

"राज्य-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम ९७ के अनुसार, मैं, भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक १९५७, की जिसको राज्य सभा ने २१ मार्च १९५७ को हुई अपनी बैठक में पारित किया, एक प्रति संलग्न करता हूं ।"

†मूल अंग्रेजी में ।

राज्य-सभा द्वारा पारित विधेयक सभा पटल पर रखा गया

†**सचिव :** श्रीमान्, मैं भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक की एक प्रति राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में, सभा पटल पर रखता हूं।

प्राक्कलन समिति

उनचासवां तथा पचासवां प्रतिवेदन

†**श्री ब० गो० मेहता** (गोहिलवाड़) : मैं प्राक्कलन समिति के पांचवें तथा आठवें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों के सम्बन्ध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में समिति का उनचासवां तथा पचासवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

सदस्यों द्वारा पदत्याग

†**अध्यक्ष महोदय :** मुझे सभा को सूचना देनी है कि निम्न दो सदस्यों ने लोक सभा से पद-त्याग कर दिया है :—

१. डा० एडवर्ड पाल मथुरम—२१ मार्च १९५७ (म० पू०)

२. श्री देवेश्वर सर्मा—२१ मार्च, १९५७ (म० प०)

विनियोग (रेलवे) विधेयक

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री जगजीवन राम) :** मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष १९५६–५७ में रेलवे संबंधी व्यय के लिए भारत की संचित निधि में से कुछ और धनराशियों के भुगतान तथा विनियोग का प्राधिकार देने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष १९५६–५७ में रेलवे संबंधी व्यय के लिए भारत की संचित निधि में से कुछ और धनराशियों के भुगतान तथा विनियोग का प्राधिकार देने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**श्री जगजीवन राम :** मैं विधेयक को पुरः स्थापित करता हूँ।

विनियोग विधेयक*

†**राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री म० च० शाह) :** मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष १९५६–५७ के लिए भारत की संचित निधि में से कुछ और धनराशियों के भुगतान तथा विनियोग का प्राधिकार देने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

---

*भारत के असाधारण गजट के भाग २, अनुभाग २, दिनांक २२-३-५७ में प्रकाशित।

†मूल अंग्रेजी में।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष १९५६–५७ के लिए भारत की संचित निधि में से कुछ और धनराशियों के भुगतान तथा विनियोग का प्राधिकार देने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री म० च० शाह :** मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

विनियोग (संख्या २) विधेयक

†**राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री म० च० शाह) :** मैं प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च १९५३ को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के कार्यों के लिये स्वीकृत धनराशि से उन्हीं कार्यों पर व्यय हुए अधिक धन को पूरा करने के लिये, भारत की संचित निधि में से विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि ३१ मार्च १९५३ को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के कार्यों के लिए स्वीकृत धनराशि से उन्हीं कार्यों पर व्यय हुए अधिक धन को पूरा करने के लिए, भारत की संचित निधि में से विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री म० च० शाह :** मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

केरल विनियोग विधेयक*

†**राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री म० च० शाह) :** मैं प्रस्ताव करता हूं कि १ नवम्बर १९५६ को प्रारंभ होने वाली और ३१ मार्च १९५७ को समाप्त होने वाली अवधि के लिये केरल राज्य की संचित निधि में से कुछ धनराशियों के विनियोग तथा भुगतान को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि १ नवम्बर १९५६ को प्रारंभ होने वाली और ३१ मार्च १९५७ को समाप्त होने वाली अवधि के लिये केरल राज्य की संचित निधि में से कुछ धनराशियों के विनियोग तथा भुगतान को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री म० च० शाह :** मैं विधेयक को पुरः स्थापित करता हूं।

---

*भारत के असाधारण गजट, भाग २, अनुभाग २, दिनांक २२-३-५७ में प्रकाशित ।

†मूल अंग्रेजी में ।

सामान्य आयव्ययक--सामान्य चर्चा--जारी

†**अध्यक्ष महोदय :** सभा में अब सामान्य आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा होगी।

†**वित्त तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) :** मैं अध्यक्ष महोदय से सभा के कार्यक्रम के बारे में कुछ पूछना चाहता हूं। कार्य मंत्रणा समिति ने आय-व्ययक पर चर्चा के लिए १० घंटे दिये हैं। ५ घंटे अनुदानों की मांगों तथा विनियोग विधेयक के लिए और १ घंटा वित्त विधेयक के लिए। इस प्रकार कुल १६ घंटे होते हैं। परन्तु मैंने आज कार्य सूचि में देखा कि सोमवार को विदेशी कार्यों पर चर्चा होगी। मैं आय-व्ययक का कार्यक्रम जानना चाहता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय :** हमारी कल भी बठक हो रही है तथा आज ३-३० बजे तक इस पर चर्चा होगी। आज हमें चार घंटे मिलेंगे और इस प्रकार ४ घंटे तक चर्चा हो जायेगी और ६ घंटे बच जायेंगे जो कल समाप्त कर दिये जायेंगे।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी :** परन्तु ५ घंटे विनियोग विधेयक तथा अनुदानों की मांगों पर भी तो हैं।

†**अध्यक्ष महोदय :** इन पर बाद में चर्चा होगी।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी :** मेरा विचार है कि कार्य मंत्रणा समिति द्वारा दिया गया समय २८ तारीख तक पूरा नहीं हो पायेगा।

†**अध्यक्ष महोदय :** हमने इस पर विचार किया था तथा सिफारिश की थी हम रोज एक घंटा अधिक बैठें तथा कल शनिवार को भी बठें। हमारा विचार था कि इस प्रकार ४२ घंटे हो जाते ह और कार्यक्रम ४२½ घंटे का है। चाहे हम देर तक बैठें परन्तु २८ तारीख को कार्यक्रम अवश्य समाप्त कर देंगे।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** (गुड़गांव) : मैं यह अर्ज कर रहा था कि मैम्बर साहिबान (माननीय सदस्य) को कई नए तजुर्बे (अनुभव) इन इलैक्शंस (निर्वाचनों) में हासिल हुए होंगे। तकरीबन (लगभग) तमाम मैम्बर साहिबान अपनी अपनी कांस्टिट्यूएंसीस (निर्वाचन क्षेत्रों) का दौरा करके वापिस आए है और उनके दिलों पर जो हालात उन्होंने वहां देखें हैं, उनके असरात (प्रभाव) ताजा होंगे और उनको वे इस हाउस में भी जाहिर कर चुके हैं। मैं इस मौके का फायदा उठाकर दो तीन बातों की तरफ इस हाउस का ध्यान खास तौर से दिलाना चाहता हूं। इस जिम्न (सम्बन्ध) में सब से पहला जो सवाल मेरे सामने है वह रूरल हाउसिंग (ग्रामीण आवास) का है। मुझे याद है कि एक मौके पर मरी कंस्टिट्युएंसी के कुछ भंगियों ने मुझे अपने मकान पर बुलाया और मेरे सामने एक सवाल पेश किया। उन्होंने कहा कि आप सब लोग पार्लियामेंट के अन्दर भी और बाहर भी हर रोज यह कहते हो कि आपने सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी का उसूल मंजूर कर लिया है। हर पार्टी वाले इस पर इतिफाक करते हैं कि वे इस देश के अन्दर गुरबत (गरीबी) नहीं रहने देंगे, वे इस देश के अन्दर खराब मकानात नहीं रहने देंगे। इस सिलसिले में उन्होंने मुझे अपने मकानात दिखलाये जिनसे मैं पहले भी

†मूल अंग्रेजी में।

अच्छी तरह वाकिफ था और उन हालात का मैं इस हाउस में कई बार पहले भी जिक्र कर चुका हूं । इस मौके पर उनके मकानात को देखकर मुझे यह नजर आया कि आज भी यह पार्लियामेंट कुछ कर सकती है । इसका जिक्र मैं ने उस वक्त कभी किया था जब कि सैकिंड फाइव ईयर प्लान (द्वितीय पंच वर्षीय योजना) पर कमिटियां बैठी थीं और जिन्होंने इस प्लान पर बहस की थी । हमारे श्री टंडन जी, जो इस वक्त इस हाउस में मौजूद नहीं हैं, ने एक दफा कहा था कि वह चाहते हैं कि हर एक आदमी को आधा एकड़ जमीन मकान बनाने के लिए, गार्डन बनाने के लिए तथा दूसरी जरूरियात को पूरा करने के लिए दी जाए । मैं समझता हूं कि इतनी ज्यादा जमीन देना हमारे लिए बहुत मुश्किल है । अगर हमने ऐसा किया तो हमारे पास बहुत ही थोड़ी जमीन बच रहेगी और हो सकता है कि हम हर एक को इतनी ज्यादा जमीन दे भी न सकें । इस चीज को देखते हुए मैं ने यह तजवीज पेश की थी कि हर एक रूरल फैमिली को और खास तौर से शैडयूल्ड कास्ट फैमिलीज को एक एकड़ का $^{1}/_{4}$वां हिस्सा जमीन का अवश्य ही दिया जाना चाहिए । कई लोगों के पास अपने मकानात हैं और कइयों के पास नहीं भी हैं । कई लोगों के पास इतनी जमीन है, कइयों के पास इससे ज्यादा है और कइयों के पास इससे भी कम है । तो जिन लोगों के पास इतनी जमीन से कम जमीन है उनको और जमीन दे दी जाए और जिन के पास ज्यादा है उनसे आप वापिस भी ले सकते हैं क्योंकि हाउसिंग के वास्ते जमीन वापिस लना मेरे ख्याल में मुश्किल नहीं होना चाहिए । मैं जानता हूं कि रूरल हाउसिंग के बारे में अगर यह हाउस कुछ करना चाहे तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब एक दम उछल पड़ेंगे और कहेंगे कि इसके लिए ो अरबों और खरबों रुपये की आवश्यकता होगी । इतना रुपया वह कहां से लायेंगे । यह दुरुस्त है । लेकिन मैं कोई ऐसी तजवीज पेश नहीं करना चाहता जिससे कि हमारे फाइनेंसिस पर बहुत ज्यादा स्ट्रेन पड़े और जिसको हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब सहन न कर सकें । मैं समझता हूं कि अगर एक एकड़ का $^{1}/_{4}$वां हिस्सा एक एक फैमिली को दिया जाए तो इससे बहुत ज्यादा स्ट्रेन नहीं पड़ेगा और इसका हम कुछ न कुछ इंतिजाम कर ही सकते हैं । इसके साथ ही साथ हम यह भी करें कि हर एक प्राविंस में पांच गांव माडल गांव, नमूने के तौर पर बनवायें और लोगों को प्रोत्साहन दें कि वे भी इसी तरह के गांव बसायें और इस तरह क मकान बनायें ।

हमन सैकिंड फाइव ईयर प्लान में केवल २०० करोड़ रुपया हाउसिंग की खातिर रखा है जो मैं समझता हूं कि एक फ्रिज को भी टच नहीं कर सकता । इसके वास्ते तो खरबों रुपये की जरूरत है अरबों रुपये का तो कहना ही क्या । मैं कोई ऐसी तजवीज पेश करना नहीं चाहता जो इम्प्रेक्टिकेबल (असंभव) हो । मैं वही तजवीज पेश करूंगा जो प्रेक्टिकेबल (संभव) हो । यह जो तजवीज मैं ने पेश की है यह प्रेक्टिकेबल है और हमारे सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी के उसूल के साथ अच्छी तरह से मेल खाती है । मैं चाहता हूं कि कम स कम हर एक आदमी को रहने के लिए एक ऐसा मकान तो मिले जिस से कि वह कह सके कि मैं ठीक तरह से रहता हूं । सैकिंड फाइव ईयर प्लान कमिटी का मने जिक्र किया है । उस कमिटी में मैं ने कहा था कि गुड़गांव के नजदीक एक गांव म ११०० गज के अन्दर तकरीबन सौ से ज्यादा मकान बने हुए थे । जब वहां पर डिप्टी कमिश्नर साहब गए तो उन लोगों ने उनसे प्रार्थना की कि उनको कुछ जमीन मकान बनाने के लिए कंसालिडेशन स्कीम (चकबंदी) के अन्दर दे दी जाए । उन्होंने इस चीज को पंजाब गवर्नमेंट के सामने पेश किया और कंसौलिडेशन के वक्त बहुत सी जमीन का इंतिजाम उनके लिए कर दिया गया । इतना ही काफी नहीं है । मैं चाहता हूं कि इस तरह की कोई स्कीम सारे हिन्दुस्तान के अन्दर लागू की जाए । इस पार्लियामेंट को सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी के उसूल को अम्ल में लाने के लिए सब से पहली चीज जो करनी चाहिये वह यही होनी चाहिए । हमें चाहिये कि हम हर एक फैमिली को इतनी जमीन दे दें जिस पर मकान बना कर वह आराम से रह सके और साथ ही थोड़ी सी जमीन उसको फालतू मिल जाए । तो यह जो पांच सौ या छः सौ गज जमीन एक फैमिली को देने की बात मैं ने कही है, यह कोई ज्यादा नहीं है और इसके अन्दर आपका कोई

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

बहुत ज्यादा खर्च भी नहीं होने वाला है । अगर सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी की स्थापना की तरफ आप यह कदम उठायेंगे तो यह एक मुनासिब कदम होगा । यहां पर तजवीजें होती हैं कि आमदनी मुकर्रर कर दी जाए, बहुत से लोगों की जमीनें खरीद ली जायें लेकिन यह अमल में नहीं आती हैं । जो तजवीज मैं ने पेश की है इस पर अमल होना भी आसान है बशर्ते कि सही मानों में हम इसको कामयाब करना चाहते हैं । अगर ऐसा किया गया तो देश के अन्दर एक रेवोल्यूशनरी स्पिरिट पैदा हो जाएगी और लोग यह महसूस करेंगे कि फिलवाका (वास्तव में) इस पार्लियामेंट ने एक ऐसा काम किया है जिसके लिए यह मुबारिकबाद की मुस्तहिक है । एक मौके पर मैं अपनी कंस्टिट्युएंसी में गया । एक हैरिजन बुढ़िया ने मुझे एक कोठा दिखलाया और मुझे कहने लगी कि इसके अन्दर कहां मैं अपने डंगरों को बांध सकती हूं और कहां मैं रह सकती हूं । उसके पास केवल एक कोठा ही था । यह एक मिसाल ही नहीं है, इस तरह की करोड़ों मिसालें आपको मिल जायेंगी । हमारे देश में लोग ऐसी ऐसी जगहों में रहते हैं जिनमें कि और मुल्कों में शायद जानवर भी नहीं रखे जाते हैं । अगर आप हिन्दुस्तान में तरक्की होती देखना चाहते हैं तो यह सब से पहला काम है जो आपको करना चाहिये । मैं अदब के साथ अर्ज करता हूं कि मेरी इस स्पीच को आप ऐसे ही मजाक में न उड़ा दें बल्कि इसको सीरियसली (गंभीरता) लें और इस पर सीरियसली गौर करें और इसको अमल में लाने की कोशिश करें ।

इस वक्त मैं रिहैबिलिटेशन मिनिस्टर (पुनर्वास मंत्री) साहब की खिदमत में एक बात अर्ज भी करना चाहता हूं । मैं कितनी ही जगहों पर गया हूं और खसूसन पंजाब में तो बहुत ही जगहों पर गया हूं और वहां पर मैंने देखा है कि रिफ्यूजीज के पास मकानों की कमी है जिस की वजह से उनको बड़ी तकलीफ का सामना करना पड़ता है । वे किराया भी पूरा देने को तैयार हैं लेकिन कितने ही छोटे छोटे शहर हैं जिनमें उनको मकानात नहीं मिलते और वह बड़ी तकलीफ में रहते हैं और बहुत सख्त कंजैशन है । इसका सही इलाज यह है कि जहां इवेकुई लैंड्स (निष्क्रान्त भूमि) मौजूद हैं वह इवैकुई लैंड्स उनको दे दिये जांय मुनासिब कीमत पर ताकि वे अपने मकानात बना सकें । मैंने एक कालोनी की तजवीज होडल के बारे में आनरेबुल रिहैब्लिटेशन मिनिस्टर की खिदमत में पेश की थी; अब फतेहाबाद जिला हिसार के लिए एक तजवीज करना चाहता हूं । मैं चाहता हूं कि उस उसूल को मान लें कि इवैकुई लैंड का इससे अच्छा इस्तेमाल नहीं हो सकता कि लोगों को मकान बनाने के वास्ते वह जमीनें दे दी जांय । मैं यह नहीं चाहता कि वह जमीनें उनको मुफ्त दी जांय और आपके खजाने पर और आपका जो पूल है उस पर खराब असर पड़े । मैं तो चाहता हूं कि मुनासिब कीमत पर कालोनी बनाने के वास्ते उनको जमीनें दी जांय और उनको माडेल मकान बनाकर दे दिये जांय ।

मैं यह भी चाहता हूं कि १०,००० रुपये तक के जिन लोगों के क्लेम्स प्राएरिटी लिस्ट पर आ गय हैं, उन को यह जमीनें फौरन दे दी जांय जो अपने मकान उन पर बनाना चाहते हैं । इसका फायदा यह होगा कि आज जो मकानों की कमी है वह दूर हो जायगी और वे लोग आराम से रह सकेंगे ।

इस हाउस में कुछ अर्सा हुआ यह ऐक्ट पास किया गया था कि अगर रिहब्लिटशन मिनिस्टर को किसी आराजी को ऐक्वायर करने की जरूरत हो तो उसके प्राविजन के मुताबिक वह आराजी को ऐक्वायर कर सकता है, मुनासिब कीमत और उचित मुआविजा जमीन वाले को देकर जमीन ऐक्वायर कर सकता है और मैं चाहता हूं कि ऐसी ऐक्वायर की गई जमीनें रेफ्यूजीज को दी जांय । रेफ्यूजीज यह नहीं चाहते कि वह जमीनें उनको मुफ्त मिल जांय और वे इसके लिए मनासिब कीमत देने को तैयार हैं । मैं चाहता हूं कि मेरे इन दो सुझावों पर गौर किया जाय ।

अब मैं थोड़ा सा अपनी कांस्टीटूऐंसी (निर्वाचिन क्षेत्र) की बाबत जहां से मैं आता हूं, अर्ज करना चाहता हूं। आम तौर पर जब कभी मैं शिकायत करता हूं कि सरकार ने कभी यह नहीं किया वह नहीं किया और मेरा इलाका बैंकवर्ड इलाका है तो मुझे यकीन दिलाया जाता रहा है कि भाखरा डैम की ब्लैसिंग्स सबसे ज्यादा इस इलाके को पहुंची हैं। मैं ने कई मर्तबा इस हाउस में गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा किया है कि हिसार जिले को फिलवाकया (वास्तव में) भाखरा डैम से बहुत फायदा पहुंचा है। २६ लाख एकड़ जमीन हमारे जिले की आखिर तक सरेआब होनी है लेकिन इसके साथ ही मुझे दुःख के साथ यह कहना पड़ता है कि वहां पर एक इलाका ऐसा रह गया है कि जिसकी बाबत शुरू में तजवीज थी कि भाखरा डैम वहां पर जाय लेकिन मुझे नहीं मालूम कि बाद में क्या कुछ हुआ कि उस इलाके को महरूम कर दिया गया और वह बदकिस्मत इलाका भिवानी तहसील का है। मैं समझता हूं कि भिवानी जैसा बैकवर्ड इलाका सारे हिन्दुस्तान भर में शायद दूसरा न होगा, उस इलाके में रास्ते नहीं हैं, वहां पानी पीने को नहीं मिलता और पानी के वास्ते वहां की जमीन खोदने पर भी मीठा पानी नहीं मिलता। पहले उस बैंकवर्ड इलाके के लिए कहा गया था कि उसकी हालत सुधारी जायगी और वहां पर भाखड़ा डैम आयेगा लेकिन जब मैं उस इलाके में १५ वर्ष के बाद गया तो मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि मुझे उसकी खराब और बैंकवर्ड हालत देख कर बहुत ज्यादा तकलीफ हुई। इस १५ वर्ष के अर्से में किसी शख्स ने भी उस इलाके की ओर आंख तक उठा कर नहीं देखा कि वहां की कैसी हालत ह। हमारे बहुत कोशिश करने पर पंजाब गवर्नमेंट ने यह वायदा किया कि वह १० करोड़ रुपया ट्यूबवैल (नलकूप) लगाने के लिए देगी लेकिन यह अफसोस का मुकाम है कि अब तक वहां पर एक भी ट्यूबवैल नहीं लगाया गया है। इसके अलावा मुझे याद है कि स्वर्गीय किदवई साहब ने सन् १९५५ में मुझ से वायदा किया था कि वह उसी साल में एक्सपेरीमेंट्ल ट्यूबवैल्स को खुदवाना शुरू कर देंगे लेकिन आज सन् १९५७ हो गया है और किसी ने उस ओर तवज्जह नहीं की है। मैं अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि इस तरह के जो पिछड़े हुए इलाके हैं, वे खास तौर पर गवर्नमेंट आफ इंडिया के चार्ज में होने चाहियें ताकि उनकी तरफ विशेष रूप से तवज्जह हो सके। उस इलाके में मीलों चले जाइये कहीं पानी पीने के वास्ते नजर नहीं आता और पानी के वास्ते वहां लोग तड़पते रहते हैं। पानी इकट्ठा करने के वास्ते गड्हे खोदते हैं लेकिन मेंह नहीं बरसता और यह परमात्मा का कोप है कि वहां पर पानी भी नहीं बरसता है। अगर आप जाकर वहां की हालत देखें तो आपको ऐसा मालूम होगा कि वह हिन्दुस्तान का हिस्सा ही नहीं है। सारे गांव में एक भी पक्का मकान नजर नहीं आयेगा और लोग झोंपड़ियों में रहते हैं। रास्ते इतने खराब, तंग और दुश्वार गुजार हैं कि वहां पर न जीप जा सकती है और न कोई ऐसा जरिया है जिससे कि लोग वहां पर जा सकें। वहां के इलाके की सवारी सिर्फ ऊंट है जो कि बहुत दिनों तक बगैर पानी के रह सकता है और सवारी के काम वह आता है। उस इलाके को जो भाखरा डेम पहुंचाने का वायदा किया गया था वह पूरा नहीं किया गया और १० करोड़ की स्कीम के मातहत वहां पर जो ट्यूबवैल्स लगाने का वायदा किया गया था वह भी वायदा पूरा नहीं किया गया। अब वक्त आ गया है कि कम से कम उस वायदे को तो पूरा किया जाय और इसी साल के अन्दर ही वहां पर एक्सपेरीमेन्टल ट्यूबवैल्स लगा दिये जायं ताकि वह इलाका भी यह समझ सके कि वह भी हिन्दुस्तान का एक हिस्सा है। मैं ने वहां पर जाकर तहकीकात की है और मुझे मालूम हुआ है कि वहां पर जमीन के नाचे इतना पानी है कि ट्यूबवैल लगाने से उस इलाके का काफी फायदा हो सकता है। वक्त आ गया है जब हमें उस इलाके की तरफ पूरी तवज्जह देनी चाहिए। पंजाब गवर्नमेंट जिसके कि पास काफी बिजली मौजूद है और जो कहती है कि हम सारे पंजाब को बिजली से जगमगा देंगे, उसने भी अभी तक इस इलाके की तरफ तवज्जह नहीं दी है। पिछली मर्तबा आनरेबुल मिनिस्टर साहब (इर्रीगेशन) ने एक मीटिंग की थी जिसमें पंजाब के अफ़सरान भी मौजूद थे और हमने पंजाब के अफ़सरान से उस मीटिंग के दौरान पूछा था कि उस इलाके के अन्दर कब तक बिजली आ मकान है लेकिन हमें कोई तसल्लोबख्श (संतोष-

[पंडित ठाकूर दास भार्गव]

जनक) जवाब नहीं मिला था। जिस इलाके की निस्बत जवाब मिला था कि वहां चन्द एक महीनों में बिजली आ जायेगी, वहां पर भी आज तक कोई बिजली नहीं पहुंची है। मैं अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि जो जवाबात मिनस्टर साहब की मौजूदगी में दिये जायं और जो ऐश्योरेंसेज हाउस के अन्दर दिये जायं वे जरूर पूरे किये जाने चाहियें और गवर्नमेंट अपने उन वायदों को पूरा करे। मैं चाहता हूं कि इस हाउस में तकरीर करते हुए जो हमारे एग्रीकलचर मिनिस्टर (कृषि मंत्री) साहब ने फरमाया था कि हम उन वायदों को पूरा करेंगे उनको पूरा करें। मैं इर्रीगेशन एंड पावर मिनिस्टर साहब की खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं कि वह अपने वायदे को पूरा करें और इस पिछड़े और पसमांदा इलाके को तरफ नजर इनायत करें। आखिर वहां पर भी तो इंसान रहते हैं और जो उन को पानी की तकलीफ है उसको दूर करें। वहां पर खारी पानी होने की वजह से कितने ही जानवर मर जाते हैं और अगर भाखरा डैम ५ मील भी हो तो उसका पानी कम से कम पीने के वास्ते तो उस इलाके को मुहय्या किया जाय। उनको जोहड़ों का गंदा पानी पीने पर मजबूर होना पड़ता है जिससे तरह तरह की बीमारियां फैलती हैं। कुंएं वहां पर हैं नहीं और एक कुंएं की खुदाई और बनवाई पर ५ हजार रुपये से कम लागत नहीं आती और कुंआं अगर बनवा भी लिया जाय तो उसमें पीने को मीठा पानी नहीं मिलता है। अब कुदरत पर तो आप काबू पा नहीं सकते लेकिन मैं जानता हूं कि यह खारापन आर्टिफिशएल तरीके से जरूर दूर हो सकता है। थोड़ी ही दूर पर पिलानी में सागर सा बना हुआ है, वहां पर नहर पहुंचती है और हमारा यह इलाका उसी इलाके के साथ में लगा हुआ है और सेकेंड फाइव ईयर प्लान में तो कम से कम उस इलाके को ऐसा बना दीजिये ताकि लोग वहां पर इंसान की तरह से रह सकें और जो पानी पीने की तकलीफ ह वह तो कम से कम दूर हो।

एक मसले (समस्या) की बाबत जिसके कि लिए मैं हाउस में पहले भी कई मर्तबा शिकायत कर चुका हूं और जिसकी कि ओर गवर्नमेंट की तवज्जह जैसी होनी चाहिए नहीं है और वह है मवेशियों का मामला। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या कोई शख्स यह कह सकता है कि पिछले दस वर्षों में हमारे देश की गायों का दूध बढ़ा है या हमारे बैलों की ताकत ज्यादा बढ़ गयी है। मैं उन लोगों से जो आये दिन सेकेंड फाइव ईयर प्लान की बाबत डींगे मारा करते हैं कहना चाहता हूं कि यह आपका सेकेंड फाइव इयर प्लान अच्छी तरह से कामयाब नहीं हो सकता जब तक इसका जो असली आधार है, अर्थात् एग्रीकलचर प्रोड्यूस, जब तक इस देश में नहीं बढ़ेगा। अगर देश की एग्रीकलचर प्रोड्यूस नहीं बढ़ेगी तो यह आपका सेकेंड फाइव ईयर प्लान कामयाब नहीं हो सकेगा। यही चीज हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने फरमाई है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने फरमाई है और अगर यह दुरुस्त है कि सेकेंड फाइव ईयर प्लान को कामयाब बनाने के लिए एग्रीकलचर प्रोड्यूस को बढ़ाना चाहिए तो हमारे देश के जो मवेशी (पशु) हैं उनके नस्ल सुधार की तरफ गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए और देश की कैटिल वेल्थ बढ़ानी चाहिए।

मुझे यह देख कर बड़ा दुःख होता है कि देश में काऊ स्लाटर (गोवध) को कानून द्वारा बंद करने के लिए तो जोर जोर के नारे उठाये जाते हैं, लेकिन असल मामले की ओर कोई तवज्जह नहीं देता। असली चीज कैटिल ब्रीड को ठीक करने की है। हम देखते हैं कि २० करोड़ रुपये इस काम के वास्ते रक्खे गये लेकिन २० करोड़ रुपये खर्च नहीं किये गये और सिर्फ २० लाख रुपये ही खर्च हुए। इसी तरह गोसदनों के वास्ते ३ करोड़ रुपये दिये गये लेकिन उसमें से केवल ३ लाख रुपये ही खर्च हुए। आज जब मैं ने एग्रीकलचर मुहकमे की सन् १९५६ की समरी रिपोर्ट पढ़ी तो मुझे तो उसमें कोई जिक्र इस अम्र का नहीं मिला कि किसी किस्म की कोई तरक्की हमने इस तरफ की हो या वह वायदे पूरे किये हों जिनका कि जिक्र किया गया था। आज सबसे बड़ी जरूरत हमारी ग्रो मोर फौडर और ग्रो मोर फूड की है और हम लोगों को और गवर्नमेंट को इसी ओर आगे बढ़ना चाहिए। जब तक एक अलहदा मिनिस्टर और प्लानिंग कमीशन पर मेम्बर नहीं बनता पूरी गौर इन सवालों पर नहीं हो सकती।

जब तक मवशियों की हालत अच्छी नहीं होगी तब तक जितना पानी आप देते हैं उस का भी पूरा फायदा हम नहीं उठा सकेंगे क्योंकि जब तक बैल मजबूत नहीं होंगे, खेती नहीं हो सकती। इस लिए हमें रिलिजासिटी से निकल कर बिल्कुल सेकुलरिज्म के तरीके से इस मसले को देखना है कि अपने मवेशियों को कैसे सुधारा जाए। इस के वास्ते हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कितना रुपया दिया ? मैं चाहूंगा कि जवाब देते वक्त हमें बतलाया जाए कि पिछले दस सालों में गवर्नमेंट ने इस बारे में क्या किया। अब तक गवर्नमेंट ने एक नई मिनिस्ट्री इस गरज के लिए बनान की तजवीज पर अमल नहीं किया। मैं जनाब की तवज्जह चन्द बातों की तरफ दिलाना चाहता था लेकिन मैं समझता हूं कि मैंने, पंद्रह मिनट तो ले लिए हैं इसलिए मैं मुख्तसरन उन का जिक्र करूंगा। मैं ने कुछ दिन पहले ला कमीशन (विधि आयोग) का जिक्र किया था। मैं खुश हूं कि वह मुकर्रर (नियुक्त) हो चुका। लकिन हम बड़ी इम्पेशेन्स (धैर्य) के साथ उस की रिपोर्ट की तरफ देख रहे हैं। इस देश के अन्दर और चीजों की तरक्की हुई, लकिन ला के बारे में यह तरक्की नहीं हुई। अभी तक वही परसेन्टेज ऐक्विटल्स का कायम है जो पहले से बना आ रहा है जिस का जिक्र हमारे काटजू साहब न किया था जिस वक्त उन्होंने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पेश किया था। मैं चाहता हूं कि हमारा ला कमिशन जल्दी से हमें अपनी रिपोर्ट दे और हम जल्दी उस की तरफ तवज्जह दे सकें।

इसी तरह से मैं ने जेल कमिशन की तरफ तवज्जह दिलाई थी, लेकिन जेल कमिशन अब तक नहीं बना। तीस वर्ष हुए जब जेल कमिशन ने इस दश के अन्दर अपनी कार्रवाई की थी। यह दुरुस्त है कि उस के बाद काफी तरक्की जेलों में हुई है, लेकिन मैं चाहता हूं कि जेल कमिशन तीस वर्ष के बाद जरूर कायम होना चाहिए ताकि हम भी उसी रास्ते पर चल सकें जिस पर दूसरे सिविलाइज्ड मुल्क चलते ह।

मैं टक्सेशन (करारोपण) के बारे में भी चन्द अल्फाज अर्ज करना चाहता हूं। आज शहरों में शिकायत ह कि इनकम टैक्स के सिलसिले में प्रापर्टी टैक्स और प्रोफेशनल टैक्स दोनों लगा दिये गए हैं। यह डबल टैक्सेशन है। आप इस का कोई इलाज कीजिए। हम देखते हैं कि देश के अन्दर गरीब आदमी के वास्ते कपड़ा महंगा होता जा रहा है, खुराक महंगी होती जा रही है, लोगों के अन्दर अनएम्प्लायमेंट (बेकारी) मौजूद है। जिन आदमियों ने आंखें खोल कर अपनी कांस्टिटुएन्सी में देखा है वह जानते हैं कि लोग जो शिकायत करते हैं वह दुरुस्त है। लोग यह जानते हैं कि बहुत जल्दी तरक्की नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी तरक्की की तरफ हमारा कदम तो उठना चाहिए। हम ने अम्बर चरखे का जिक्र बहुत सुना ह; हम इन्तजार कर रहेहैं कि गांवों के अन्दर यह अम्बर चरखा जाए और लोगों का अनएम्प्लायमेंट कम हो। लेकिन हमें पता नहीं है कि इस के बारे में क्या हो रहा है। मैं चाहता हूं कि आप की तवज्जह इस की तरफ जाए। आज देहातों के अन्दर बहुत बड़ी गरीबी और इल्लिटरेसी (निरक्षरता) है, इग्नोरेंस है। इस को देख सख्त हैरानी व मायूसी होती है—लकिन दो चीजों की बड़ी जरूरत है जो कि हमारे लिए गाइंडिंग स्टार की तरह से हैं, बिजली की तरह स नजर आती हैं और जो सब तकालीफ का हल करेंगी। हम लोगों से कहते थे कि भाखरा डैम के साथ हमारे यहां तरक्की शुरू होगी। पावर ज्यादा पैदा होगी, बिजली आएगी, रोड्स का नेटवर्क बनेगा, इस स ज्यादा तुम क्या चाहते हो, लेकिन हमें जो जवाब मिलता था वह तवज्जह के काबिल ह। जहां मैं गया वहां करप्शन (भ्रष्टाचार) की शिकायत सुनी। नहर के महकमे में करप्शम की जितनी शिकायत हमने सुनी उतनी अंग्रजों के जमाने में भी नहीं सुनी थी। मैं चाहता हूं कि इस करप्शन की तरफ हमारी तवज्जह हो। जब यह करप्शन दूर होगा तभीं मैं समझूंगा कि हम रामराज्य की तरफ जा रहे हैं।

एक चीज म ने लोगों में देखी। लोग गवर्नमट के साथ कोआपरेट (सहयोग) करने को तैयार हैं, जो सबक हमारी गवर्नमेंट देती है उस को मानने को तयार हैं। दूसरी तरफ मैं ने लोगों में जो चीज

[पंडित ठाकूर दास भार्गव]

देखी वह यह कि उन को गवर्नमेंट में यकीन है। वह समझते हैं कि गवर्नमेंट उन के साथ ठीक काम कर रही है और गवर्नमेंट में यकीन होने की वजह से ही बहुत से लोगों ने कांग्रेस पार्टी को वोट दिए हैं। इस लिए आज हमारा फर्ज बन गया है कि उन की तरफ तवज्जह दें। मैं चाहता हूं कि हम में से हर एक मेम्बर इस फर्ज को पहचाने और पार्लियामेंट हमें ऐसे रास्ते पर ले जाए जिस से हम अपने देश को पूरी तरह से समृद्ध बनाते जाएं और जो दिक्कतें हों वह दूर हों। लोग गवर्नमेंट के साथ कोआपरेट करने को तैयार हैं सिर्फ इन्तजार यह है कि हमारे मेम्बरान उन्हें रास्ता दिखाएं।

मुझे बहुत खुशी है और हम इस यकीन के साथ आए हैं कि हमारे देश के वास्ते बड़ा अच्छा फ़्यूचर है और इस के अन्दर सिर्फ हमारे काम करने की ही जरूरत है जिस से हम आगे बढ़ सकें और इससे हम पीछे नहीं रहेंगे, परमात्मा हमारी मदद करेंगे।

†**श्री अशोक मेहता** (भंडारा) : मैं वित्त मंत्री का बड़ा आभारी हूं कि उन्होंने मेरी प्रार्थना पर आय-व्ययक पर एक श्वेत पत्र जारी कर दिया है। पहले भाषण का 'क' भाग तथा 'ख' भाग पढ़कर सदस्यों को आय-व्ययक की आर्थिक पृष्ठभूमि को समझने में बड़ी कठिनाई होती थी। मैं चाहता हूं कि अगले आय-व्ययक में करारोपण प्रस्तावों के अतिरिक्त, शेष पर एक श्वेत पत्र निकाला जाये जो आय-व्ययक प्रस्तुत होने के कुछ समय पूर्व सदस्यों में परिचालित कर दिया जाये।

दो वर्ष अथवा डेढ़ वर्ष पूर्व से जनता अब आर्थिक समस्याओं पर अधिक ध्यान देने लगी है इसकी मुझे बड़ी प्रसन्नता है। गत वर्ष से हमारा ध्यान अन्य समस्याओं की ओर भी जाने लगा है तथा मैं उन समस्याओं को कम महत्वपूर्ण नहीं समझता हूं। ये समस्यायें राज्य पुनर्गठन की तथा सीमान्त संबंधी घटनायें हैं। परन्तु यदि हम अपना सारा ध्यान इन्हीं ओर लगाये रहेंगे और आर्थिक समस्या को ठीक नहीं रखेंगे तो मेरा विचार है हम उसके महत्व को पूर्णतया नहीं समझेंगे। मैं देश की आर्थिक स्थिति को सबसे बड़ी समस्या समझता हूं तथा सभा का ध्यान आर्थिक संतुलन जो श्वेत पत्र में अच्छी तरह दिखाया गया है की ओर दिलाना चाहता हूं।

आपको याद होगा कि अन्तरिम आय-व्ययक पर अपने विचार व्यक्त करते समय मैं ने वित्त मंत्री का तथा सभा का ध्यान आर्थिक संकट की ओर दिलाया था तथा माननीय मंत्री ने उसका उत्तर भी मुझे दिया था। परन्तु अब वह शब्द कहीं अधिक सत्य सिद्ध हो रहे हैं यद्यपि मैं ऐसा चाहता नहीं था। उस समय मेरे पास ये आंकड़े तथा तथ्य नहीं थे जो इस समय इस श्वेत पत्र से मुझे मिल गये हैं। इस श्वेत पत्र का अध्ययन करने से मालूम होता है कि हमारी अर्थ-व्यवस्था गलत रास्ते पर जा रही है। जो संकट भविष्य में आने वाला है उसका विचार करते ही मुझे रोमांच हो आता है। केवल मूल्य ही नहीं बढ़ रहे हैं अपितु हमारा उत्पादन भी कम होता जा रहा है। परन्तु हमें बताया जाता है कि हमको उत्पादन बढ़ाना है तथा बचत करनी है। गत दो वर्षों के उत्पादन देखने से पता लगता है कि उत्पादन बड़ी धीमी गति से हो रहा है। सरकार की वर्तमान नीति के परिणामस्वरूप न तो हमारी बचत बढ़ रही है तथा न ही खाद्यान्नों का संभरण बढ़ रहा है। हमें बताया गया कि अगले चार वर्षों में हमारा खाद्यान्नों का संभरण ६०० लाख टन से ८०० लाख टन हो जायेगा। मैं इस प्रश्न को बारबार यहां उठा रहा हूं कि यह किस प्रकार किया जायेगा तथा इसका उत्तर यही दिया जाता है कि यह नये लक्ष्य हैं, और हम आशा करते हैं कि ये पूरे कर लिए जायेंगे। परन्तु वित्त मंत्री के भाषण से मुझे यह पता नहीं लगा कि किस प्रकार पूरे किए जायेंगे। प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री को यह बताना चाहिए कि हम इस आर्थिक संकट को किस प्रकार दूर कर सकते हैं।

खाद्यान्न तथा कपड़ा ही आवश्यक वस्तुयें हैं और इन्हीं का पर्याप्त उत्पादन नहीं है। अब ऐसी स्थिति आ गई है जब हमें विदशी मुद्रा पर निभर रहना होगा और मैं नहीं जानता कि यह हमारे लिए कितना उचित होगा।

---

† मूल अंग्रेजी में।

मेरी यह समझ में नहीं आता कि हमारी कुल बचत में वद्धि क्यों नहीं हुई है। यह मुद्रास्फीति का समय है तथा मूल्य बढ़ रहे हैं। श्वेत पत्र में विभिन्न उद्योगों के लाभ के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा गया है। मैं नहीं जानता कि हमारी कुल बचत क्यों नहीं बढ़ी है। हमने पर्याप्त मात्रा में कर बढ़ा दिये हैं। मुझे नहीं मालूम कि हम और अधिक कर लगा सकते हैं अथवा नहीं। मैं नहीं जानता कि संसाधन किस प्रकार बढ़ाये जायेंगे तथा बचत किस प्रकार की जा सकती है। मेरा विचार है कि सभा सदस्यों को खाद्यान्न बढ़ाने तथा बचत बढ़ाने के लिए अपने निर्वाचन क्षेत्रों में आन्दोलन करना चाहिए।

मैंने पहले एक बार कहा था कि मजदूरों की मजदूरी बढ़ाई जाये परन्तु किसी ने भी मेरे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। हम सब कार्मिक संघ आदि के प्रतिनिधियों के साथ बैठ कर खाद्यान्न बढ़ाने आदि पर विचार करें तथा मिल कर प्रयत्न करें तो उत्पादन बढ़ाना संभव होगा।

विदेशी विनिमय की स्थिति बड़ी गंभीर है तथा हमें अपने आयात और निर्यात घटाने पड़ेंगे। कितने ही प्रस्ताव इसके बारे में रखे गये परन्तु जब तक समस्त देश इन कठिनाइयों पर ध्यान नहीं देगा मेरा विचार है कि हमारे लक्ष्य पूरे नहीं होंगे। हमें यह प्रयत्न करना चाहिए कि जनता स्थिति की गंभीरता को समझे।

पिछले तीन वर्षों की निरन्तर प्रार्थना के परिणाम स्वरूप न तो योजना मंत्री और न वित्त मंत्री ने इस सभा को यह बताया है कि सफल योजना के लिये क्या क्या चीजें आवश्यक हैं। पण्डित ठाकुरदास भार्गव ने अभी आवास व्यवस्था की आवश्यकता बताई है। मैं वित्त मंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि आर्थिक विकास के बुनियादी तत्वों का निर्माण करने वाले राष्ट्र के लिये क्या गृह-निर्माण पर धन व्यय करना संभव है।

कुछ समय पूर्व मैं ने कहा था कि जब तक उत्पादन नहीं बढ़ता है तब तक हम वेतन वृद्धि पर व्यय सहन नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार की विचार अभिव्यक्ति के लिये मेरी आलोचना की गई, किन्तु मेरा मत है कि यह उपयुक्त अर्थ-व्यवस्था थी। नगरों की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है। बड़े-बड़े नगरों की आबादी खूब बढ़ रही है और घरों की समस्या अत्यंत दुष्कर हो गई है। हमें इस समस्या पर एक सीमित रूप में विचार करना होगा क्योंकि गृह-निर्माण उत्पादी कार्यों के अन्तर्गत नहीं आता। इस प्रकार की दलील निर्मम प्रतीत होती है। लोगों को मकान न मिलने से कष्ट तो होता है, किन्तु हम पहले उन कार्यों की ओर ध्यान देना चाहिये जो आवश्यक हैं। खाद्यान्न और वस्त्र उत्पादन ऐसे ही विषय हैं।

किसी भी प्रजातांत्रिक देश में जनता की यह मांग सर्वथा न्यायसंगत है कि उन्हें रहने के लिये मकान चाहिये। और यदि आप गृह-निर्माण करेंगे तो फिर सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था का पूंजीगत आधार भी नहीं बनेगा। आप जनता को आवश्यक समस्या का ज्ञान करा कर उनका सहयोग प्राप्त कीजिये। अन्यथा विकास-कार्य भी रुक जायेगा और हमारी स्थिति एशिया के उन देशों के समान हो जायेगी जो अपने उद्देश्य से डगमगा गये हैं।

निर्वाचन में भाषायी विचारधारा ने प्रबल योग दिया है। एक सीमा तक यह उचित है किन्तु यदि इन राज्यों ने जनता की रोषपूर्ण और असन्तोषजनक भावनाओं को केन्द्रीय सरकार की ओर मुखरित कर दिया तो केन्द्रीय सरकार संभवतः इन मांगों की पूर्ति नहीं कर सकेगी। इसका परिणाम यह होगा कि देश में विध्वंसक वृत्तियां उत्पन्न होंगी। म यह नहीं कहता कि देश में एक भी ऐसा दल है जो जानबूझकर विध्वंसक कार्यों को बढ़ावा दे रहा है किन्तु विकास के पथ पर चरण रखते समय प्रायः ऐसे खतरे उत्पन्न होने की आशंका रहती है। अतः लोगों में एकता की भावना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिये समुचित पथ-प्रदर्शन की आवश्यकता है।

[श्री अशोक मेहता]

मैंने बहुधा प्रधान मंत्री से कहा है कि उन्हें एक पार्टी का नेता न होकर राष्ट्र का मार्गद्रष्टा होना चाहिये। प्रधान मंत्री देश म सौहार्द्र का अजस्र स्रोत प्रवाहित कर सकते हैं। आगामी पांच या दस वर्ष में हम जो कुछ करगे देश का भविष्य उसी पर निर्भर है। वित्त मंत्री ने इस दिशा में सही कदम उठाया है।

यह समस्या काश्मीर की समस्या से भी अधिक उत्कट है। यदि हम मिल जुल कर इसका सामना नहीं करते तो हमारे सामने निराशा की विस्तृत रेखा स्पष्ट है।

अब तो निर्वाचन प्रायः पूरे हो गये हैं। सत्तारूढ़ दल ने चुनाव जीत लिया है। अब हमें परस्पर सहयोग और सहकारिता के आधारपरदेश के निर्माण में जुट जाना चाहिये।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

†श्री तुलसीदास (मेहसाना—पश्चिम) : १९५५–५६ के बजट प्राक्कलन में १७ करोड़ का राजस्व सम्बन्धी घाटा था किन्तु अन्तिम लेखे से ४० करोड़ की बचत प्रकट हुई। उस वर्ष ५७ करोड़ रुपये का अन्तर था। इस प्रकार १९५०–५१ के पश्चात् प्रत्येक बजट में काफी गुंजाइश रखी गई है। राजस्व सम्बन्धी घाटे की पूर्ति और विकास-कार्यों पर खर्च का आधार लेकर वित्त मंत्री सदैव कर का अतिरिक्त बोझ थोपते रहे हैं। श्वेत पत्र से यह स्पष्ट मालूम होता है कि विकास व्यय पर प्रति वर्ष पन्द्रह प्रतिशत की कमी रहती है। वित्त मंत्री अपनी नैतिकता और स्पष्टवादिता के लिये विख्यात हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वह अधिक निश्चयबोधक बजट तैयार करें।

प्रत्येक व्यक्ति अपनी सामर्थ्य से अधिक काम करना चाहता है। इसी प्रकार राष्ट्र के कार्यों की भी सीमा है। इस सीमा को पार कर लेने पर सम्पूर्ण कठिनाइयां तिरोहित हो जाती हैं। वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय संकट इस बात का औचित्य सिद्ध नहीं करता कि हम इतने महत्वाकांक्षी कार्य आरम्भ करें। मुद्रा-स्फीति आदि के रूप में अस्थिरता स्पष्ट रूप से भासमान हो रही है।

योजना आयोग के एक परामर्शदाता श्री मून ने कहा था कि मूल परियोजनाओं पर प्रभाव डाले बिना पन्द्रह प्रतिशत खर्चा कम किया जा सकता है। मैं माननीय वित्त मंत्री से जानना चाहता हूं कि कि क्या उन्होंने इस प्रश्न पर विचार किया है।

श्वेत पत्र में बताया गया है कि योजना की कार्यान्वित के सम्बन्ध में सब से बड़ी कठिनाई विदेशी विनिमय की है। द्वितीय तिमाही में ४४·५ करोड़ रुपये की कमी[1] थी जो बाद के तीन महीनों में बढ़ कर ८१·४ करोड़ हो गई। कदाचित् चौथी तिमाही में यह और भी बढ़ जायेगी। मैं चाहता हूं कि वित्त मंत्री यह बात स्पष्ट करें कि इस वर्ष की प्रथम तिमाही की कमी तृतीय तिमाही से अधिक होगी याकि उतनी ही।

सब से बड़ी बात यह है कि विदेशी विनिमय की इस कठिनाई को कैसे दूर किया जाये। वित्त मंत्रालय इस संबंध में जो कार्यवाही कर रहा है उनका उल्लेख वित्त मंत्री ने अपने भाषण में किया है। मुझे विश्वास है कि यह कठिनाई काफी हद तक दूर हो जायगी। परन्तु यह समस्या अस्थायी नहीं है क्योंकि प्रत्येक वर्ष विकास व्यय बढ़ने के साथ साथ विदेशी मुद्रा की आवश्यकता भी बढ़ती चली जायेगी।

---

† मूल्य अंग्रेजी में

[1]Deficit

वित्त मंत्री का यह सुझाव बहुत अच्छा है कि मशीनों का आयात इस प्रकार किया जाय कि उनका मूल्य बाद में चुकाना पड़े। परन्तु इस से आयात किये जाने वाले संयंत्रों का मूल्य ४० या ५० प्रतिशत बढ़ जायेगा। जिसका भुगतान विदेशी मुद्रा में ही करना होगा। द्वितीय च वर्षीय योजना में १५०० करोड़ रुपये की मशीनों तथा मोटर गाड़ियों का आयात किया जाना है और यदि इसका कुछ अंश बाद में मूल्य चुकाने की शर्त पर खरीदा जाय तो परियोजनाओं की लागत बहुत बढ़ जायेगी और हमारी विदेशी मुद्रा की समस्या वैसी ही बनी रहेगी। यदि यह तरीका उन्हीं परियोजनाओं के लिये प्रयोग में लाया जाये जिन से हमें शीघ्र ही अतिरिक्त लागत से अधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी तो यह लाभदायक सिद्ध हो सकता है। परन्तु यह स्थायी हल नहीं है। माननीय मंत्री को इस पहलू पर विचार करना होगा।

विदेशी मुद्रा की समस्या वास्तव में बड़ी जटिल है। विदशी सहायता स इसका काफी समाधान हो सकता है। परन्तु इसमें भी बहुत सावधान रहना पड़ता है क्योंकि इस का हमारी वैदेशिक कार्यों की नीति पर, जो अभी तक स्वतंत्र और तटस्थ रही है, प्रभाव पड़ रहा है। वित्त मंत्री ने इस बात पर भी विचार किया होगा और मुझे विश्वास है कि वह मित्र देशों से सहायता प्राप्त करने का पूरा यत्न करगे।

विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के लिये आप यह भी चाहते हैं कि यहां जो परियोजनाय आरम्भ हो रही हैं उनमें विदशी लोग धन विनियोजित करें। परन्तु यह तभी सम्भव है जब उनके लिये कोई प्रलोभन हो। हमारी सरकार की वर्तमान आर्थिक नीति के होते हुए मुझे वि शी योग की कोई सम्भावना नहीं है। इस के लिये तो वित्त मंत्री को विचार करके ऐस हालात पैदा करने पड़ेंगे जो विदेशी पूंजी पतियों को आकर्षित कर सके।

भुगतान अवशेष की कठिनाइयों के अतिरिक्त दूसरा प्रश्न उपभोग वस्तुओं का है। श्री अशोक महता ने अभी अभी कहा कि योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये जनता में उत्साह की आवश्यकता है। यदि उन्हें पहले से बेहतर वस्तुयें नहीं मिलती हैं तो उनमें उत्साह पैदा नहीं हो सकता, सर्वाधिकारवादी देशों में हम ने देखा है कि सरकार बड़े बड़े कारखानों का निर्माण करती रही और उसने जनता के लिये उपभोग वस्तुओं की व्यवस्था नहीं की, जिसके परिणामस्वरूप वहां क्रान्ति हुई। हंगरी का उदाहरण हमारे सामने है। मैं यह नहीं कहता कि कारखानों की आवश्यकता नहीं है परन्तु जनता में उत्साह पैदा करने के लिये उसे उपभोग वस्तुयें नी होंगी। उनका जीवन स्तर ऊंचा उठाना होगा और कम से कम अनिवार्य वस्तुओं की व्यवस्था तो करनी होगी अन्यथा उत्साह के अभाव से हमारी योजनाओं में, चाहे वे कितनी ही अच्छी हों बाधायें पड़ेंगी और योजनाओं के बारे में देश भर में जो सजगता पाई जाती है वह ऐसे ही नहीं बनी रह सकेगी।

लोगों में अपने आप सहायता करने और परिश्रम करने की भावना तभी बनी रह सकती जब कि वे देखते हों कि उन्हें पहले से बेहतर वस्तुयें मिल रही हैं। लोगों की कपड़े और उपभोग वस्तुओं की मांग को कब तक सीमित रखा जा सकता है।

मैं वित्त मंत्री को बताना चाहता हूं कि बचत क्यों नहीं होती। इस श्वेत पत्र के पृष्ठ ५ कंडिका १५ में बताया गया है कि आर्थिक गतिविधियों और मूल्यों के बढ़ जाने के कारण बैंकों से लिया जाने वाला ऋण बढ़ गया है परन्तु यह स्पष्ट है कि विस्तार कार्य के लिये बैंकों द्वारा ऋण दिया गया है। इससे पता चलता है कि गैर सरकारी क्षेत्र के कार्यक्रम का वित्तपोषण करने के लिये निगमों की बचत अपर्याप्त है।

[श्री तुलसी दास]

अन्तरिम आय-व्ययक प्रस्तुत करते समय वित्त मंत्री ने यह विचार प्रकट किया था कि निगम क्षेत्र में जो बहुत सी संचित राशि हैं उसे व्यर्थ खर्च किया जा रहा है । इसीलिये उन्होंने गत वित्त विधेयक में एक निक्षेप योजना बनाई । इसमें स्पष्ट है कि निगम क्षेत्र में पर्याप्त बचत नहीं है । यदि प्रारम्भ में ही यह हालत है कि कहीं भी पर्याप्त बचत नहीं तो गैर सरकारी क्षेत्र में योजनायें कैसे कार्यान्वित होंगी जिन्हें पांच वर्ष में उपभोग वस्तुओं की एक निश्चित मात्रा का उत्पादन करना होगा । मैं इसका स्पष्टीकरण चाहता हूं । निक्षेपों के बारे में जो नियम बनाने के बारे में उन्होंने कहा था भी अभी तक नहीं बने । माननीय मंत्री ने यह आश्वासन दिया था कि वह उन निगमों से धन विनियोजन करने को नहीं कहेंगे जो पहले ही अपनी रक्षित निधि योजना की कार्यान्विति में लगा चुके हैं परन्तु आयव्ययक में ३० करोड़ रुपया निगमों और निगम क्षेत्र से प्राप्त करने का अनुमान लगाया गया है । यह हिसाब किस प्रकार लगाया गया है ।

आप जानते हैं कि निगमों को भी बैंकों से उधार लेना पड़ता है और बैंक निगमों की ७५ प्रतिशत आवश्यकता पूरी करते हैं । यदि यह ३० करोड़ रुपया तीन गुना हो जाता है तो उन्हें बैंक से ऋण नहीं मिलेगा ।

राज्यों को अधिक ऋण सहायता और अनुदान दे कर व्यय को बढ़ाया जा रहा है । पिछली बार मैं ने यह सुझाव दिया था कि राज्यों में अनुदानों और ऋण की जांच करने के लिये एक समिति नियुक्त की जानी चाहिये । हमें यह देखने का अधिकार है कि इस धन का योजना की आवश्यकताओं के अनुसार उपयुक्त रूप से खर्च हो रहा है या नहीं ।

हम सदा यह मांग करते रहे हैं कि जनता के प्रतिनिधियों द्वारा लेखे की जांच की जाय परन्तु इस विषय में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है । सभा को एक समिति नियुक्त करनी चाहिये जो निगमों के व्यय और उनके कार्यसंचालन आदि की जांच करे ।

अब मैं जीवन बीमा निगम के कार्यसंचालन के बारे में कुछ जानकारी चाहता हूं । यह निगम गत १ सितम्बर से काम कर रहा है । प्रतिवेदनों से पता चलता है कि जीवन बीमा कार्य ५० प्रतिशत से भी अधिक कम हो गया है । जीवन बीमा निगम का उद्देश्य लोगों की बचत को एकत्र करके उसे योजना के प्रयोजनों के लिये उपलब्ध करना था । अतः मैं जानना चाहता हूं कि राष्ट्रीयकरण करने के पश्चात् जीवन बीमा निगम को कितना कारबार मिला है । क्या पुराना कारबार चल रहा है ? आय व्ययक में जो आंकड़े दिये गये हैं उन से करों के कुल संग्रह में कोई वृद्धि दिखाई नहीं देती । इसका क्या कारण है ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : मेरे माननीय मित्र स्वयं एक व्यापारी हैं । क्या मैं उन से एक बात पूछ सकता हूं ? क्या वह अधिक धन कमाने के साथ साथ अधिक कर नहीं दे रहे हैं ? उन्हें स्वयं मालूम होना चाहिये ।

†**श्री तुलसीदास** : मैं तो उन आंकड़ों के आधार पर कह रहा हूं जो मेरे सामने हैं । विशेषकर प्रत्यक्ष करों में कोई तुलनात्मक वृद्धि दिखाई नहीं देती । इसका क्या अर्थ है । जब कर बढ़ गये हैं तो वह उसे कम क्यों दिखाते हैं ? मैं यह बात स्पष्ट कराना चाहता हूं । गत पांच या छः वर्ष के आय व्ययकों तथा प्राक्कलनों के व्यय तथा राजस्व दोनों गलत रहे हैं । आशा है कि वित्त मंत्री ये बातें स्पष्ट कर देंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री दी० चं० शर्मा (होशियारपुर) : पिछड़े हुए क्षेत्रों के मामले पर पंडित ठाकुर दास भार्गव ने भली भांति प्रकाश डाला है। मैं अब एक एसे क्षेत्र के मामले पर प्रकाश डाल रहा हूं जो कि न ही केवल पिछड़ा हुआ है, अपितु सीमान्त क्षेत्र भी है। पंजाब में वैसे तो फीरोजपुर जिला, अमृतसर जिला तथा गुरुदासपुर जिला तीनों ही सीमान्त क्षेत्र हैं, परन्तु गुरदासपुर जिले की स्थिति विशेष असाधारण है। इस जिले की सीमाएं पाकिस्तानी सीमा से बिल्कुल स्पर्श करती हैं। मेरा यह सुझाव है कि भारत के सभी सीमान्त क्षेत्रों की ओर विशेष ध्यान दिया जाये। इन क्षेत्रों के विकास का काम राज्य सरकारों पर न छोड़ा जाये। उनका विकास करना केन्द्रीय सरकार अपनी जिम्मेवारी समझे। ये क्षेत्र भारत के प्रवेश द्वार हैं, और यहां की जनता के हौंसले पर ही शेष भारतीय जनता का धीरज तथा हौंसला निर्भर करता है।

केन्द्रीय सरकार के सभी मंत्रालय और विशेषकर प्रतिरक्षा मंत्रालय तथा योजना मंत्रालय इकट्ठे मिल कर इन क्षेत्रों के विकास के बारे में विचार करें। वैसे तो सरकार ने कई अत्यन्त सुन्दर बड़ी बड़ी योजनायें तथा परियोजनायें बनाई हैं। जिनकी हम भूरी भूरी प्रशंसा करतें हैं। परन्तु उन सभी योजनाओं में देश की छोटी इकाइयों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। इसलिये योजना मंत्रालय से मेरा यही कथन है कि वे योजनायें इस प्रकार से बनायें जिससे बड़ी इकाइयों के साथ ही साथ छोटी इकाइयों की ओर भी पूरा ध्यान दिया जाये ताकि जन साधारण का भी विकास हो सके। यह सच है कि हमने बड़ी बड़ी योजनायें बनाई हैं, परन्तु उनसे जन साधारण का प्रत्यक्षतया कोई भी हित नहीं हो सकता, उनसे छोटे छोटे इलाकों का कुछ भी स्थानीय हित नहीं हो सकता। अतः योजना मंत्रालय ऐसी योजनाएं बनाए जिनसे देश के सभी राज्यों का विकास हो सके, केवल राज्यों का ही नहीं अपितु उनके प्रत्येक जिलों का और प्रत्येक जिले के प्रत्येक भाग का विकास हो सके। जब तक वैसा न किया जायगा, तब तक जन कल्याणकारी राज्य की धारणा अस्पष्ट तथा कल्पनामात्र ही रहेगी।

हम छोटे स्थानों की उपेक्षा सी करते आये हैं। राष्ट्र पिता गांधी जी यह कहा करते थे कि "योग तो छोटी छोटी वस्तुओं की पूर्णता में ही निहित है।" अतः द्वितीय पंच वर्षीय योजना में हमें छोटे गांवों और छोटी छोटी परियोजनाओं की ओर मुख्य ध्यान देना चाहिये। अपने निर्वाचन क्षेत्र का दौरा करते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा कि वहां पर गन्दी बस्तियों की अवस्था इतनी शोचनीय है कि उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। मैं योजना मंत्रालय से यह पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने इन गन्दी बस्तियों को साफ करने और वहां पर रहने वाले हरिजन भाइयों की दशा को सुधारने के सम्बन्ध में कभी विचार भी किया है? जब भी हम इस प्रकार की समस्या की ओर ध्यान देते हैं, हमारा ध्यान केवल बड़े बड़े शहरों और बड़े बड़े नगरों की ओर ही जाता है, हमारा ध्यान छोटे नगरों और गांवों की ओर जाता ही नहीं। हमने यह जिम्मेदारी राज्य सरकारों को सौंप दी है, और राज्यों में भी यही त्रुटि है, अर्थात् छोटे गांवों तथा छोटे स्थानों के विकास की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता।

इन में स कुछ एक गन्दी बस्तियों को मैं ने अपनी आंखों से देखा है, और यह भी देखा है कि उन बेचारों की अवस्था कितनी शोचनीय है। कई स्थानों पर जनता की दशा अमानवीय दशा की कोटि तक पहुंच गई है। ऐसी एक गन्दी बस्ती पठानकोट के निकट है। मैं हैरान हूं कि वे लोग अपना काम कैसे करते होंगे।

हम देश में प्रत्येक राज्य में औद्योगिक क्षेत्र[१] स्थापित कर रहे हैं। पंजाब में केवल एक स्थान लुधियाना में ही ऐसा क्षेत्र स्थापित किया गया है, जब कि अन्य स्थानों पर भी ऐसे क्षेत्र खोले जाने चाहियें। उदाहरणार्थ बटाला में ढलाई सम्बन्धी उद्योग अच्छी प्रकार से चल सकता है, वहां पर एक

---

†मूल अंग्रेजी में

[१]Industrial estates

[श्री दी० च० शर्मा]

औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किया जा सकता है। एक ऐसी रीति सी बन गई है कि हम सदा बड़े स्थानों के बारे में ही सोचते हैं, छोटे स्थानों की ओर कोई ध्यान नहीं देते। परन्तु बड़े स्थानों पर स्थापित किये गये औद्योगिक क्षेत्र छोटे स्थानों के लिये किसी भी लाभ के नहीं। मैं चाहता हूं कि छोटी इकाइयों की ओर पूरा पूरा ध्यान दिया जाये।

मेरे माननीय मित्र ने बताया है कि मकान बनाने के कार्य को प्राथमिकता न दी जाये। मैं उनसे सहमत नहीं। मकानों को प्राथमिकता दी जाये, और कम से कम गन्दी बस्तियों की सफाई की ओर तो अवश्य ध्यान दिया जाये। लोगों को दूसरी कठिनाई पीने योग्य जल की है, और विशेष कर मेरे निर्वाचन क्षेत्र में तो यह कठिनाई और भी अधिक है। मैं योजना मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि उन्होंने इस दिशा में क्या किया है ? क्या उन्होंने इस सम्बन्ध में तथ्य एकत्रित किये हैं ? यह एक अत्यन्त भयंकर समस्या है, और जब तक इस समस्या को हल न किया जायेगा जब तक हम जनकल्याणकारी राज्य की स्थापना न कर सकेंगे।

यह सच है कि सामुदायिक परियोजनाओं ने देश की ग्रामीण जनता के हित में बड़ा भारी काम किया है, उन्होंने देश में भमि सुधार सम्बन्धी एक क्रांति उत्पन्न कर दी है, और यह संभव है कि द्वितीय योजना के अन्त तक ये सामुदायिक परियोजनाएं तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजनाएं सारे देश में छा जायें। परन्तु इस सम्बन्ध में मैं यह पूछना चाहता हूं कि इन सामुदायिक परियोजनाओं को किस आधार पर बांटा गया है ? आप यह उत्तर देंगे कि इस का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों को सौंप दिया गया है। मै चाहता हूं कि इस कार्य का उत्तरदायित्व केन्द्रीय सरकार अपने पास ही रखे, और देश के समस्त भागों के लिये स्वयं ही परियोजनाएं बांटें, और यह वितरण बराबरी तथा न्याय के आधार पर किया जाये।

ये सामुदायिक परियोजनाएं जनता को एक नयी आशा प्रदान करती हैं। योजना मंत्रालय इस बात के लिये प्रयत्न करे कि द्वितीय पंच वर्षीय योजना काल के अन्दर ही ये सामुदायिक परियोजनाएं तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजनायें सम्पूर्ण देश में फैल जायें। और इस कार्य को हमें शीघ्रातिशीघ्र करने का प्रयत्न करना चाहिये।

हमारी सब से बड़ी समस्या बाढ़-समस्या है। यह सच है कि इस दिशा में कुछ किया जा रहा है, परन्तु यह काम बड़ी धीमी गति से हो रहा है,। इस काम को शीघ्र गति से नहीं किया जा रहा है। मेरा विशेष निवेदन सीमान्त क्षेत्रों के सम्बन्ध में है। ऐसे क्षेत्रों में बाढ़ नियन्त्रण के सम्बन्ध में शीघ्रातिशीघ्र कोई ठोस कार्यवाही की जाये।

अन्तिम बात मैं आय की उच्चतम सीमा के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। यह ठीक है कि इस दिशा में उचित कार्यवाही की जा रही है, परन्तु हमें एक और समस्या की ओर भी ध्यान देना है, और वह है, न्यूनतम आय-स्तर। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण समस्या है जो कि न ही केवल गैर-सरकारी क्षेत्र में अपितु सरकारी क्षेत्र में भी परिव्याप्त है, इसलिये इस समस्या को हल करना अनिवार्य है। इस समस्या को हल किये बिना हमारा देश एक कल्याणकारी राज्य कहलाने का पात्र नहीं है। मेरा यह निवेदन है कि एक न्यूनतम आय सीमा निर्धारित की जाये, और वह सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों ही क्षेत्रों में लागू की जाये। मैं चाहता हूं कि इस समस्या की ओर सर्वप्रथम ध्यान दिया जाये।

अन्त म मैं एक बार फिर यह निवेदन करता हूं कि सीमान्त जिलों की ओर विशेष ध्यान दिया जाये और उनकी जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार स्वयं ले ले।

श्री राधा रमण (दिल्ली नगर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस साल के बजट को पेश करते वक्त हमारे वित्त मंत्री जी ने हमें यह बतलाया है कि नए टैक्स लगाने के बारे में जो तजवीजें हैं उनको वह मई में इस हाउस (सभा) के सामने रखेंगे । इससे पहले कि मैं अपने वित्त मंत्री जी को इस बजट के लिए बधाई दूं मैं दो चार बातें उनके सामने पेश करना चाहता हूं ।

सब से पहले तो मुझे यह अर्ज़ करना है कि आज हमें आजादी मिले हुए कोई १० साल हो गए हैं । आजादी मिलने से पहले हर हिन्दुस्तानी के दिल में यह खयाल था कि आजादी मिलने के बाद भारतवर्ष में एक नए युग का प्रारम्भ होगा और उसका जीवन आरामदेह जीवन बन जाएगा । इस से भी इन्कार नहीं किया जा सकता कि जब से हिन्दुस्तान आजाद हुआ है उस वक्त से लेकर अब तक हमारी सरकार ने बहुत सारे बड़े बड़े काम किए हैं और उन पर किसी भी हिन्दुस्तानी को गर्व का अनुभव हो सकता है और हमें उन पर फख्र है भी । लेकिन एक बात जो हमें नजर आती है वह यह है कि आप किसी भी गांव में चले जायें, किसी भी शहर में चले जायें, किसी भी इलाके में चले जायें लोगों के दिमागों पर, उनके दिलों पर, उनके चेहरों पर वह खुशी का इजहार नहीं है और वह रौनक नहीं है जिनके कि नक्शे हम आजादी मिलने से पहले खींचा करते थे । यह ठीक है कि पहले पांच साला प्लान (योजना) के दौरान में बहुत सारे काम पूरे हुए हैं और दूसरे प्लान के मातहत भी हम एक बहुत भारी रकम खर्च करने जा रहे हैं और उन मदों पर खर्च करने जा रहे हैं कि जिन मदों के जरिये हम यह महसूस करते हैं कि लोगों को जो इस मुल्क के अन्दर रहते हैं, आराम मिलेगा, वे कुछ शान्ति और संतोष का अनुभव करेंगे । लेकिन यह बात समझ में नहीं आती कि क्या वजह है कि बावजूद इसके कि हम आजादी मिले हुए दस साल हो गए हैं, जब हम गुरबत का खयाल करते हैं तो हम कोई बड़ा फर्क नहीं पाते और जब हम बीमारी का खयाल करते हैं तो भी कोई फर्क नहीं महसूस करते हैं । वैसी ही गुरबत आज है जसी पहले थी और वैसी ही बीमारी आज है जैसी पहले थी । हमारी जो जरूरतें और तकलीफें आजादी के पहले थीं वे आज भी वैसी की वैसी बनी हुई हैं । उनमें हम कोई एप्रिशियेबल (विशेष), कोई ज़ाहिरा फर्क महसूस नहीं करते हैं । इस वास्ते सब से जरूरी बात यह है कि हम आम जनता को यह महसूस करायें कि उनको आज़ादी मिलने के बाद एक किस्म की राहत और एक किस्म का संतोष हासिल हुआ है ।

[**श्री बर्मन** पीठासीन हुए]

हम रुपया खर्च करते जा रहे हैं, टैक्सेज (कर) भी बढ़ाते जा रहे हैं और हमारे बजट भी हर साल बढ़ते ही जाते हैं लेकिन क्या वजह है कि इन सब के बावजूद हम इस तरफ जो नतीजे देखना चाहते थे वे हासिल नहीं हुए हैं । यह काम हमारे वित्त मंत्रालय और वित्त मंत्री जी का है और मैं चाहता हूं कि वे इस मसले पर बहुत गम्भीरता और संजीदगी के साथ विचार करें । उन्हें सोचना है कि जो स्कीमें और जो प्रोजेक्टस (परियोजनायें) कामयाबी से पूरे होते हैं उनसे जो लोगों को खुशी होनी चाहिये वे क्यों नहीं हो रही है और क्या कारण है कि लोगों को संतोष और राहत का अनुभव नहीं हो रहा है । इस सिलसिले में मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि आपने जो बहुत सारी प्रोजैक्टस को हाथ में लिया है और उन पर आप जो लाखों और करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, वह जिस ढंग से करते हैं और जिस अमले की मार्फत करते हैं, उसको देखकर बहुत ज्यादा परेशानी भी होती है और दुःख भी । कहीं पर तो रुपया पानी की तरह बहाया जाता है और उसको अगर सही ढंग से खर्च किया जाए तो काफी बचत हो सकती है और इस रुपये का इस्तेमाल दूसरे जरूरी कामों में किया जा सकता है और कहीं पर ऐसा होता है कि खज़ाने में मंजूरशुदा रुपया पड़ा भी रहता है लेकिन न मालूम किन कारणों से वह रुपया

[श्री राधा रमण]

उन हाथों तक नहीं पहुंचता जिन तक उसे पहुंचना चाहिये । इसका नतीजा यह होता है कि लोगों की परेशानी काम रहती है । इस खामी को दूर करने के लिए मैं कोई मशीनरी की तजवीज़ तो आप के सामने नहीं रखना चाहता मगर मैं इस तरफ वित्त मंत्रालय का और वित्त मंत्री जी का ध्यान अवश्य खींचना चाहता हूं, क्योंकि मैं समझता हूं कि हमें रुपये की आवश्यकता है, हम चाहते हैं कि मुल्क के अन्दर ज्यादा से ज्यादा खर्च करके, ज्यादा से ज्यादा अच्छे नताइज निकलें । लेकिन अगर हम रुपया खर्च करते जायें और इसी ढंग से करते जायें और उसका पूरा पूरा फायदा उन लोगों को, जिन के लिए उसे मंजूर किया गया है, न पहुंचायें तो इसमें कोई शक नहीं है कि हमको बाद में अफसोस ही होगा । इसका एक नतीजा यह भी निकलेगा कि इस रुपये का फायदा जिन लोगों को मिलना चाहिए जब उनको नहीं मिलेगा तो उनकी तकलीफ वैसी की वैसी कायम रहेगी जिस के नतीजे के तौर पर उनकी चिन्ता और उनका असन्तोष वैसे का वैसा बना रहेगा । मैं समझता हूं कि इस तरफ हमें अवश्य ध्यान देना चाहिए । जो रुपया गवर्नमेंट मंजूर करती है और जिन महकमों के लिए मंजूर करती है, उसे खर्च करते वक्त हमें इस बात का खयाल रखना चाहिए कि इसमें हम ज्यादा से ज्यादा किफायत किस तरह कर सकते हैं और जो वेस्टेज (रुपये की बर्बादी) है, जो फिजूलखर्ची है, उसको किस तरह से रोक सकते हैं । ऐसी मदों में रुपया खर्च करने से, जिन से कि आम लोगों की हालत कुछ बेहतर हो सकती है, उनके अन्दर खुशी की लहर दौड़ सकती है, उनको संतोष मिल सकता है, उनको राहत मिल सकती है, हमें पीछे नहीं रहना चाहिए और ऐसे एतराज नहीं उठाने चाहिये जो टैक्निकल हों या जो बेमानी हों और जिन से रुपया खजाने से निकालने में देरी लगती हो और इस रुपये को खर्च करने में रुकावट पैदा होती हो । इस तरफ मैं वित्त मंत्रालय का और वित्त मंत्री जी का ध्यान खास तौर से दिलाना चाहता हूं क्योंकि मैं देखता हूं कि खजाने में रुपया पड़ा रहता है और चूंकि कोई छोटा सा टैक्नीकल एतराज उठ जाता है जिससे रुपया निकाला नहीं जा सकता है और जिस काम के लिए उसे खर्च करना होता है वह नहीं हो पाता है । दूसरी तरफ ऐसे केसेज होते हैं कि जहां पर रुपया खर्च करने की आवश्यकता भी नहीं होती वहां पर इसे पानी की तरह बहाया जाता है और यह कोशिश की जाती है कि इसे ३१ मार्च के पहले पहले खर्च कर दिया जाए । ये दोनों चीजें खराब हैं और ये दोनों चीजें अच्छे नतीजे निकालने में बाधक होती हैं । इस वास्ते हमें कोई ऐसा तरीका, ऐसा कोई साधन, ऐसा रास्ता निकालना चाहिए कि जिस से एक तो रुपया किफायतशारी से खर्च हो और दूसरे जहां रुपया मौजूद है और सैंकशन भी है, उसे हम छोटे-छोटे टैक्नीकल एतराज उठाकर रोके न रखें बल्कि हमदर्दाना तरीके से, सीधे और सरल तरीके से उसे उस मद पर खर्च करने में मदद दें जिस के लिए कि उसे सैंकशन किया गया है ।

हमारी आमदनी का एक बहुत बड़ा जरिया टैक्स हैं और उनमें सेल्स टैक्स (बिक्री कर) से भी एक बहुत बड़ी राशि वसूल होती है । सेल्स टैक्स के बारे में एक बहुत बड़ी जद्दोजहद हमारे मुल्क में होती रही है । इस पार्लियामेंट के अन्दर इस सिलसिले में हम ने एक बिल भी पास किया था और उस वक्त यह चीज भी बहस मुबाहिसे में आई थी । यहां यह पास हुआ था कि सेल्स टैक्स सैंटर (केन्द्र) वसूल करे और इंटर स्टेट सेल्स टैक्स प्रदेश करें । इससे तिजारत पेशा लोगों को बहुत तकलीफ होती है और साथ ही कंज्यूमर (उपभोक्ता) को भी तकलीफ होती है, और इसका निवारण होना चाहिए । यह टैक्स लेना और देना काफी तकलीफदेह होता है । इस चीज को देखते हुए यह तजवीज़ की गई थी कि बजाय इसके कि सेल्स टैक्स और इंटर स्टेट सेल्स टैक्स व्यापारियों से वसूल किया जाए यह बेहतर होगा कि जहां सोर्स (उत्पादन केन्द्र) है, वहीं पर इसे वसूल कर लिया जाए । मिसाल के तौर पर अगर आप कपड़े पर सेल्स टैक्स लेना चाहते हैं

तो बेहतर होगा कि मिल में ही ले लें और साथ ही साथ अगर उस पर कोई और टैक्स लगाना चाहते हैं जैसे एक्साइज टैक्स (उत्पादन शुल्क) या इंटर स्टेट सेल्स टैक्स, वह सब वहीं पर वसूल कर लें और व्यापारी से अलग अलग कर के न लें। यह बहुत झगड़े वाली बात है। मुझे कई मिसालें मालूम हैं जहां पर इसको लेकर खरीददार और दुकानदार में झगड़ा हुआ है। व्यापारी कहता है कि १० रुपये के कपड़े पर दो आने या चार आने या दस आने सेल्स टैक्स होता है जिसे कि खरीददार को देना है लेकिन खरीददार यह कहता है कि यह बिक्री कर तो है नहीं सेल्स टैक्स है और इसे व्यापारी को ही देना चाहिए और मैं नहीं दूंगा। व्यापारी कहता है कि अगर आप से मैं यह कर नहीं लूंगा तो मैं हकूमत को कैसे दूंगा।

गरज़ यह कि हमारा यह तरीका एक ऐसा तरीका है कि जिसमें कोई आराम नहीं मिलता। व्यापारी विक्रेता तथा खरीदार सभी दुख उठाते हैं। अगर इन सारे टैक्सों को जमा करके एक ही जगह यानी उत्पादन के केन्द्र में वसूल कर लें तब मैं समझता हूं कि यह बहुत सारी तकलीफें जो व्यापारियों या खरीददारों को होती हैं, उनमें कमी हो सकेगी। इस सिलसिले में शायद आप लोगों को यह मालूम होगा कि दिल्ली में एक बहुत बड़ा एजिटेशन (आन्दोलन) इस सिलसिले में हुआ था और चुनाव के दौरान हमें बहुत ज्यादा शिकायत इस सिलसिले में अपने व्यापारी भाइयों की सुननी पड़ी और किसी को कुछ हासिल न हुआ। अगर हम गौर करें तो हमें ऐसा महसूस होता है कि हम कोई ऐसा तरीका अख्तियार नहीं करना चाहते जिससे आम लोगों की तकलीफ कम हो और शिकायत दूर हो। एक बात जो सरकार के दिमाग में बैठ जाती है, उसी पर अमल होता है। मैं यह चाहता हूं कि इस तरफ कुछ ध्यान दिया जाय और ऐसा करने से कोई नुकसान गवर्नमेंट को नहीं होगा बल्कि फायदा होगा। मैं जानता हूं कि हजारों रुपये सेल्स टैक्स के व्यापार मंडियों में नहीं दिये जाते, दुकानदार लेता नहीं और देने वाला देता नहीं। अगर यह सब टैक्स उत्पादन केन्द्रों पर लग जाया करे तो सरकार उस सूरत में सारी रकम वसूल कर सके और व्यापारियों को आराम आये। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस तरफ हमारा वित्त मंत्रालय ध्यान दे और अगर यह तजवीज़ मुनासिब मालूम दे, व्यापारियों को भी और खरीददारों को जभी तो यह मंजूर कर लेनी चाहिए।

इस के बाद मैं यह देखता हूं कि हमारे मुल्क में आज दो किस्म की विचारधारा चलती है। एक विचारधारा वह है कि जिसे महात्मा गांधी जी ने हमारे मुल्क के सामने रखा था और दूसरी विचारधारा वह है जो मगरिब (पश्चिम) से हमारे मुल्क में आई और अभी तक क़ायम है। हमने कोशिश की है कि इन दोनों का संतुलन करें और उनके बीच का एक रास्ता अख्तियार करें। खयाल बड़ा नेक है और मैं समझता हूं कि हमारे मुल्क के हालात के मुताबिक़ भी है मगर मुश्किल यह है कि इन दोनों के बीच में आज हमारी सूरत कुछ ऐसी बनी हुई है कि न हम उस मगरिब के रास्ते से पूरा फायदा उठा सकते हैं और न हम उस अपने तरीके से जो कि बापू ने हमारे सामने रखा था और जिस तरीके पर कि वह हमारे मुल्क की हकूमत और शासन को चलाना चाहते थे। नतीजा यह निकल रहा है कि न हम इधर हैं और न उधर हैं, कोई बीच का रास्ता हम सही तौर पर अख्तियार कर सकें, यह बहुत मुश्किल नज़र आता है।

हम देखते हैं कि हम ने अलग अलग मैदान में मसलन् कौटेज इडस्ट्रीज (कुटीर उद्योगों) की बाबत हमने फैसला किया कि बहुत सारा रुपया इसमें लगाया जाय और जहां मशीनरी को हौंसला दिया जाय या प्रोत्साहन दिया जाय वहां छोटे छोटे घरेलू धंधों या कुटीर उद्योगों को भी प्रोत्साहन मिले, मगर हम यह देखते हैं कि हमारी जो कुटीर उद्योगों की या घरेलू धंधों की पालिसी है वह भी बहुत लड़खड़ाया करती है। इसमें हमारा कोई विश्वास है या नहीं, उसको

[श्री राधा रमण]

हम बड़े दिल से और बड़ी लगन से करें और अपना जी जान लगायें। ऐसा भी नजर नहीं आता और दूसरी तरफ जो मगरिब (पश्चिम) का तरीका है, जो साइंस का बढ़ता हुआ तरीका है, उस की ओर भी हम पूरी लगन से काम नहीं करते। मेरी राय यह है कि इस सिलसिले में जहां हम खर्च करते हैं वहां हम खास किस्म के ऐसे लोग जो सुयोग्य हों, काम करें और जिनके मन में लगन हो, उस किस्म के आदमियों को हम पैदा करें। हमें ऐसे सुयोग्य और एक्सपर्ट्स काम करने के लिए चाहियें जो इनमें संतुलन कर सकें और इन दोनों तरीक़ों में जो हमारी पालिसी है उसको पूरी तरह अमल में लायें। मैं ने यह देखा है कि गवर्नमेंट कुटीर उद्योग के लिए या घरेलू धंधों के लिए हर साल रुपया देती है और जब कुछ लोग जो इसमें विश्वास रखते हैं और काम को चलाते हैं तो उनके रास्ते में अनेक दिक्कतें रखी जाती हैं जिसका नतीजा यह होता है कि जो आदमी काम करते हैं उनको बहुत दफा मायूसी होती है और उनको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है यहां तक कि कुछ तो काम ही छोड़ बैठते हैं। मैं कहता हूं कि इस मामले में हमारी गवर्नमेंट की पालिसी (नीति) बिलकुल साफ हो जानी चाहिए और जो उसका अमला है, जो सरकार के मुलाजिम हैं उनको यह हिदायत हो जानी चाहिए कि जो लोग किसी एक तरीके पर काम करते हैं, उनकी वह पूरी तरीके से मदद करें। ऐसा न होने से नतीजा यह होता है जैसा कि मैं ने आप से कहा कि न तो कुटीर उद्योग और घरेलू उद्योग पनप पाते हैं और न हम पश्चिमी ढंग की तरफ उतनी तेजी से काम कर पाते हैं जितनी तेज़ी से हम को करना चाहिये।

चौथी बात मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि जब हकूमत हमारी उसमें बनाई हुई मौजूद है और वह एक आजाद और खुदमुख्तार हुकूमत है लेकिन आज भी हम यह देखते हैं कि हमारी जो सर्विसेज हैं उन सर्विसेज में छोटे छोटे डिस्क्रिमिनेशन (भेद-भाव) यानि भिन्नता दिखाई देती है जिसकी कि वजह से बहुत सारे मुलाजमीन और कर्मचारी शिकायत रखते हैं। जैसे आपने पहले फ़र्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड और फोर्थ ग्रेड के कर्मचारियों के वास्ते पहले एक सर्विस कानून बनाया हुआ था, अब आपने दूसरा सर्विस कानून बनाया है और होता यह है कि कहीं तो किसी मुलाजिम को पुराने तरीके पर रखा जाता है तो किसी को नये तरीके पर रखा है और जिसकी वजह से उनको शिकायत होती है। पुराने तरीके वाला मुलाजिम या नये तरीके वाला मुलाजिम नुक़सान उठाता है। मैं समझता हूं कि इन सारी सर्विसेज में जो असमानताऐं और भिन्नताएं हैं, उनको दूर करना चाहिए ताकि जो मुलाजिम हमारी सरकार की सेवा करता है या उसमें रहता है उसको किसी किस्म की इनजस्टिस (अन्याय) या अनफेयरनेस (अनुचित बात) नजर न आये। बहुत सारे मुलाजिमों को जिस वक्त नियुक्त किया जाता है उस वक्त उनके साथ कुछ फेवर (पक्षपात) हो जाता है या रिआयत दिखा दी जाती है, खैर उसको तो छोड़िये लेकिन मैं कहता हूं कि जो भी कानून बनायें और जो भी तरीका सर्विसेज के लिए अख्तियार करें, उसमें कोई अनजस्टिस और कोई अनफ़ेयरनेस नहीं रहनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे केसेज हैं जिनके कि मेमोरेंडम (ज्ञापन) या रिप्रेजेंटेशन्स (अभ्यावेदन) हुकूमत के पास भेजे जाते हैं, उनको जल्द से जल्द तय किया जाय और यह डिस्क्रिमिनेशन की जो शिकायत मुलाज़िमों की है, उसको दूर करना बहुत ज़रूरी है।

एक बात जो मैं आप से और अर्ज करना चाहता हूं वह दिल्ली से सम्बन्ध रखती है। दिल्ली सारे भारतवर्ष की राजधानी होने का गौरव रखती है और हूकूमत की ख्वाहिश यह है कि दिल्ली एक ऐसी मिसाल हमारे मुल्क के अंदर बने, एक ऐसा शहर या एक ऐसा राज्य बने कि जिसमें हर एक इन्सान को यह कहने का मौक़ा मिले कि वाक़ई वह एक ऐसी जगह है जहां पर

हर क़िस्म से एक आज़ाद हिन्दुस्तानी को जिस तरह रहना चाहिये वह रहता है और उसे तरक्की करने का हर क़िस्म का मौक़ा मिलता है मगर मुझे अफ़सोस इस बात का है कि बावजूद इसके कि हर साल हम यह मामला अपनी हुकूमत के सामने रखते हैं और यह बताते हैं कि दिल्ली जैसी नगरी में बहुत सारी कमज़ोरियां हैं और हमें शर्म आती है उन चीज़ों को देखते हुए, लेकिन वह अभी तक दूर नहीं हो पाईं। उनमें सब से अव्वल बात तो यह दिल्ली की गंदी बस्तियों की है। यह हमारी दिल्ली की गंदी बस्तियां, इनमें से कुछ तो १०० या ५० वर्ष से चली आती हैं और कुछ इनमें से ऐसी हैं जो नई बनती जा रही हैं। इन गंदी बस्तियों की बाबत मेरे भाई श्री डी० सी० शर्मा और पंडित ठाकुर दास भार्गव ने भी कुछ जिक्र किया है और मैं भी यह कहे बग़ैर नहीं रह सकता कि इन गंदी बस्तियों को देख कर किसी भी आज़ाद हिन्दुस्तानी का सिर नीचा हो सकता है। हमारी इस दिल्ली नगरी में ऐसी ऐसी गंदी बस्तियां मौजूद हैं जहां कि २४ घंटे में कुछ मिनटों के लिये भी सूर्य की किरणें नहीं आ पाती हैं। जहां चांदना नहीं है, बिल्कुल इस तरह के हैं जिन को ब्लेक होल्स कहा जा सकता है। वहां पर कोई आराम नहीं है, वहां पानी नहीं, वहां पाखाना नहीं। जो स्त्रियां वहां रहती हैं उन को एक एक और दो दो मील अपनी रोजाना की जरूरतों को पूरा करने के लिए जाना पड़ता है। मैं बार बार इस बात को सामने रखता हूं, मगर जो रकम इस के लिए रखी जाती है वह बिल्कुल नाकाफी होती है और उस से कोई सुधार कार्य भी नहीं हो सकता, गन्दी बस्तियों को दूर करने का सवाल तो दीगर है। दिल्ली में जमीनों को फ्रीज कर दिया गया है क्योंकि उस के वास्ते एक मास्टर प्लैन बनाई गई है। मास्टर प्लैन की बात सुनते सुनते पांच वर्ष गुजर गए। एक समय था जब कहा गया था कि वह बिल्कुल तैयारी पर है। छः महीने पहले थोड़ी उम्मीद दिलाई गई कि वह चालू होगा, लेकिन मास्टर प्लैन कब चालू होगा, किस तरह चालू होगा, यह बात नजर नहीं आती। इसलिए मैं अपने वित्त मंत्रि से अर्ज करना चाहता हूं कि अगर वह हिन्दुस्तान को और प्रगति की ओर ले जाना चाहते हैं तो उन को दिल्ली से ही उसकी शुरुआत करनी चाहिए क्योंकि दिल्ली राजधानी है, यह वह जगह है जहां वे ३६५ दिन रहते हैं। अगर वे दिल्ली को दुरुस्त नहीं कर सकते तो सारे देश को उन्नति की ओर ले जाने का उनका दावा बिल्कुल झूठा साबित हो जाएगा।

दिल्ली में पानी का यह हाल है कि साल में तीन चार महीने किसी किसी इलाक़े में पानी बिल्कुल नहीं मिलता। तिमंजिले पर तो पानी का चढ़ना नामुमकिन ही है, लेकिन नीचे भी ऐसी कई जगहें हैं जहां पानी नहीं मिलता। यमुना का पानी मई और जून के महीने में करीब करीब बिल्कुल सूख जाता है और शहर को पानी मुश्किल से मिलता है। नई दिल्ली में तो चूंकि यहां का इन्तजाम ख़ास किया जाता है, शायद इतनी दिक्कत न महसूस होती हो, लेकिन अगर आप पुरानी दिल्ली के इलाकों को देखें तो मालूम होगा कि वहां पर किस तरह से इंसानों को गुजर होती है जो कि वहां पर लाखों की तादाद में बसते हैं। कई वर्षों से यह बात सुनने में आ रही है कि यमुना का पानी बढ़ाया जाएगा, भाखरा-नगंल से पानी छोड़ा जाएगा, मगर वह भी नहीं आता है ताकि लोगों को कुछ आराम मिले। मैं समझता हूं कि इस तरफ तवज्जह देना बहुत जरूरी है।

बिजली के बारे में भी बहुत कुछ आश्वासन इस बात का मिला था कि भाखरा नगंल से हम को बिजली मिलेगी। दस हजार कीलोवाट मिलने के बाद यह फैसला हो गया कि अब जल्दी और बिजली मिलने वाली नहीं है। जो उम्मीदें हम लोग लगाए बैठे थे कि भाखरा की बिजली से दिल्ली में इंडस्ट्रियल ऐंटरप्राइजेज (औद्योगिक उपक्रम) बढ़ेंगी, उनको बिजली मिलेगी, वह भी जाती नजर आती है। मैं समझता हूं कि इस की तरफ भी हम लोगों को ध्यान देना चाहिए।

[श्री राधा रमण]

एजुकेशन (शिक्षा) के सिलसिले में बार बार यह कहा जाता है कि दिल्ली के अन्दर प्राइमरी एजुकेशन कम्पलसरी (प्रारम्भिक शिक्षा अनिवार्य) है, लेकिन एजुकेशन कम्पलसरी होने के बाद जितना रुपया खर्च होना चाहिए, वह नहीं होता है। कमेटियां कहती हैं कि हमारे पास रुपया नहीं है और केन्द्रीय सरकार कहती है कि हमारे पास रुपया नहीं है। हालत आज ऐसी है कि एक एक मदरसे में जहां २५ आदमियों के बैठने की जगह है, वहां ५०—५० आदमी बैठते हैं। फैक्ट्रियों की तरह से वहां पर दो दो शिफ्ट्स लगती हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि जो लोग वहां पढ़ते हैं उन्हें आप कैसे अच्छे नागरिक बना सकते हैं, खास कर राजधानी में, जहां आपकी जिम्मेदारी और जगह से ज्यादा है। इसलिए मैं यह अर्ज करूंगा कि जेनरल बजट के मौके पर ही हम इस किस्म के ख्याल अपने वित्त मंत्रालय को दे सकते हैं और यह कह सकते हैं कि इस तरफ उन की तवज्जह होनी बहुत जरूरी है क्योंकि अगर दिल्ली राजधानी में हम वह हालात पैदा नहीं कर सकते जो कि एक आज़ाद देश के लिए मुनासिब हों और कम से कम जरूरी हों, तो फिर देश के दीगर सूबों में और दीगर इलाकों में किस तरह हम यह उम्मीद कर सकते हैं कि वह हालात पैदा हो सकेंगे और हमारी पांच साला प्लैन कामयाब हो सकेगी, जिसे कि हम ने अभी चालू किया है और जिस पर हमारी बहुत सी उम्मीदें कायम हैं। आज दुनियां के सामने हम यह मिसाल रखना चाहते हैं कि हम बहुत तेजी से आइन्दा पांच सालों में अपने कदम बढ़ा सकेंगे लेकिन हम किस तरह से इस बात को पूरा कर सकेंगे यह देखना है।

मैं बहुत अदब से वित्त मंत्री से अर्ज करूंगा कि दिल्ली के मामले में जो तवज्जह अब तक की गई है वह बिल्कुल नाकाफी है और वह यहां की जरूरतों के मुताबिक नहीं है और इस पर उन को खास तौर पर ध्यान देना चाहिए।

सेठ अचल सिंह (ज़िला आगरा—पश्चिम) : अध्यक्ष महोदय, इस वक्त बजट पर जो जेनरल डिस्कशन (सामान्य चर्चा) चल रहा है उस के सम्बन्ध में मैं हाउस (सभा) के दो चार मिनट लेना चाहूंगा।

अभी यहां पर हाउसेज (मकानों) और स्लम्स (गन्दी बस्तियों) की चर्चा चल रही थी। हमारा भारतवर्ष बहुत बड़ा देश है और इस में करीब डेढ़, दो सौ वर्ष तक अंग्रेजों की हुकूमत रही। उन्होंने इस बात पर कभी ध्यान नहीं दिया कि जो गरीब आदमियों की बस्तियां हैं उन में कुछ तरक्की की जाए। वह तो हमेशा अपनी आसाइश के वास्ते और बड़े आदमियों की आसाइश के वास्ते काम करते रहे। साथ साथ जो शहरों में चुंगियां और कारपोरेशन थे उन्होंने भी बड़े आदमियों, बस्तियों और मोहल्लों का ज्यादा ख्याल किया, गरीब आदमियों की बस्तियों का खयाल नहीं किया। लेकिन चूंकि अब यहां गणतंत्र राज्य है, जनता का राज्य है इसलिए हमारे हाउस ने और कांग्रेस ने सोशलिस्ट पैटर्न आफ सोसाइटी का एक प्रस्ताव पास किया है और उस में यह निश्चय किया है कि वह गिरे हुए दलित वर्ग को उठाएगी और बड़े आदमियों को नीचे लाएगी, एक मध्यम वर्ग पैदा करेगी। यह बहुत खुशी की बात है लेकिन साथ ही बड़ा मुश्किल है कि ३६ करोड़ आदमियों वाले मुल्क में बहुत थोड़े समय में यह चीज़ पैदा की जाए। यहां पर जो सेकेन्ड फाइव इअर प्लैन है, उस में इस बात की गुंजाइश है और इस के वास्ते रुपया रखा गया है कि जो स्लम्स हैं या गन्दी बस्तियां हैं उन का सुधार किया जाए। इसी तरीके से अभी राधा रमण जी जिक्र कर रहे थे दिल्ली की बस्तियों का। मैं पूछना चाहता हूं कि जो आगरा शहर है, जो कि इंटरनैशनल (अन्तर्राष्ट्रीय) शहर है और उत्तर प्रदेश के पांच कबाल शहरों से में है,

वहां रोज सैकड़ों विदेशी और हजारों देशी लोग नगर को देखने के लिए आते हैं। लेकिन आगरा बहुत ही बैकवर्ड (पिछड़ा हुआ) है। इस सम्बन्ध में मैंने कई पत्र भी उत्तर प्रदेश सरकार और केन्द्रीय सरकार को लिखे कि वहां पर बहुत सुधार की जरूरत है क्योंकि जो विदेशी लोग वहां जाते हैं वह लोग बड़ा बुरा ख्याल ले कर जाते हैं। वहां के लिए अभी तक कोई प्लान नहीं है।

मैं आप को बतलाऊं कि पिछले २२ वर्षों से चुंगी का चुनाव वहां पर नहीं हुआ है, पंद्रह वर्ष से चुंगी सुपरसीडेड (चुंगी का प्रबन्ध सरकार ने अपने हाथ में ले रखा है) है। इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट बना, उस को भी खत्म कर दिया गया और अब एक ऐडमिनिस्ट्रेटर काम कर रहा है। वहां पर चौथाई बस्ती नालों में बसती है जहां स्लम्स हैं और उन की हालत इतनी गन्दी और बुरी है कि कोई आदमी वहां पर खड़ा नहीं हो सकता है। पता नहीं वे आदमी वहां किस तरह रहते हैं। चुनाव में जब हम जाते हैं तो वह कहते हैं कि आप हमारे प्रतिनिधि हैं, आप ने हमारे लिये क्या किया ? हमारा सिर नीचे झुक जाता है और हमें खामोश हो जाना पड़ता है। यह हालत बड़े-बड़े शहरों की है, छोटे शहरों की तो बात ही क्या है ? इसलिए मैं वित्त मंत्रालय से चाहूंगा कि वह इस बात पर जितना ध्यान कर सकता है करे कि जो स्लम्स हैं या गन्दी बस्तियां हैं उन की तरफ पूरी तवज्जह दी जाए ताकि हम ने जो प्रस्ताव पास किया है सोशलिस्ट पैंटर्न आफ सोसाइटी (समाजवादी प्रकार के समाज) का उसे हम पूरा कर सकें। मिसाल के तौर पर मैं आप को बतलाऊं कि जो काम राज्य सरकारें किया करती हैं वह किसी प्लैन से नहीं करती हैं और करती भी हैं तो वह पूरी नहीं होती। अभी आगरा में लेबर के वास्ते बारह सौ मकान बनाए गए हैं। दो वर्षों से वह मकान खाली पड़े हुए हैं। अगर उन का किराया १० रु० प्रति मकान भी रखा जाए तो बारह हजार रु० महीना होता है और लगभग डेढ़ लाख रु० सालाना होता है। उन मकानों में न बिजली है और न पानी है। इस तरह से हमारा रुपया वेस्ट होता है, जैसा कि हमारे पूर्व वक्ता बता रहे थे कि रुपया हमारे यहां पानी के मूल्य बहाया जाता है और लाभ उस से कुछ नहीं होता। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि वित्त मंत्रालय स्टेट (राज्य) सरकारों का ध्यान इस ओर आकृष्ट करे।

साथ साथ मैं सेल्स टैक्स के बारे में भी कहना चाहता हूं। सेल्स टैक्स के बारे में व्यापारी समाज में बड़ी उथल पुथल है क्योंकि हमारी जनता डाइरेक्ट टैक्स (प्रत्यक्ष कर) देने की आदी नहीं है। वह इनडाइरेक्ट टैक्स (अप्रत्यक्ष कर) दे सकती है। सेल्स टैक्स की वजह से बड़ी गड़बड़ी होती है। इसीलिए मैं ने पिछली मर्तबा हाउस में सुझाव दिया था कि इनडाइरेक्ट टैक्स होना चाहिए जो कि एक्साइज ड्यूटी (उत्पादन-शुल्क) के रूप में हो क्योंकि सेल्स टैक्स की चोरियां बहुत होती हैं और इनकम टैक्स की भी चोरी होती है। इसलिए जनता का भी नुक्सान होता है और गवर्नमेंट का भी नुक्सान होता है। इसलिए सेल्स टैक्स के बजाय एक्साइज डयूटी लगाई जाए तो इस से जनता को राहत मिलेगी और गवर्नमेंट को पूरा-पूरा रुपया मिलेगा।

† **श्री तेलकीकर** (नान्देड़) : आज आयव्ययक के सम्बन्ध में बोलते हुए मेरे हृदय में इस महान देश, उसकी समस्याओं और सरकार जिस ढंग से इन्हें सफलतापूर्वक हल करती है, उसके प्रति प्रशंसा का भाव उठ रहा है। शासन में गल्तियां निकालने का लोभ होते हुए भी मैं उस सर्वांगीण प्रगति की ओर से मुंह नहीं मोड़ सकता, जिस पर किसी भी सरकार को अभिमान हो सकता है। पिछले पांच वर्षों में संसद् और केन्द्रीय सरकार ने घरेलू तथा वैदेशिक, अनेक बड़ी कठिनाइयों पर विजय प्राप्त की हैं और इस पर मैं उन्हें हार्दिक बधाइयां देता हूं।

---

† मूल अंग्रेजी में

[श्री तेल कीकर]

कांग्रेस के चुनाव-प्रचार आन्दोलन के सिलसिले में मुझे गांवों में जाने का अवसर मिला है और मैं चाहता था कि मैं मतदाताओं को सरकार की विभिन्न सफलताओं के बारे में बताऊं । परन्तु मैंने देखा कि हमने जो बड़े-बड़े कार्य किये है, जो महान सफलतायें प्राप्त की हैं, गांवों के साधारण मतदाताओं को उनकी कोई जानकारी नहीं है और न वे उनके बारे में कुछ समझते ही हैं । गांव का आदमी तो सिर्फ एक चीज़ जानता है और वह यह है कि उसकी व्यक्तिगत रूप से कोई प्रगति हुई है या नहीं; और उसमें वह कोई परिवर्तन नहीं पाता । वह अपने परिवार में जाता है; वहां भी उसे कोई परिवर्तन आया नहीं दिखता । वह अपने गांव में जाता है—वह ज्यादा से ज्यादा वहीं तक जा सकता है—और उसे यदि वहां भी कुछ प्रगति नहीं दिखती तो वह कहता है कि कुछ भी प्रगति नहीं हुई है । गांव वाले यही कहते थे ।

ऐसा क्यों है ? मैं यह जानता हूं कि यद्यपि योजना आयोग ने कृषि, परिवहन और जीवन के अन्य सभी क्षेत्रों को विकसित करने और उनमें प्रगति लाने का बहुत प्रयास किया है, परन्तु वह गांवों तक नहीं पहुंच सका है । इसीलिये गांव वाले इन चीजों का महत्व नहीं समझ सके हैं । ऐसा सिर्फ इसीलिये है कि हमारे समाज के निम्नतम वर्ग के लिये, विशेष रूप से भारत के लाखों गांवों के असंख्य किसानों के लिये विकास का कार्य—सामुदायिक परियोजनाओं द्वारा किया जाता है—और इन सामुदायिक परियोजनाओं की अपनी ही दशा यह है कि उनमें कहीं भी आवश्यक प्रगति नहीं हुई है । सब से पहली बात यह है कि ये विकास-अधिकारी कौन है ? कभी-कभी किसी डिप्टी कलक्टर को विकास अधिकारी नियुक्त कर दिया जाता है परन्तु उसे गांवों में कोई दिलचस्पी नहीं होती । वह हमेशा बड़े बड़े शहरों में रहना चाहता है और रहता भी है । गांवों में वह कभी कभी ही जाता है । काम में उन्हें बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं होती और इसीलिये वे ठीक से काम नहीं कर पाते ।

फिर, विकास कार्य से सम्बन्धित इन विकास-विभागों की अपनी कोई योजना नहीं होती । उन्हें अपने लक्ष्य निश्चित कर उन्हें प्राप्त करने की चेष्टा करनी चाहिए । गांवों की अपनी अनेक प्रकार की समस्यायें होती हैं जिन्हें ये अधिकारी तभी हल कर सकते हैं जब कि ये गांवों में जायें और उनके सम्बन्ध में जांच-पड़ताल करें । गांव वाले उर्वरकों का प्रयोग नहीं जानते । यह नहीं जानते कि खेती करने के सुधरे हुए तरीक़े क्या हैं । इस तरह की चीजें ऐसी है जिनमें ये अधिकारी उनकी सहायता कर सकते हैं । लेकिन वहां कोई नहीं जाता । होता यह है कि जनता से सम्पर्क नहीं किया जाता, इन मामलों में उन से बिल्कुल भी राय नहीं ली जाती । उन पर योजनायें ऊपर से लाद दी जाती हैं और अफसरों के मनमाफिक ढंग से पूरी की जाती हैं । इसी कारण लोग योजनाओं की महानता और सामुदायिक परियोजनाओं की उपयोगिता को नहीं समझ पाते ।

फिर, ग्राम-सेवकों को लीजिये । इनसे यह आशा को जाती है कि ये गांवों में रहेंगे परन्तु मुझे यह कहते हुए खेद होता है कि एक भी ग्राम सेवक गांवों में नहीं रहता । क्यों ? इसलिये कि उन्हें वहां सिनेमा-थियेटर नहीं मिलते, उनकी पत्नियां गांवों में नहीं रहतीं जहां पानी की सुविधायें नहीं हैं, देखने के लिये अच्छी-अच्छी चीज़ें नहीं हैं और पढ़ने-लिखने की सुविधायें नहीं हैं । इसलिये ये लोग जिले के सदर-मुकाम में रहते हैं और जिस काम को करने के लिये इन्हें नियुक्त किया गया है उसे पूरा करने के लिये ये कभी-कभी गांवों में चले जाते हैं । इसके विपरीत यदि ये गांवों में ही रहें तो ये किसानों की अनेक समस्याओं सुलझा सकते हैं, गांव वालों को विभिन्न चीजों की उपयोगिता और उनसे होने वाले लाभ के बारे में बता सकते हैं । हमारी सरकार गांव के लोगों को

बहुत सी सुविधायें देना चाहती है, परन्तु क्योंकि ये लोग इन सुविधाओं का महत्व नहीं समझते हैं इसलिये ये उनसे लाभान्वित भी नहीं हो पाते हैं ।

इसलिये मेरा सुझाव यह है कि सरकार को यह हिदायतें जारी कर देनी चाहियें कि यदि कोई ग्राम-सेवक गांवों में ही नहीं रहेगा तो उसको वेतन नहीं मिलेगा ।

मुझे अधिक कुछ नहीं कहना है । मैं सरकार को उसकी सफलताओं के लिये पुनः बधाइयां देता हूं और मुझे आशा है कि मैं ने जिनका सुझाव दिया है वैसी हिदायतें जारी की जायेंगी ।

† **श्री मुहीउद्दीन** (हैदराबाद नगर) : हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना अत्यन्त सफलता-पूर्वक पूरी हो गयी है जिसके फलस्वरूप देश में बड़ी आर्थिक प्रगति हुई और वित्तीय स्थिरता आई ।

हमारी द्वितीय पंचवर्षीय योजना १९५६ में आरम्भ हुई । परन्तु दुर्भाग्यवश इस योजना के पहले ही वर्ष में हमारे देश की अर्थ व्यवस्था में असंतुलन आ गया है ।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना को सफलता भविष्य के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है । मैं जानता हूं कि वर्ष प्रति वर्ष योजना के व्यय में वृद्धि होती रही है । अधिक व्यय और अधिक नोट परिचालन के कारण देश की आर्थिक स्थिति पर बहुत दबाव पड़ा है । अतः वित्त मंत्री के समक्ष इस विकट स्थिति में यह समस्या है कि देश की अर्थव्यवस्था में अधिकाधिक पूंजी लगाते हुए स्फीति के प्रभाव को यथासंभव घटाया जाए । आशा है कि वित्त मंत्री के साहसपूर्ण कार्य से हम कठिनाइयों को दूर कर सकें ।

एक महत्वपूर्ण बात देश में कृषि उत्पादन में कमी के सम्बन्ध में है । १९५३–५४ में राष्ट्रीय आय में ६ प्रतिशत वृद्धि हुई थी जबकि १९५४–५५ में १.३ प्रतिशत वृद्धि हुई । इसका मुख्य कारण यह है कि कृषि उत्पादन में पहले वर्षों की तरह वृद्धि नहीं हुई । निस्सन्देह मौसम और असमय वर्षा के कारण देश के विभिन्न भागों में खरीफ की फसल नहीं हुई । परन्तु मैं आशा करता हूं कि कृषि मंत्रालय और वित्त मंत्रालय कृषि उत्पादन की प्रगति को बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे ।

हाल ही में सामुदायिक परियोजना मंत्रालय को कृषि मंत्रालय से मिला दिया गया है । मैं आशा करता हूं कि वे कोई ऐसी योजना बनाएंगे जिस से सामुदायिक परियोजना प्रशासन कृषि उत्पादन पर अधिक बल दे । जब तक सरकार के परामर्श से अपनाए गए सुधरे उपकरणों से कृषक को अधिक उत्पादन न मिले वह सामुदायिक और अन्य परियोजनाओं में अभिरुचि नहीं रख सकेगा ।

आज हमारे यहां जो मुद्रास्फीति है वह कुछ विदेशी कारणों से भी है । १९५५–५६ में सारे विश्व के बाजारों में तेज़ी आ गई थी जोकि वस्तुओं के अधिक उपयोग और अधिक विनियोजन के कारण पैदा हुई । भारत में भी वही स्थिति है और इस के कारण भी वही हैं ।

विश्व में फैली इस तेज़ी को एक महत्वपूर्ण बात यह है कि सस्ते धन का काल समाप्त हो गया है । ब्याज की दर बढ़ गई है, बैंक दरें बढ़ गई हैं और उधार की दरें बढ़ गई हैं । हमारी मुद्रा-स्थिति यह है कि धन का परिचालन बढ़ गया है परन्तु उस के अनुपात में बैंक निक्षेपों में वृद्धि नहीं हुई । बैंक सरकार को निंदा करते हैं कि लोगों की अतिरिक्त निधि को सरकार कर तथा बीमा निगमों जैसे अन्य संगठनों द्वारा खींच रही है परन्तु मैं आशा करता हूं कि गैर सरकारी बैंक लोगों से रुपया जमा करवाने के बारे में अधिक प्रयत्न करेंगे ताकि पेशगी रुपया देने के लिये स्थिति अच्छी हो जाये । वित्त मंत्रालय को इन बैंकों की ओर अधिक ध्यान देना चाहिये ताकि वे नई शाखाएं खोल सकें और देश की भलाई के लिए अधिक निक्षेप प्राप्त कर सकें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मुहीउद्दीन]

गत १।। वर्ष में राज्य पुनर्गठन के कारण द्वितीय पंचवर्षीय योजना की प्रगति में बाधा पैदा हुई है। अभी तक सेवाओं के पुनर्गठन, विधि व्यवस्था और आय-व्ययक निरीक्षण सम्बन्धी अनेक समस्याएं हल करनी बाकी हैं। पुनर्गठित राज्यों को द्वितीय पंच वर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में बहुत धक्का लगा है। केन्द्रीय सरकार को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिये। विशेषत आंध्र प्रदेश को बहुत घाटा हुआ है। उसकी पूर्ति तम्बाकू के उत्पादन शुल्क का कुछ भाग उन्हें देकर पूरा करना चाहिये। जब तक केन्द्रीय सरकार ऐसी समस्याओं के प्रति सहानुभूति नहीं दिखायेगी तब तक राज्य सरकारों की कठिनाइयां बढ़ती रहेगी।

जैसा कि वित्त मंत्री ने कहा है बचत उस विनियोजन के अनुसार नहीं है जो सरकारें देश के आर्थिक विकास के लिए कर रही हैं। मेरा सुझाव है कि जो भविष्य निधि योजनायें कारखानों के कर्मकारों के लिए चल रही वे जनता के अन्य विभागों में, दुकानों के कर्मचारियों और कर्मचारिवर्ग अधिनियम के अधीन काम करने वाले लोगों में भी लागू करनी चाहिये। इस से विकास प्रयोजन के लिए अनिवार्य बचत की बहुत राशि मिलेगी।

मैं आशा करता हूं कि इन सुझावों पर विचार किया जाएगा।

श्री देवगम (चैबस्सा रक्षित अनुसूचित आदिम जातियां) : मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे जनरल बजट के डिसकशन (चर्चा) में अपने कुछ विचार प्रकट करने का अवसर दिया। शायद इस पार्लियामट (संसद्) में यह मेरा आखिरी भाषण होगा क्योंकि मैं इस बार चुनाव में खड़ा नहीं हुआ हूं।

मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मैंन इन पिछले पांच वर्षों में हर एक स्पीच में आदिवासियों की समस्याओं और उनकी कठिनाइयों का जिक्र किया है। हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना में आदिवासियों की उन्नति करने के लियें अनेक योजनायें दी हुई थीं परन्तु उनमें से कोई भी स्कीम कार्य रूप में परिणत नहीं हुई।

यह प्रतिज्ञा की गई थी कि आदिवासियों को कुछ खनिज खोदने का भी हक़ दिया जाये लेकिन हम देखते हैं कि आज तक साधारण से साधारण खनिज जैसे पत्थर खोदना, यह साधारण काम भी हमारे भाइयों को नहीं दिया गया।

यह भी प्रतिज्ञा की गई थी कि ट्राइब्ल यूथ् (आदिवासी युवकों) को ट्रेन करने के लिये फारेस्ट (वन) स्कूल खोले जायेंगे और यह स्कूल आदिवासी क्षेत्रों में खोले जाने थे जिससे कि आदिवासी युवकों को वन रक्षा के विषय में उचित शिक्षण मिल सके, अपन वनों की रक्षा वे आप ही कर सकें और उससे फ़ायदा उठा सकें। लेकिन मुझे बड़े दुःख के साथ यह कहना पड़ता है कि भारत के किसी भी आदिवासी क्षेत्र में ऐसे फारेस्ट स्कूल नहीं खुले हैं। इन फारेस्ट स्कूलों के खोले जाने के सम्बन्ध में फर्स्ट फाइव इयर प्लान (प्रथम पंचवर्षीय योजना) के चैप्टर ३७ में जिक्र आया है।

फारेस्ट प्रोडक्ट्स (वनोत्पाद) का भी फायदा बाहर के ही लोग, आउटसाइडर्स (बाहर के लोग) ही उठाते हैं। फारेस्ट प्रोडक्ट्स के लीज़ होल्डर्स आउटसाइडर्स होते हैं। सवाय घास जिसे से कागज़ वगैरह बनता है, बांस, जिसका कि उपयोग सबको मालूम है, इन मेज़र प्रोडक्ट्स (उत्पाद) को निकालने वाले बाहर के ही लोग हैं और हमारे आदिवासी भाइयों को इन आउटसाइडर्स के यहां

कुलियों की हैसियत से काम करना पड़ता है और आज के दिन हमारे आदिवासी भाई बहुत गरीबी और कष्टमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बाज़ार भी बाहर वालों के पास हैं। यद्यपि बाज़ारों का नीलाम हर वर्ष होता रहता है लेकिन वे अपनी ग़रीबी के कारण इन बाज़ारों को नहीं ले सकते हैं। हम देखते हैं और यह कहे बगैर नहीं रह सकत कि इस सरकार ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे के आदिवासियों की आर्थिक अवस्था सुधरे ।

शिक्षा के विषय में भी हम देखते हैं कि जैसी उन्नति होनी चाहिये थी नहीं हुई है। हालांकि फर्स्ट फाइव इयर प्लान में कहा गया था कि आदिवासियों को बेसिक एजुकेशन उनकी मात्रभाषा के मीडियम से दी जाय मगर अभी तक एसा नहीं किया गया और न ही आदिवासी लेखकों को आदिवासी भाषाओं में टेक्स्ट बुक्स लिखने का प्रोत्साहन मिला। अब सेकेंड फाइव इयर प्लान में भी एक खास अध्याय है जिसमें कि बहुत सी प्रतिज्ञायें की गई हैं। इन प्रतिज्ञायों में एक बहुत महत्व की बात यह है कि सरकार यह महसूस करती है कि आदिवासियों के बीच में काम करने वाले सोशल वर्कर्स (सामाजिक कार्यकर्ता) आदिवासी ही होन चाहिये और उन को इस बार उचित शिक्षा दे कर, के, सामाजिक शिक्षण दे करके आदिवासियों को आदिवासी अंचलों में काम करने के लिये नियुक्त करने की सरकार ने प्रतिज्ञा की है ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

मैं देख रहा हूं कि जब प्रथम पंचवर्षीय योजना में सरकार द्वारा की गई प्रतिज्ञायें भी अभी पूरी नहीं हुई हैं तो मुझे डर लगता है कि सेकेंड फाइव इयर प्लान (द्वितीय पंचवर्षीय योजना) की प्रतिज्ञायें भी कहीं अपूर्ण न रह जांयें ।

हम देखते हैं कि किसानों की हालत अभी भी खराब है और वह पहले जैसी खराब है। उनके उत्थान के लिये बहुत से कार्य होते हैं यह सही बात है। सिंचाई की कुछ योजनायें चल रही हैं लेकिन फ्रूटफुल (लाभप्रद) नहीं होतीं। मैंने इस सदने में अपने भाषणों में यह कहा है कि हमारे पहाड़ी ज़िले सिंहभूमि की सिंचाई की योजना ऐसी होती है कि जो तालाब बनता है उस तालाब से पानी बाहर खेतों में नहीं जाता है और जिसका कि नतीजा यह होता है कि वह पानी तालाब की सिंचाई करता है खतों की नहीं। संक्षेप में मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे आदिवासी भाइयों की हालत जैसी की तैसी है। सरकार यह भी चाहती थी कि उन्हें अन्य उन्नत जातियों के स्तर पर उठा कर ले आंये । उन के स्तर, लिविग कंडिशन्स (जीवन स्थिति) को आगे बढ़ायें। लेकिन सरकार का अब तक जो काम हुआ है उस से मुझे डर लगता है कि उन की इतनी उन्नति नहीं हो सकेगी। इस कारण मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस आदिवासी कल्याण कार्य को आगे बढ़ाने के लिय उचित कदम उठायें। मैं देख रहा हूं कि अब तक जो काम हुआ है उस में केवल रुपयों की बरबादी हुई है। मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय इस की उचित व्यवस्था करेंगे।

†**डा० ज० न० पारिख** (झालावाड़) : माननीय वित्त मंत्री ने ठीक कहा है कि हमारी अर्थ व्यवस्था कठिन परिस्थिति में से गुजर रही है। खाद्यान्न और वस्तुओं के मूल्य बढ़ रहे हैं। परन्तु अर्थ व्यवस्था में और धन फैंकने से स्फीति का प्रभाव समाप्त नहीं होगा ।

वर्तमान वर्ष का पूंजी तथा राजस्व सम्बन्धी घाटा ३६५ करोड़ रुपये है। कर और नहीं बढ़ाया जा सकता। बाजार की वर्तमान परिस्थितियों में उधार लेने का कार्यक्रम नहीं चल सकता। हम विदेशी सहायता पर निर्भर नहीं रह सकते, अतः स्थिति पर विवेकतापूर्वक ध्यान रखने की आवश्यकता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[डा ज० व० पारिख]

बचत आशा के अनुकूल नहीं हुई। नोट परिचालन से बैंक निक्षेपों में वद्धि नहीं हुहीं ।

भारतीय बैंकिंग सन्था के सभापति ने शिकायत की थी कि उन पर दबाव डाला जा रहा है कि वे कुछ निक्षेप भारत के राज्य बैंक को हस्तांतरित कर दें और डाकघर के बचत बैंक में बचत जमा करें परन्तु इस से भी स्थिति नहीं सुधरेगी ।

गत वर्षों में हम देश और अपनी महत्वाकांक्षाओं के अनुकूल बुनियादी शिक्षा प्रणाली नहीं बना सके। राष्ट्रीय दृष्टिकोण और राष्ट्रीय भावना पैदा नहीं की जा रही। हमारी जन संख्या बढ़ रही है और अधिक स्कूलों, कालिजों और विशेषत: टेक्निकल कालिजों की आवश्यकता है ।

यह ठीक है कि द्वितीय योजना में औद्योगिक विकास को प्राथमिकता दी गई है। सरकारी और गैर सरकारी उद्योग क्षेत्रों सम्बन्धी वाद-विवाद व्यर्थ है। दोनों क्षेत्रों के कार्य की आवश्यकता है। उद्योग आरम्भ करने के लिये मंत्रालय को ५३ करोड़ रुपया दिये गये हैं। मैं समझता हूं कि यह पर्याप्त नहीं। सरकारी उद्योग क्षेत्र के उद्योगों को जहां तहां फैला देना चाहिये ताकि पिछड़े हुए क्षेत्रों का विकास हो सके ।

हमारा विकास विभाग अच्छा कार्य कर रहा है। उसे चाहिये कि वह गैर सरकारी उद्योग क्षेत्र का भी पथ-प्रदर्शन करे। उन्हें विभिन्न राज्यों का सर्वेक्षण करना चाहिये ताकि विभिन्न उद्योग उचित स्थानों पर स्थापित किये जायें। विदेशों से नमूने लेने की बजाय समन्वित प्रयास द्वारा एक नमूना विभाग स्थापित करना चाहिये ।

बड़े उद्योगों के लिये औद्योगिक वित्त निगम आदि संगठन हैं परन्तु, मध्यम और छोटे पैमाने के उद्योगों को अधिक उदार सहायता देनी चाहिये ।

हम देखते हैं कि प्राय: प्रत्येक मंत्रालय कुछ उद्योग चला रहा है परन्तु विभिन्न मंत्रालयों में समन्वय नहीं है। वे अपन संसाधनों, जन-शक्ति, उपसाधनों और टेक्निकल योग्यता को एकत्र कर सकते हैं। इस से अधिक लाभदायक काम हो सकता है ।

हमारी राष्ट्रीय रसायनिक और भौतिक प्रयोगशालायें लाभदायक काम कर रही हैं परन्तु उनकी गवेषणाओं के परिणाम लोगों को उपलब्ध कराये जाने चाहियें ।

अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र एक शतरंज के समान बना हुआ है जिस में बड़ी शक्तियों ने छोटे राष्ट्रों को मोहरों की तरह बना रखा है। हमारे सामने काश्मीर की गंभीर समस्या है अत: परिस्थिति के अनुसार हमें प्रतिरक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं का अत्याधिक ध्यान रखना चाहिये। यद्यपि हमारी सेना के जवान उत्साही हैं परन्तु उन के पास यंत्र भी होने चाहियें। मैं अनुभव करता हूं कि सेना, नौ बल, और वायु बल की ओर उचित ध्यान देने के लिये उन्हें तीन पृथक मंत्रालयों के अधीन रखा जाये ।

नौ बल और वायु बल के लिये आय-व्ययक में नियत राशि पर्याप्त नहीं। हमें आधुनिक यंत्रों से सुसज्जित होना चाहिये ।

स्वास्थ्य के क्षेत्र में यथासंभव प्रयास किया जा रहा है परन्तु कुछ और करना पड़ेगा। लोक स्वास्थ्य क्षेत्र में अर्थात नालियों, सफाई, जल संभरण आदि के बारे में, नगरों और गांवों दोनों में बहुत विकास की आवश्यकता है। एक अखिल भारतीय चिकित्सा संस्था बन रही है और आशा है कि वह लाभदायक गवेषणा कार्य करेगी ।

परिवहन के क्षेत्र में नौवहन का इतना विकास नहीं हुआ जितना होना चाहिये। यदि हमारे नौवहन का विकास हो जाये तो इसका बहुत लाभ होगा। हम जानते हैं कि विश्व के जहाजों के कारखानों के पास बहुत काम है। इसलिये हमें विशाखापटनम की तरह एक दो और कारखाने स्थापित करने चाहियें। इस से विदेशी मुद्रा की भी बहुत बचत होगी।

सड़क परिवहन के विकास की भी बहुत आवश्यकता है। यह अच्छा है कि योजना आयोग ने परामर्श दिया है कि अगले दस वर्ष के लिये सड़क द्वारा माल परिवहन का राष्ट्रीयकरण न किया जाये। हमें सड़कों के विकास के लिये राष्ट्रीय और राज्य सड़क बोर्ड बनाने चाहियें। वे, जैसा कि विदेशों का अनुभव है, बहुत लाभदायक प्रमाणित होंगे। इस के लिय पुल सर्वेक्षण की भी आवश्यकता है।

हमारे प्रशासन में सुधार की आवश्यकता है। भ्रष्टाचार, भेदभाव, पक्षपात और अकुशलता को समाप्त करना चाहिये।

†**श्रीमती जयश्री** (बम्बई उपनगर) : छोटी बचत योजनाओं से हम द्वितीय पंचवर्षीय योजना को कार्यन्वित करने के लिये लोगों से ५०० करोड़ रुपया एकत्र करने की आशा रखते हैं। इस योजना को लोकप्रिय बनाने के लिये बहुत प्रचार की आवश्यकता है। लोग कहते हैं कि उन्हें बहुत देर तक ब्याज के लिये प्रतीक्षा करनी पड़ेगी जब कि बैंकों से प्रतिवर्ष ब्याज मिलता है। अतः आवश्यकता यह है कि लोगों को इस में अभिरुचि हो।

शिक्षा तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रमों के प्रतिवेदनों की ओर निदेश करते हुये मैं माननीय मंत्री का ध्यान इस ओर दिलाना चाहती हूं कि लड़कियों की शिक्षा की ओर उपयुक्त ध्यान देना चाहिये और उन्हें महिला संस्थाओं और महिला कालिजों को रुपया देने में उदार बनना चाहिये।

मैं शिक्षा मंत्रालय को बधाई देना चाहती हूं कि उन्होंने प्रारम्भिक शिक्षा के अध्यापकों के वेतनक्रमों को बढ़ाने की योजनायें बनाई हैं। यह बहुत उत्साह जनक बात है।

मैं स्वास्थ्य सम्बन्धी योजनाओं के बारे में सभा का ध्यान आकर्शित करूंगी। श्री अशोक मेहता ने भी गन्दी बस्तियों को हटाने के बारे में कहा है। कुछ समय पहले जयपुर में एक समिति बनाई गई थी--उन्होंने यह कहा है कि शहर बड़े होने के कारण गन्दी बस्तियां बन जाती हैं। द्वितीय योजना में इसी कारण नगर योजनायें बनाने पर जोर देना चाहिये। नगरीय क्षेत्रों की ओर हमने ध्यान नहीं दिया है। शहरों में मकानों की कमी के कारण लोगों को भीड़ में रहना पड़ता है। योजना के अनुसार उद्योग भी नगरों में खोले जायेंगे जिससे भीड़ भड़क्का और होगा और चरित्र की कमी होगी।

इसके बाद समाज कल्याण बोर्डों के कार्यक्रमों की ओर भी ध्यान दिलाना चाहती हूं। ग्रामीण क्षेत्रों में अनाथ बच्चों आदि की देख रेख सामुदायिक योजनाओं के जिम्मे है। किन्तु समाज कल्याण बोर्डों तथा ग्राम विकास संगठनों के कार्य में कोई समन्वय नहीं है। अब पता लगा है कि यह काम सामुदायिक योजनाओं से समाज कल्याण बोर्ड ले लेंगे। इस प्रकार स्त्रियों और बच्चों की ओर ज्यादा ध्यान दिया जायेगा।

हमने समाज सुधार के बारे में कुछ कानून बनाये हैं। समाज कल्याण बोर्डों की बाद में ध्यान रखने वाली समितियां भी कुछ न कुछ करेंगी इस कारण उन्हें अधिकार दिये जाने चाहियें। प्रतिवेदन से पता चलता है कि कई राज्य ऐसे गृह बनायेंगे इस कारण कर्मचारियों को उचित तरीके

† मूल अंग्रेजी में

[श्रीमती जयश्री]

का प्रशिक्षण देने के लिये भी कोई योजना बनाई जानी चाहिये। स्त्रियों तथा बच्चों की हिफाज़त करने वाले तमाम ग्रहों को पंजीवद्ध किया जाना चाहिये ताकि कोई जाली संस्था कायम न हो सके। गृह मंत्रालय इनके निरीक्षण का प्रबन्ध भी करे। इस समय ऐसे कई स्थानों पर इन गृहों में बदमाशी होती है।

दूसरी बात मैं लेडी हार्डिग मेडिकल कालेज के बारे में कहना चाहती हूं। मैं प्रार्थना करती हूं कि इस कालेज को केवल स्त्रियों के लिये ही रहने दिया जाये। सारे भारत में यही एक ऐसी संस्था है।

†**श्री रामचन्द्र रेड्डी** (नेल्लोर) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री के इस श्वेत पत्र से हमें देश की समस्त आर्थिक स्थिति स्पष्ट हो गई है। पहले हम घाटे की बजट व्यवस्था का ही पक्ष लेते थे किन्तु अब स्थिति स्पष्ट कर दी गई है कि यह तरीका कोई ज्यादा लाभदायक नहीं हैं। मैं समझता हूं कि मौजूदा वित्त मंत्री सब उलझनों को हल करने में सफल हो जायेंगे।

आगामी आयव्ययक में जो कर लगेंगे उसका सारा नक्शा अब हमारे सामने है।

एक बात मैं माननीय वित्त मंत्री से कहना चाहता हूं कि क्या यह संभव नहीं कि रेलवे तथा सामान्य आयव्ययक को मिलाकर एक ही आयव्ययक सभा के सामने रखा जाया करे। पहले तो बहुत सी गैरसरकारी कम्पनियां रेलवे चलाती थीं इस कारण उसका आयव्ययक पृथक् था किन्तु अब तो समस्त रेलवे सरकार के अधीन है। इस लिये अब कोई ऐसी जरूरत नहीं है। दो आयव्ययकों के होते हुये कुछ द्विविधा सी रहती है। और कुछ विभाग ऐसा समझने लगते कि रेलवे से कोई लिहाज किया जा रहा है जिस से विरोध की भावनायें उत्पन्न होने लगती हैं।

माननीय मंत्री ने संकेत किया है कि अगले वर्ष ३६५ करोड़ रुपये का घाटा दिखाया जायेगा। मैं उन्हें सुझाव देना चाहता हूं कि एक तो वह सारे विभागों के व्यय की जांच करें और दूसरे इस कमी को पूरा करने के तरीके निकालें। कई विभाग अपने व्यय के अधिक अनुमान लगाते हैं। वर्ष की समाप्ति पर उनके पास बहुत रकम बच जाती है। ऐसी बात प्रतिरक्षा विभाग में प्रायः होती है। पिछले वर्ष १ करोड़ रूपये की बचत हुई। इससे जाहिर होता है कि वहां ठीक-ठीक हिसाब नहीं लगाया जाता।

जहां तक घाटे की पूर्ति के तरीकों का सम्बन्ध है मैं कुछ सुझाव देता हूं जिन पर माननीय मंत्री पूरा ध्यान दें।

पहले तो राष्ट्रीय विस्तार योजनाओं में बचत की जा सकती है। इस योजना पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ३०० करोड़ रुपय का उपबन्ध है। मेरे विचार में १०० करोड़ रुपये की बचत की जा सकती है। प्राक्कलन समिति ने इस विषय में जांच की है।

यदि नमक पर दोबारा कर लगा दिया जाये और राजनीति में न जाया जाये तो १०० करोड़ रुपये की आय उस से भी हो सकती है। सरकार को भी इस बात का पता है। जो पुरानी भावनायें इससे सम्बन्धित हैं उन्हें भुला देना चाहिये। इससे किसी पर भी प्रभाव नहीं पड़ेगा।

तीसरा सुझाव मद्यनिषेध के बारे में है। राज्यों के सभी लोग जानते हैं कि यह नीति सफल नहीं रही है। गांव में घरों में शराब निकाली जाने लगी है। मैं यही कहना चाहता हूं कि कुछ

---

† मूल अंग्रेजी में

समय तक इस नीति को लागू न किया जाये और इसकी आय से लाभ उठाया जाये। मद्यनिषेध से घूसखोरी बढ़ी है।

वित्त मंत्री ने खाद्यान्नों के उत्पादन की निराशाजनक स्थिति बताई है। दो वर्ष हुये हमने देश में अनाज का उत्पादन बहुत कर लिया था। किन्तु बाद में उत्पादन गिरता ही गया। १९५३–५४ में ६८.८ मिलियन टन अनाज पैदा हुआ था और १९५५–५६ में उत्पादन घट कर ६३.४ मिलियन टन हो गया। हमारे यहां बहुत सी भूमि एसी है जिस पर खेती की जा सकती है। पानी की कोई कमी नहीं है—सरकार को विकास करना चाहिये। १९५३–५४ में सब लोग प्रसन्न हो गय थे कि सरकार ने अनाज की समस्या हल कर ली है। किन्तु उस वर्ष मौसम अच्छा रहा था और किसानों ने खूब मेहनत की थी। किन्तु अब सिंचाई साधनों की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस समय हम उद्योगों के विकास पर अधिक ध्यान दे रहे हैं। हमें चाहिये कि अनाज की समस्या की ओर पूरा ध्यान दें और उसका हल करें। उसके बाद किसी और बात को देखें।

मैं सिंचाई मंत्री का ध्यान सोमशील परियोजना की ओर दिलाना चाहता हूं। मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि वह वहां जाकर मौका देखें और देखें कि वहां सिंचाई की कितनी आवश्यकता है।

माननीय वित्त मंत्री ने कहा है कि कठिनाई रुपये की है। इस के बारे में निवेदन है कि इस परियोजना से १० लाख एकड़ भूमि की सिंचाई होगी और १५,००० किलोवाट बिजली तय्यार होगी। द्वितीय पंच वर्षीय योजना में इसे बाढ़ नियंत्रण योजना में स्थान दिया गया है। मैं चाहता हूं कि इसे साधारण योजना की भांति लिया जायें। सिंचाई मंत्री ने यह भी बताया कि अब पुनरीक्षित अनुदानों के अनुसार ८।। करोड़ रुपये इस पर व्यय होंगे। इससे बड़े लाभ होंगे। इसस १० लाख टन धान की पैदावार हो सकती है। सरकार को जरूर ही इस योजना को पूरा करना चाहिये।

इस पर व्यय को जाने वाली रकम को विकास उपकर लगाकर वसूल किया जा सकता है।

†**श्री उ० पू० त्रिवेदी** (चित्तौड़) : इस श्वेत पत्र से हम सब को देश की आर्थिक स्थिति समझने का अवसर मिला है।

माननीय वित्त मंत्री ने साफ तौर पर स्वीकार किया है कि इन हाल के वर्षों में हमारे अनाज का उत्पादन गिरा हो है।

हम प्रत्येक वर्ष करोड़ों रुपये अनाज मंगवाने के लिये खर्च करते रहे हैं। प्रबन्ध की यह दशा है कि यहां बहुत सा अनाज सड़ जाता है। मैं प्रार्थना करता हूं कि सरकार इस प्रकार की बातों को रोके।

दूसरी बात श्वेत पत्र में यह है कि थोक वस्तुओं की कीमतें बढ़ी ही हैं। १९३९ की तुलना में अब कीमतें चौगुनी हो गई हैं।

गत सत्र में योजना मंत्री मुझसे सहमत नहीं हुये—मैंने कहा था कि देश में प्रतिव्यक्ति आय नहीं बढ़ी। कीमतों की वद्धि को देखत हुये कोई भी यह नहीं कह सकता कि आय बढ़ी है। बल्कि १९३९ की तुलना में लोग गरीब हुये हैं। यदि किसी व्यक्ति को आय दुगनी हुई है तो खर्च चौगुना हुआ है। कुछ कर्मचारियों के वेतन साधारण तौर पर बढ़ाने से ही कुछ लाभ नहीं होता और यह पर्याप्त नहीं है।

† मूल अंग्रेजी में

[श्री उ० मू० त्रिवेदी]

हर रोज प्रयोग की जाने वाली चीजों के दाम भी बढ़े हैं। कपड़े की कीमत बढ़ गई है। हमें कीमतें घटाने का प्रयास करना चाहिये।

पहले वक्ता ने ठीक कहा कि ग्राम विकास योजनाओं में जो रुपया हम व्यर्थ खर्च कर रहे हैं उसमें बचत की जानी चाहिये। सरकार प्रचार आदि पर बहुत सा रुपया खर्च करती है—इस में बचत की जा सकती है। इस प्रकार के व्यय से कोई लाभ नहीं है।

यद्यपि मद्यनिषेध का मैं समर्थन करता हूं किन्तु जिस तरीके से यह लागू किया जा रहा है उस तरीके को मैं पसन्द नहीं करता। अहमदाबाद में चुनाओं के समय इस मद्यनिषेध की परवा नहीं की गई।

आप देखें बम्बई में क्या हो रहा है। मैं वहां अपने एक मित्र के साथ गया था। वहां देखा कि शराब खुले आम मिलती है। बाद में पता लगा कि पुलिस वाले रिश्वत लेकर ध्यान नहीं करते।

हमने अभी तक लोगों के नैतिक स्तरों की ओर ध्यान नहीं दिया है। हमें इस ओर अब ध्यान देना चाहिये। इसी कारण मद्यनिषेध की नीति सफल नहीं हुई है। 'ब्लिटज' में कई बार यह निकला है कि मद्यनिषेध नीति से पारसी जाति को बहुत हानि हुई है। इन लोगों पर कर लगाये जा सकते हैं और मद्यनिषेध की अभी क्या जरूरत है। कुछ वर्षों तक के लिये इस नीति को रोक दिया जाये।

दूसरे मैं पहले वक्ता से सहमत हूं कि नमक पर कर लगा दिया जाये क्योंकि अब हालात बदल चुके हैं। नमक पहले से महंगा ह। यदि एक रुपये चार आने प्रतिमन के हिसाब से कर लगाया जाये तो २६ करोड़ की आय हो सकती है।

मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री घाटे की बजट व्यवस्था में विश्वास नहीं करते। यदि उनका यही विश्वास है तो उन्हें सभी तरीकों से कमी पूरी करनी चाहिये।

अब हम पराधीन नहीं हैं इसलिये हमें घबराना नहीं चाहिये। तांगे वालों पर कर लगाकर उन्हें तंग करने से क्या लाभ है। छोटे छोटे लोगों को तंग करना लाभदायक नहीं है। जैसे हमने सीमा शुल्क की रुकावट दूर की है उसी प्रकार इन रुकावटों को भी पूरा किया जा सकता है।

मद्यनिषेध लागू करने से पहले हमें लोगों का नैतिक स्तर ऊंचा करना चाहिये।

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के अड़सठवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

†**श्री आल्तेकर** (उत्तर सतारा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के अड़सठवें प्रतिवेदन से, जो सभा में २१ मार्च, १९५७ को प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

यह प्रतिवेदन आज की कार्यावलि में जो संकल्प हैं उनके बारे में समय नियत करने के बारे में है। चाय उद्योग सम्बन्धी प्रथम संकल्प पर ढ़ाई घण्टे में से १४ मिनट लिये जा चुके हैं शेष समय अभी बाकी है। शेष तीन संकल्पों के लिये जो समय नियत किया गया है उसका उल्लेख प्रतिवेदन में है।

---

† मूल अंग्रेजी में

†**उपाध्यक्ष महोदय:** प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के अड़सठवें प्रतिवेदन से, जो सभा में २१ मार्च, १९५७ को प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

चाय उद्योग के राष्ट्रीयकरण के बारे में संकल्प-जारी

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब सभा श्री अ० क० गोपालन द्वारा १४ दिसम्बर, १९५६ को प्रस्तुत किये गये निम्नलिखित संकल्प पर आगे चर्चा करेगी :

"इस सभा की यह राय है कि चाय उद्योग में ब्रिटिश पूंजी का प्राधान्य राष्ट्र हित के लिये हानि कारक सिद्ध हुआ है और चाय उद्योग का तत्काल राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिये।"

इस संकल्प के लिये नियत किये गये डेढ़ घण्टे में से १४ मिनट पहले ही लिये जा चुके हैं और २ घण्टे १६ मिनट शेष हैं।

†**श्री अ० म० थामस** (एरणाकुलम) : श्री गोपालन द्वारा प्रस्तुत किया गया यह संकल्प बहुत महत्व का है। कुछ दिनों पूर्व, जब केरल विधान मण्डल में साम्यवादी दल को बहुमत प्राप्त होने की स्पष्ट आशा थी, श्री गोपालन ने एक घोषणा की थी कि केरल राज्य में साम्यवादी दल सबसे पहले बागानों का राष्ट्रीयकरण करेगा। पर उसके एक या दो दिनों बाद त्रावनकोर-कोचीन में श्री एम० एन० गोविन्दन नायर ने कहा कि "राष्ट्रीयकरण के बारे में हमने कोई निर्णय नहीं किया है। यह काम केन्द्रीय सरकार का है और यदि हम काइ कदम उठायेंगे तो धीरे धीरे उठायेंगे।"

अब हमें इस संकल्प पर विचार करना है। श्री गोपालन ने कहा कि चाय उद्योग में ब्रिटिश पूंजी का प्राधान्य राष्ट्र हित के लिये हानिकारक सिद्ध हुआ है जब हम इस बात पर विचार करेंगे कि ब्रिटिश पूंजी की प्रधानता से राष्ट्र हित को हानि हुई है तो हमें यह भी विचार करना पड़ेगा कि इस उद्योग का मूल विकास अंग्रेजों के उपक्रम के आधार पर ही हो सका है। अंग्रेजों को भी इससे लाभ हुआ क्योंकि भारत ब्रिटिश साम्राज्य की एक वस्ती था।

श्री गोपालन ने बताया कि बागान जांच समिति के प्रतिवेदन के अनुसार चाय उद्योग में कुल ११३.०६ करोड़ रुपये की पूंजी लगी हुई है जिसमें से ३५.८ प्रतिशत भारतीय तथा ६४.४ प्रतिशत अभारतीय पूंजी है। ७.८९ लाख एकड़ क्षेत्र ब्रिटिश हितों के अधीन है। इस उद्योग के विदेशी विनिमय से भारत को लगभग १४५ करोड़ रुपये की आय होती है। १९५६ में भारत ने १४०.६ करोड़ रुपये की ५,१६० लाख पौंड चाय का निर्यात किया।

इस उद्योग में लगभग १० लाख मजदूर काम करते हैं। प्लाईउड[1] उद्योग के ८२ प्रतिशत उत्पादन की खपत इस उद्योग में हो जाती है। २.५४ करोड़ रुपये की लागत के भारत में बने उर्वरक की भी खपत इस उद्योग में होती है।

अब हमें इसके राष्ट्रीयकरण के बारे में विचार करना है। यदि हम इसका राष्ट्रीयकरण कर देंगे तो उसका क्या परिणाम होगा? इस उद्योग में अनेक बुराइयां हैं पर उनको विधान बना कर दूर किया जा सकता है। चूंकि हमने समाज के समाजवादी ढांचे की नीति को स्वीकार कर लिया है इसका मतलब यह नहीं है कि हम प्रत्येक उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर दें।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Plywood.

[श्री अ० म० थामस]

चाय एक कृषि सम्बन्धी उत्पाद है अतः इसका राष्ट्रीयकरण करते समय हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिये कि इसका उत्पादन कम न होने पावे। केरल में साम्यवादी दल के एक चुनाव उद्देश्य पत्र[1] में भी यही कहा गया था कि साम्यवादी दल बागानों की अधिकतम सीमा इस प्रकार निश्चित करेगी कि उत्पादन पर कोई प्रभाव न पड़े। अतः राष्ट्रीकरण के प्रश्न पर विचार करते समय हमें यह भी देखना चाहिये कि इससे उत्पादन को लाभ होगा या नहीं।

मैं पोलेंण्ड के प्रधान मंत्री के एक प्रतिवेदन में दिये गये आंकड़ों के आधार पर यह कह सकता हूं कि जैसा कि उस प्रतिवेदन में दिया गया है, राज्य के नियंत्रण में आने पर कृषि उत्पादन में कमी पड़ जाती है। पर समाजवाद का आधार जैसा कि आप जानते हैं उत्पादन को बढ़ाना है।

मैं प्रधान मंत्री द्वारा ६ अप्रैल, १९४९ को दिये गये उस वक्तव्य की ओर सभा का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जिसमें उन्होंने बताया है कि हम भारत में विदेशी पूंजी के विनियोजन पर उन प्रतिबन्धों के अतिरिक्त अन्य कोई प्रतिबन्ध नहीं लगायेंगे जो भारतीय उपक्रमों पर लगाये गये हैं। साथ ही यदि राष्ट्रीयकरण के फलस्वरूप हमें विदेशी हितों को समुचित प्रतिकर देना पड़ेगा और हमें करोड़ों रुपये व्यय करना पड़ेगा। इससे हमारी द्वितीय योजना पर प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा ब्रिटेन हमारी चाय का सबसे बड़ा खरीददार है। १९५६ में हमने ब्रिटेन को ३६६.५ लाख टन चाय देकर १०० करोड़ रुपये की आय की है। अतः ब्रिटेन की पूंजी को हम निकाल नहीं सकते। ऐसी अवस्था में इस संकल्प को स्वीकार करना उचित नहीं है।

एक और बात की ओर मैं केन्द्रीय सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हमें चाय के उत्पादन के लिये अन्तिम लक्ष्य निश्चित कर लेना चाहिये। चाय बागान के विकास तथा चाय का उत्पादन बढ़ाने के लिये हमें कार्यक्रम बनाने चाहिये। चाय उद्योग में अधिक से अधिक श्रमिकों को रोजगार देने की बात पर भी केन्द्रीय सरकार को ध्यान देना चाहिये। यदि मालाबार तथा केरल दोनों में ठीक प्रकार से समन्वय करके चाय उद्योग का विकास किया जायेगा तो हजारों श्रमिकों को इस में काम मिल जायेगा। अतः सरकार को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिये।

†**डा० रामा राव** (काकिनाडा) : मैं इस संकल्प का समर्थन करता हू। इसके पूर्व मैं विदेशी संस्थाओं के राष्ट्रीयकरण के बारे में कुछ कहना चाहता हूं।

मैं यह नहीं कहता कि प्रतिकर न दिया जाये। उचित प्रतिकर देना चाहिये न कि आवश्यकता से अधिक जैसा कि केन्द्रीय सरकार ने कोलार की सोने की खानों के बारे में किया। मैसूर सरकार ने ७० या ८० लाख रुपये देने को कहा था पर केन्द्रीय सरकार ने उसका तीनगुना दिलाया।

सब लोग जानते हैं कि चाय उद्योग पर ब्रिटेन की संस्थाओं का प्राधान्य है। बागान जांच समिति के प्रतिवेदन में बताया गया है कि उत्तरी भारत के चाय के उत्पादन के ७५ प्रतिशत कर नियंत्रण कलकत्ते की १३ व्यापारिक संस्थाओं द्वारा किया जाता है। उसमें से ८५ प्रतिशत का फुटकर वितरण भारत में केवल दो बड़ी बड़ी व्यापारिक संस्थाओं द्वारा किया जाता है। यह संस्थायें प्रबन्ध अभिकर्ता, दलाल के रूप में भी काम करती हैं और इस पर सम्पूर्ण चाय उद्योग पर इनका एकाधिकार है।

हम लोग समझते हैं कि इन बागानों का प्रबन्ध बहुत अच्छा होगा पर बागान जांच आयोग ने बताया है कि इनका प्रबन्ध ठीक नहीं है। २५ प्रतिशत बागान पुराने तथा बेकार हो गये हैं उनको

---

[1]Election Manifesto

†मूल अंग्रजी में

फिर से लगाने की आवश्यकता है। इन में लगी १०० करोड़ रुपये की पुंजी में से ८० करोड़ रुपये की पूंजी विदेशी समवायों की है। इन में काम करने वाले १० लाख कर्मचारियों के लिये न तो चिकित्सा की और न अन्य प्रकार की ठीक व्यवस्था है ।

अतः यदि सरकार समझती है कि इस उद्योग के राष्ट्रीयकरण से हमारे राष्ट्र का हित होगा तो उसे इसका राष्ट्रीयकरण अवश्य करना चाहिये। ८० या ९० करोड़ रुपये का प्रतिकर हमें अवश्य देना पड़ेगा पर यह आवश्यक नहीं है कि हम नकद भुगतान करें। आय के अन्य साधनों के सम्बन्ध में वित्त मंत्री स्वयं सुझाव दे सकते हैं। मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं।

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री मुरारजी देसाई)** : श्रीमान्, मेरे कुछ माननीय मित्र बिना किसी विशेष कारण के उद्योगों के राष्ट्रीयकरण को बहुत आवश्यक समझते हैं। वे समझते हैं कि सारी समस्याओं का यही एक हल है। सरकार सिद्धान्तः न तो इसके पक्ष में है न इसके विरोध में। यदि राष्ट्रीयकरण से देश को लाभ है तो इस प्रश्न पर इसी दृष्टिकोण से विचार किया जाना चाहिये ।

हमें विचार करना है कि क्या चाय उद्योगों के राष्ट्रीयकरण से देश को लाभ होगा। मेरे मित्र ने कहा कि विदेशों के हाथों में तथा भारतीयों के हाथों जो भी चाय उद्योग है हमें उस सब का राष्ट्रीयकरण करना चाहिये ।

सबसे पहले हमें इस बात पर बिचार करना है कि क्या राष्ट्रीयकरण से उत्पादन में वृद्धि होगी क्योंकि यह आवश्यक है यदि हमें इस उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों के हितों का ध्यान रखना है। किसी ने भी यह नहीं कहा कि इससे उत्पादन में वृद्धि होगी बल्कि मुझे तो संदेह है कि उत्पादन इतना भी नहीं रह पायेगा अतः जब तक यह सब बातें निश्चित न हो जायें हमें इस मामले में खतरा मोल लेने की कोई आवश्यकता नहीं है।

ब्रिटेन के हाथ म जो चाय बागान है या विदेशियों के हाथ में जो चाय वागान हैं उनका उत्पादन भारतीयों के हाथ में जो चाय वागान हैं उनकी अपेक्षा अच्छा तथा अधिक ही है। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि विदेशी लोगों से इस उद्योग द्वारा शोषण किया जा रहा है। प्रस्तावक तथा किसी भी समर्थक ने यह नहीं बताया कि किस प्रकार भारतीय हितों का शोषण किया जा रहा है। पहले चाहे जो कुछ भी रहा हो पर अब इन बागानों में काम करने वाले श्रमिकों का शोषण नहीं हो रहा है बल्कि उनकी दशा दिनों दिन अच्छी होती जा रही है। पहले उनको ११ करोड़ रुपये दिये जाते थे अब उनको ४२ करोड़ रुपये दिये जाते हैं। अन्य सुविधायें भी बढ़ाई जा रही हैं। सरकार द्वारा बनाये गये विनियमों द्वारा भी इन श्रमिकों के रहन सहन की स्थिति तथा अन्य बातों में काफी सुधार होता जा रहा है। इन बागानों में लगभग २० लाख श्रमिक काम करते हैं। यदि हम राष्ट्रीयकरण करते हैं तो हमें विचार करना होगा कि क्या उन्हीं श्रमिकों को काम में लगाये रखा जाये। हमें इस प्रश्न पर विचार करना है कि किस प्रकार कार्य कुशलता को बनाये रखा जायेगा। हस्तान्तरण होने के समय, काफी संख्या में विशेषज्ञों और अन्य कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ेगी और हम उसी समय इनको नहीं जुटा सकेंगे। इसका फल यह होगा कि तुरन्त ही उत्पादन कम हो जायेगा और उससे इन बागानों और इन में काम करने वाले मजदूरों की रहन-सहन की दशा बिगड़ जायेगी। लेकिन इससे भी अधिक महत्वपूर्ण तो यह है कि हमें यह भी विचार करना चाहिये कि क्या इससे हमें अन्य कोई लाभ भी हो सकेंगे।

यदि हमारे पास कुछ अतिरिक्त पूंजी होती और हम उसका उपयोग इस ढंग से करना चाहते तो एक सीमा तक इसे उपयोगी भी माना जा सकता था। लेकिन, आज तो हम अपने देश में कुछ

† मूल अंग्रेजी में

[श्री मुरार जी देसाई]

शर्तों पर विदेशी पूंजी के विनियोजन की आवश्यकता महसूस कर रहे हैं, जिससे कि हमारे औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हो सके और वे तमाम उद्योग भी हमारे यहां खड़े किये जा सकें जिनकी हमें बड़ी आवश्यकता है। एक ओर तो हम उचित शर्तों पर विदेशी पूंजी का स्वागत कर रहे हैं, और दूसरी ओर हम उस पूंजी को परिसमापित करना और खरीद लेना चाहते हैं जो इस समय हमारे देश में विनियोजित है और जो हमारे देश में उत्पादन के हितों को लाभ ही पहुंचा रही है, हमारी कोई भी हानि नहीं कर रही है। मेरी समझ में नहीं आता कि इस विरोधाभास पूर्ण प्रणाली से हम क्या लाभ उठा सकेंगे। यह दूसरी बात है कि हम इस देश के वास्तविक हितों को न देखकर, केवल एक सिद्धान्त की ही पूर्ति करना चाहते हों।

चाय् उद्योग का प्रश्न कुछ बड़ा विचित्र सा है। हम अपने देश में चाय की कितनी खपत करते हैं उसके उत्पादन कर उससे कहीं अधिक भाग हम निर्यात करते हैं। इसीलिये, चाय उद्योग के हित में यही है कि निर्यात अधिक हो। उसकी स्थानीय खपत से हमें उतना लाभ नहीं होगा। हम जितनी चाय का निर्यात करते हैं, उसका काफ़ी बड़ा भाग इंगलैण्ड में खपता है। और यदि हम इंगलैण्ड के लोगों कों आपके बताये हुये तरीक़े से व्यवहार करें, तो मैं समझता हूं कि उससे हमारे निर्यात पर भी प्रभाव पड़ेगा ही; और निर्यात में कमी होने पर, इस देश के उन बागान में उत्पादन का वर्तमान स्तर भी गिर जायगा, फिर चाहे हम उनकी अन्य सभी शर्तें पूरी भी करते रहें। इसलिये, यह प्रश्न इस देश में चाय के विक्रय या उत्पादन के प्रश्न से सम्बन्धित ही है, और यदि हम इन दोनों प्रश्नों पर एक साथ विचार करें, तो इन बागानों पर अधिकार करने में हमें असुविधा ही दिखाई देगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इन बागानों को वर्तमान रूप में ही रहने देने और उन पर वर्तमान प्रकार से ही नियंत्रण रखने में हमारा हित है।

एक तर्क यह दिया गया था कि इन के कारण विदेशी हमारे देश से लाभांशों के रूप में बड़ी-बड़ी राशियां ले जाते हैं। यदि हम इससे सम्बन्धित आंकड़ों को देखें, तो हमें पता चलेगा कि १९५३ और १९५४ के गत दो वर्षों में २४७ समवायों को, कर अदा करने के बाद, कुल मुनाफा ११.०७ करोड़ रुपयों का हुआ था, जिसमें से लाभांश के रूप में कुल ३.०५ करोड़ रूपये बांटे गये थे; शेष सभी राशि रक्षित निधि में जमा कर दी गई थी और शेष मुनाफे इन समवायों के बागानों के सुधार में ही लगा दिय गये थे। १९५४ में, इन समवायों को, कर अदा करने के बाद, ११.७९ करोड़ रुपयों का कुल मुनाफा हुआ था, जिसमें से ४.०४ करोड़ रुपये लाभांशों के रूप में बांटे गये थे। इससे स्पष्ट है कि मुनाफे की अधिकांश राशि उद्योग में ही लगा दी जाती है, स्वामियों को लाभांशों के रूपों में बांट नहीं दी जाती। इसलिये, इस विषय में भी देश के हित में यही होगा कि इन बागानों का वर्तमान प्रबन्ध ही रहने दिया जाये।

दूसरा तर्क यह दिया गया था कि भारतीय लोग इन में से कुछ बागानों को बहुत अधिक मूल्य देकर खरीदते हैं। यह भी सही नहीं है। गत कुछ वर्षों में भारतीयों ने कुल ३२ बागान खरीदे थे, इनमे से १७ बागानों में तो पहले से अधिक उत्पादन हो रहा है और वे काफ़ी अधिक मुनाफे कमा रहे हैं। इसलिये, यह कहना भी ग़लत होगा कि उन्होंने उचित मूल्य से अधिक मूल्य देकर उन्हें खरीदा था। सरकार या कहना चाहिये कि चाय बोर्ड भी इन हितों की देखभाल करता है कि इनके लिये बहुत अधिक मूल्य अदा न किया जाये, या उनकी आस्तियों से अधिक मूल्य न दिया जाये, या उन बागानों की सम्भावनाओं को देखकर ही उनका मूल्य निर्धारित किया जाये। इस दृष्टिकोण से भी, उचित यही है कि मेरे माननीय मित्रों को आश्वस्त रहना चाहिये कि इस रूप में भी बागानों के स्वामियों को अधिक मूल्य नहीं दिया जाता। सरकार इसके सम्बन्ध म बड़ी

सतर्क रहती है कि कहीं इन बागानों को ख़रीदने के इच्छुक कुछ भारतीय लोग उनका बहुत अधिक मूल्य न दे बैठें। सरकार की अपनी जानकारी के अनुसार तो इस समय तक शायद इन बागानों की ख़रीद के किसी भी मामले में उचित राशि से अधिक अदा नहीं की गई है।

इसके साथ ही, हमें इनके राष्ट्रीयकरण पर व्यय होने वाली राशि पर भी विचार करना चाहिये। हम यह नहीं कह सकते कि हम बड़ी आसानी से इन बागानों को ख़रीद सकते हैं और उससे अन्य क्षेत्रों की हमारी आवश्यकताओं पर कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि हम इसमें लगने वाली राशि के सम्बन्ध में विचार करें, तो वह लगभग १८१ करोड़ रुपयों तक पहुंचेगी और इसके अतिरिक्त इन बागानों पर अधिकार कर लेने के बाद इनके लिये कार्य-वहन पूंजी की भी आवश्यकता पड़ेगी, जिसमें कम से कम १८० करोड़ रुपयों से कुछ अधिक तो लग ही जायेगा। यदि हम अपने देश के अन्य उपयोगी कार्यों के लिये इस इतनी अधिक राशि का उपयोग करें, तो हमें उन हितों को यह राशि देना उपयोगी नहीं होगा जो अन्य स्थानों पर ऐसे उद्योग खड़े करें। इससे देश के हितों को धक्का लगेगा। यदि हम इस वस्तु के निर्यात पर ही अधिक निर्भर रहें, तो हमें यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हम इसके लिये अधिक प्रतिद्वंद्वी भी पैदा न करते जायें। इस वस्तु का हमारे पास कोई एकाधिकार तो है नहीं, और न हम एकाधिकार स्थापित ही कर सकते हैं। इसलिये, हमें इस विषय में अधिक बुद्धिमानी से काम लेना चाहिये और राष्ट्रीयकरण की या अन्य किन्हीं सैद्धान्तिक धारणाओं के फेर में वास्तविकता को नहीं भुला देना चाहिये। हम समाजवादी ढंग का समाज स्थापित करने जा रहे हैं, लेकिन इसका अर्थ यह तो नहीं है कि हमें बुद्धिमानी से काम नहीं लेना चाहिये, या अपनी विचारधारा को वास्तविकता के अनुरूप नहीं ढालना चाहिये। हमें परिस्थिति के सभी पहलुओं पर विचार करना चाहिये और हर क्षेत्र में समृद्धि प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिये; हमें कोई ऐसा उपाय नहीं करना चाहिये जो किया तो जाये देश के हित के लिये लेकिन जिसका परिणाम उल्टा ही हो। इस मामले में, राष्ट्रीयकरण हमारे देश के लिये उपयोगी या लाभकारी होना तो दूर, एक आत्म-घात करने के समान ही सिद्ध होगा। माननीय सदस्यगण स्वयं ही तथ्यों को देखकर यह समझ सकते हैं।

कहा जाता है कि विदेशी हित हमारे देश को जकड़े हुए हैं। पता नहीं उन्होंने यह जकड़ कैसे जमा ली है, क्यों कि उस पर तो पूर्ण रूप से हमारा नियंत्रण मौजूद है और हम विदेशियों के साथ कोई विशेष प्रकार का व्यवहार भी नहीं करते। गत काल में उनके साथ जो भी विशेष व्यवहार रहा हो, पर अब इस समय उनके साथ कोई विशेष प्रकार का व्यवहार नहीं किया जाता। सरकार विशेष विधानों का निर्माण करके श्रमिकों के हितों की सुरक्षा करती है और चाय बोर्ड भी श्रमिकों और प्रबन्धकों के हितों और साथ ही इस देश के भले के लिये बागानों के हितों की विशेष तौर पर देख भाल करता है।

कहा गया है कि तमाम बागानों में अभी तक नये पौधों का पुनःरोपण नहीं किया गया है, हालांकि उनके पौधे साठ-साठ वर्ष पुराने हो चुके हैं। इस प्रश्न को भी हमें शुद्ध सैद्धान्तिक दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिये। देखा गया है ये साठ वर्षों पुराने पौधे भी, नये पौधों की अपेक्षा, कहीं अधिक चाय का उत्पादन करते हैं। इसलिये, इस मामले में किसी एक सिद्धान्त विशेष पर अटल हो जाना उपयोगी नहीं होगा। इन बागानों की देखभाल बड़े उचित ढंग से की जा रही है और समय-समय पर आवश्यकतानुसार उनमें नये पौधों का रोपण और अन्य सुधार भी किये जा रहे हैं। सरकार भी इस सम्बन्ध में बड़ी सतर्क है कि समय-समय पर इन बागानों में नया जीवन फूंका जाये जिससे कि उनकी उत्पादक शक्ति न घट जाये और उससे देश के हितों को हानि न पहुंचे। यह कोई गर्व की बात नहीं है, लेकिन हमें स्वीकार करना ही पड़ता है कि विदेशी स्वामित्व में रहने वाले बागानों में, भारतीय

[श्री मुरारजी देसाई]

स्वामित्व के बागानों की अपेक्षा श्रमिकों के हितों का अधिक ध्यान रखा जाता है। उनको तनखाहें भी अधिक मिलतीं हैं। आखिर, हम इस विषय में करना क्या चाहते हैं? हम इस विषय पर शुद्ध सैद्धान्तिक, यर्थाथ से दूर, एक दृष्टिकोण से विचार नहीं करना चाहिये। हमें केवल इस एक शुद्ध सैद्धान्तिक धारणा को कार्यरूप में परिणत करने का विचार नहीं करना चाहिये कि राष्ट्रीयकरण सभी देशों के लिये सभी परिस्थितियों में उपयोगी होता है। आशा है कि मेरे माननीय मित्र इन तथ्यों पर भी विचार करेंगे। और यदि, वे बुद्धिमानी को सिद्धान्त के आगे अधिक महत्व देते हैं, तो वे इस प्रस्ताव को वापस ले लेंगे।

†**उपाध्यक्ष महोदय**: इसका उत्तर देने के लिये माननीय सदस्य उपस्थित नहीं है। इसलिये, मैं इसे मतदान के लिये रखता हूं।

संकल्प मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

गन्ने के मूल्य निर्धारण के लिये संविहित निकाय संबन्धी संकल्प

†**श्री रामचन्द्र रेड्डी** (नेल्लोर): मैं प्रस्ताव करता हूं:

> "यह सभा सरकार से सिफारिश करती है कि गन्ना-उत्पादकों और चीनी मिलों के हितों की रक्षा करने तथा भारत में चीनी के उत्पादन को बढ़ाने की दृष्टि से गन्ने के मल्य को निश्चत करने के लिये एक संविहित निकाय बनाने के हेतु शीघ्र एक कानून बनाया जाना चाहिये।"

यदि सरकार इससे सहमत हो जाती है, तो गन्ना उत्पादकों के अधिकांश कष्ट दूर हो जायेंगे। इस संकल्प में, आस्ट्रेलिया की भांति, इस देश में भी एक गन्ना मूल्य बोर्ड गठित करने की सिफारिश की गई है।

१९५५ में आस्ट्रेलिया और इण्डोनेशिया जाने वाली, चीनी प्रतिनिधि-मण्डल समिति ने आस्ट्रेलिया के ऐसे केन्द्रीय और स्थानीय बोर्डों का ब्यौरा हमें दिया था। आस्ट्रेलियाई अधिनियम के अनुसार केन्द्रीय बोर्ड में पांच सदस्य रहते हैं, जो चीनी उद्योग के विभिन्न हितों—श्रमिकों, स्वामियों, चीनी रसायनविदों और लेखा-परीक्षकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। स्थानीय बोर्ड स्थानीय कष्टों के सम्बन्ध में विचार करते हैं।

अभी कुछ समय पहले गन्ना उत्पादकों ने गन्ने के मूल्य निश्चित कराने की मांग उठाई थी। इस समय, केन्द्रीय सरकार शायद मंत्रणा समिति की सलाह से या स्वयं ही इन मूल्यों को निश्चित कर देती है। १९५२–५३ में, या शायद १९५१–५२ में गन्ने का मूल्य १ रुपया १२ आने प्रति मन था, लेकिन बाद में उसे घटाकर १ रुपया ५ आने प्रति मन कर दिया गया है। इससे गन्ना उत्पादकों को बड़ी हानि पहुंची है। लेकिन, केन्द्रीय सरकार अब इस दर में परिवर्त्तन करने के लिये तैयार नहीं है। कहीं-कहीं राज्य सरकारें इस दर को अपनी सुविधा के अनुसार परिवर्तित भी कर देती हैं। गन्ना-उत्पादन के हित में यही है कि सारे देश में गन्ने के मूल्यों में एक रूपता रखी जाये।

उपर्युक्त प्रतिनिधि मण्डल ने भी मूल्य निश्चित करने के लिये बोर्ड की नियुक्ति की सिफारिश की है। उन्होंने इस प्रयोजन के लिये एक ऐसी मंत्रणा समिति की नियुक्ति की सिफारिश की है, जिसमें गन्ना-उत्पादकों और फैक्टरियों के स्वामियों के प्रतिनिधि समान संख्या में रहें, और जो प्रत्येक वर्ष में गन्ने के मूल्य निश्चित करें। यह पता नहीं इसे सरकार ने कहां तक स्वीकार किया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

उस प्रतिनिधि मंडल के एक सदस्य—सरदार लाल सिंह, गन्ना-उत्पादक संघ के सभापति, अपनी विमति टिप्पणी में ऐसे बोर्ड की स्थापना की अविलम्बनीयता को बताया है। आशा है कि सरकार इस सिफारिश के विरुद्ध निर्णय नहीं करेगी। इस प्रकार के बोर्ड के गठन से गन्ने और चीनी के उत्पादन के हितों की रक्षा की जा सकती है।

गन्ना उपकर निधि में काफी राशि संचित हो गई है और इस बोर्ड के लिये उसका उपयोग किया जा सकता है। आवश्यकता पड़ने पर गन्ने और चीनी पर थोड़ा सा उपकर और भी लगाया जा सकता है।

सरकार बड़ी सुगमता से ऐसा एक बोर्ड गठित कर सकती है। इन सौदों में हम उपभोक्ता को बिल्कुल ही भुला देते हैं। सरकार ने भी एक लाख टन फालतू चीनी संचित हो जाने पर, यह तो नहीं किया कि उपभोक्ताओं के लिये उसका मूल्य घटा दे, बल्कि उसने निर्यात द्वारा उससे मुनाफा कमाना ही उचित समझा है। खाद्य तथा कृषि मंत्री ने सभा में कहा था कि अन्य देशों को चीनी भेजकर सरकार ने प्रति टन दो पौंड अधिक का मुनाफा कमाया है। सरकार को उपभोक्ताओं का अधिक ध्यान रखना चाहिए और ये मुनाफा भी या तो गन्ना-उत्पादकों या फिर उपभोक्ताओं को ही मिलना चाहिये। अभी ऐसा नहीं हुआ है। इसीलिये, ऐसे एक निकाय की आवश्यकता है जो गन्ने का मूल्य निश्चित करके सरकार को उसे स्वीकार करने पर बाध्य कर सके। गन्ना उत्पादकों के हितों का पूरा-पूरा ध्यान रखा जाना चाहिये।

चूंकि सरकार की नीति है कि चीनी उद्योग को स्थायित्व प्रदान किया जाये, इसलिये उसे गन्ना-उत्पादन उद्योग को भी स्थायित्व प्रदान करना चाहिये। गन्ने के उत्पादन में लगातार वृद्धि होती जा रही है। एक वर्ष में इसकी खेती का इलाका लगभग ५,८७,००० एकड़ बढ़ गया है और इसका उत्पादन भी ५,०४,५५,००० टन से बढ़कर ५,८९,१४,००० टन हो गया है। इसलिये, इस उद्योग को स्थायित्व प्रदान करना आत्यावश्यक है। देश में चीनी मिलों के लिये पर्याप्त गन्ना होना चाहिये।

गत चार पांच वर्षों मे सरकार की नीति बड़ी अनिश्चिततापूर्ण रही है—कभी निर्यात और कभी आयात की। इसका फल यह होगा कि गन्ना-उत्पादक भी अनिश्चितता पूर्ण कार्य करते रहेंगे—कभी गन्ने का उत्पादन और कभी अन्य वस्तुओं का उत्पादन। इससे चीनी मिलें बन्द होने लगेंगी। इसी-लिये, नीति में स्थायित्व लाने के लिये, मूल्य निर्धारण बोर्ड की स्थापना करना आवश्यक है।

गत सत्र में कांग्रेस दल के भी कुछ सदस्यों ने इस संकल्प का समर्थन करना चाहा था। उन्होंने इसका आश्वासन भी दिया था। यह बड़ा उपयोगी संकल्प है। इस बोर्ड के गठन में पड़ने वाली कठिनाइयों का सामना किया जा सकता है। वही संविहित समिति गन्ना-उत्पादन की सभी समस्याओं पर विचार करती रहेगी। सरकार पर केवल उस के निर्णयों की कार्यन्विति का ही दायित्व रह जायेगा। आशा है कि सरकार इसे स्वीकार कर लेगी।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**सरदार लाल सिंह** (फीरोजपुर-लुधियाना) : हम समझते थे कि इस संकल्प के लिये समय नहीं बचेगा, इसी से इसका समर्थन करने वाले तमाम माननीय सदस्य यहां उपस्थित नहीं हुए हैं, और व्यक्तिगत रूप से मैं भी इसके सम्बन्ध में अपनी लिखित टिप्पणियां साथ नहीं लाया हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

[सरदार लाल सिंह]

गन्ने के उत्पादन में दो क ोड़ मज़दूर काम करते हैं। चीनी मिलों में लगभग डेढ़ लाख मज़दूर है; जिनमें लगभग ३०,००० स्नातक भी हैं। देश में लगभग २०० करोड़ रुपयों की मूल्य की चीनी तयार की जाती है लेकिन, हमारा यह दूसरा बड़ो उद्योग भी बड़ा अव्यवस्थित दशा में है।

कुछ समय पहले तो चीनी का अभाव था, और कुछ ही समय बाद उसका उत्पादन इतना अधिक हो गया था कि निर्यात होने लगा। फिर, उसके कुछ ही वर्ष बाद हमें ७० करोड़ रुपयों के मूल्य की चीनी का आयात करना पड़ा था। इस प्रकार, इस उद्योग की दशा बड़ी अनिश्चिततापूर्ण है। गन्ना-उत्पादकों और चीनी मिलों के स्वामियों के बीच सम्बन्ध बहुत बिगड़ गये हैं।

गन्ना-उत्पादक समझते हैं कि उनके साथ न्याय नहीं होता। चीनी के अति उत्पादन का दण्ड भोगना पड़ा गन्ना उत्पादकों को—गन्ने का मूल्य १ रुपया १२ आने से घट कर १ रुपया ५ आने प्रतिमन ही रह गया। अर्थात् ३० प्रतिशत घट गया। सरकार ने किसी भी संस्था की आवाज की चिन्ता नहीं की और गन्ने की कीमत कम कर दी। इसका परिणाम यह हुआ कि पिछले ो वर्षों में गन्ने का उत्पादन कम हो गया। सरकार ने तो कीमत इस लिये कम की कि सर्वसाधारण को चीनी सस्ते दामों पर उपलब्ध होगी। इससे उत्पादकों को भी लाभ नहीं हुआ। चीनी उसी भाव पर बिकती रही बल्कि उसके दाम कुछ बढ़ ही गये। ७० करोड़ रुपये की चीनी विदेशों को जाती है, उसमें भी हानि हुई और विदेशी मुद्रा विनिमय पर इसका प्रभाव पड़ा। गन्ने की कमी के कारण कई चीनी मिलों का काम भी बन्द रहा।

एक और उदाहरण गन्ना उत्पादकों द्वारा चीनी के दाम में कुछ हिस्सा लिये जाने के बारे में है जिसं को हाल ही में सरकार ने निर्धारित किया है। १९४६ से १९५२ तक गन्ने के दाम १ रुपया १० आने मन से १ रुपया १२ आने प्रति मन तक रहे। इस प्रकार गन्ना उत्पादकों का अंश ६५ से ७४ प्रतिशत तक फैलता है। परन्तु बिना किसी कारण और आधार के गन्ना उत्पादकों का अंश केवल ५३ से ६० प्रतिशत तक निर्धारित कर दिया गया। जब हम ने संसद् में उसका विरोध किया तो मामले की जांच करने के लिये एक विशेषज्ञ समिति की स्थापना की गयी, जिसकी राय का अभी तक कुछ पता नहीं चला।

१९५२–५३में जब सरकार ने देखा कि गन्ना उत्पादकों की हानि से मिलों ने बहुत अधिक लाभ उठाया है तो उन्हें यह घोषणा करनी पड़ी कि गन्ना उत्पादकों को लाभ में अंश मिलेगा। इसके लिये एक समिति भी बनी। परन्तु किसी भी मिल ने लाभांश नहीं दिया और यदि किसी ने दिया भी तो बहुत मामूली। मजा यह है कि मिल वाले गन्ने का मूल्य कम करने पर बराबर जोर देते रहे, और आप स्वयं भा ी नफा कमाते रहे। अखिल भारतीय गन्ना उत्पादकों ने कल ही अपने वार्षिक अंक के रूप में एक पुस्तिका प्रकाशित की है जिसमें चीनी उद्योग की वर्त्तमान अवस्था और चीनी मिलों द्वारा गत कुछ वर्षों में पैदा किये लाभ पर रोशनी डाली है। इस संबंध में यह उल्लेख अति मनोरञ्जक है कि हैदराबाद चीनी मिल ने १९५१-५२ में ३६ लाख रुपये और १९५२-५३ में ४८ लाख रुपये से ऊपर नफा पैदा किया। और यह नफा प्रबन्ध अभिकरण को ८ लाख देने के पश्चात् था। दो वर्षों में मिल का नफा एक करोड़ के लगभग हो गया। साथ ही इस मिल के अपने गन्ने के खेत हैं, वहां दो लाख का घाटा दिखाया गया है, हालांकि यहां मूल्य सरकारी निर्धारित दर से ो आना मन अधिक था। इसके साथ ही पुस्तिका में यह भी दिखाया गया है कि कई मिलें २५ से ३३ प्रतिशत लाभांश नियमित रूप से देती रही हैं। इस पर भी वे बराबार शोर करते रहे कि गन्ने की दर कम हो, और गरीब उत्पादकों की किसी ने न सुनी।

जब भी कभी गन्ने का अतिरिक्त उत्पादन हुआ मिलों ने यह मांग की और सरकार ने उसे स्वीकार कर लिया कि जितनी चीनी बने उसी हिसाब से गन्ने की कीमत निर्धारित होनी चाहिए। इससे गन्ना उत्पादकों को भारी हानि होती रही है। आप आश्चर्य करेंगे कि जगाधरी के चीनी करखाने में कुल दिये हुये गन्ने के ४० प्रतिशत का ही मूल्य प्राप्त हुआ। क्योंकि प्रथम मई तक इतने गन्ने की ही चीनी बन सकी। गन्ना उत्पादकों के साथ यह अत्याचार तो हुआ ही, साथ में राज्य सरकार ने अपना गन्ना कर और केन्द्रीय सरकार ने अपना उत्पादन शुल्क भी लगाया। और इस बात की भी चिन्ता न की किस समय वह गन्ना पेला गया। इस सब से यदि किसी को हानि हुई तो वह गन्ना उत्पादकों को ही हुई है।

इसके अलावा यह भी बात है कि गन्नकी कीमत तो यह देखने के बाद दी जाती है कि उससे कितनी चीनी बन सकी, परन्तु बेचारे उत्पादक को इस सम्बन्ध में हिसाब किताब पूछने का भी अधिकार नहीं। यहां तक कि उन्हें यह भी न देखने दिया गया कि उनका गन्ना ठीक ढंग से तोला भी जाता है कि नहीं।

हमारी बहुत सी शिकायतें हैं। गन्ना उत्पादक जानते हैं कि उनसे ठीक व्यवहार नहीं हो रहा। इस कारण दो मास हुये उत्तर प्रदेश में अखिल भारतीय गन्ना उत्पादकों का वार्षिक सम्मेलन हुआ और यह मांग की गयी कि मूल्य निर्धारित करने के लिए एक मूल्य निर्धारण बोर्ड बनाया जाये, जो कि आस्ट्रेलिया में बने बोर्ड के ढंग का हो। वहां गत ४० वर्षों म मिल मालिकों और उत्पादकों में कोई गम्भीर कठिनाई प्रस्तुत नहीं हुई। दोनों पक्षों में पूर्ण सहयोग की भावना है। इसका कारण यह भो है कि गन्ना उत्पादकों को उस बोर्ड म समुचित प्रतिनिधित्व प्राप्त है। इस बोर्ड में मिलों और उत्पादकों का एक एक प्रतिनिधि होता है और उसका प्रधान सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश है। न्यायाधीश न हो तो जो भी प्रधान बनाया जाता है, उसे संसद् की स्वीकृति के बिना १५ वर्ष तक हटाया नहीं जा सकता। इसका उद्देश्य यह है कि बोर्ड बिना किसी प्रभाव के अपना कार्य कर सके। उन देशों ने मामले को समझा है। हमें यह समझना चाहिये कि मूल्य निर्धारित करने का क्या प्रभाव पड़ता है। भाव में एक आना मन की कमी से मिल मालिकों को ३½ करोड़ का नफा और मिल जाता है। १९५२ में कटौती ९ आने मन की थी जिससे करोड़ों रुपया मिल मालिकों की जेबों में चला गया।

इसी प्रकार, कितने गन्ने से कितनी चीनी उपलब्ध होती है, इस आधार पर मूल्य निर्धारित किया जाता है। हाल ही में यह ९·६ प्रतिशत पर निर्धारित किया गया है। परन्तु जो लोग जानते हैं, उन्हें पता है कि भारत में ऐसे कारखाने हैं जो ११ और ११½ प्रतिशत तक निकाल रहे हैं। अन्दाजा लगाया गया है कि यदि भूल से एक प्रतिशत का अन्तर हो तो एक लाख का अतिरिक्त लाभ होता है। यदि सचमुच एक प्रतिशत प्राप्त हो जाय तो लाभ १० लाख तक फैल जाता है। छोटी सी भूल से करोड़ों का अन्तर हो जाता है। इस लिये आप अनुभव करेंगे कि इस प्रकार की जिम्मेदारी एक ही व्यक्ति को नहीं दी जा सकती, चाहे वह सचिव हो अथवा कोई और। इस संबंध में न्याय तो तब ही समझा जायेगा जब कि दोनों सम्बद्ध पक्ष यह समझें कि उनसे न्याय हुआ है। और अन्ना उत्पादकों की मांगें यही हैं कि उनसे न्याय किया जाये। और यह तभी होगा जब अन्य देशों के ढग का एक संविहित मूल्य निर्धारण बोर्ड स्थापित किया जाये।

सरकार को तो इस पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, एक पक्ष अन्य पक्ष पर कुछ आरोप अथवा प्रत्यारोप न लगाये, और कोई पक्षपात न हो तो मामला हल हो सकता है। मिल वालों को भी इस प्रस्ताव का विरोध नहीं करना चाहिए क्योंकि बोर्ड में उनका भी प्रतिनिधि होगा। यह तीन व्यक्तियों का बोर्ड विशेषज्ञों की राय लेकर सारे मामले को हल करने वाले निर्णय करेगा। जनता और गन्ना उत्पादक को विश्वास हो जायेगा कि उनके साथ न्याय हो रहा है।

[सरदार लालसिंह]

आस्ट्रेलिया का इस प्रकार का बोर्ड गत ४० वर्षों से चल रहा है। मुझे उसकी बैठकों को देखने का अवसर भी मिला है। सभी प्रकार की शिकायतें इस बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत होती हैं और उनका शांतिपूर्ण हल निकाल लिया जाता है। आस्ट्रेलिया का चीनी उद्योग इस समय सारे संसार के देशों से उत्तम है, और वहां गन्ने से सब से अधिक चीनी निकलती है। इसका कारण यही है कि मिल मालिकों और गन्ना उत्पादकों में सहयोग की पूरी भावना है। यहां भी बोर्ड की स्थापना से ये मामले हल हो जायेंगे। सरकार को यह प्रस्ताव तुरन्त स्वीकार कर लेना चाहिए।

मैं प्रस्ताव का समथन करता हूं।

†**पंडित कृ० च० शर्मा** (जिला मेरठ—दक्षिण) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी पूरे जोर से इस प्रस्ताव का सर्मथन करता हूं। हालात को ऐसे ही नहीं चलने दिया जाना चाहिए। जनसाधारण के जीवनस्तर को ऊंचा करने के आवश्यकता है। किसानों के पास गन्ना ही ऐसी वस्तु है जिससे पैसा प्राप्त होता है, और इस समस्या को हल करने से किसानों का जीवन स्तर ऊंचा होगा। जैसा मेरे मित्र ने कहा, आस्ट्रेलिया की तरह का बोर्ड बनाने में हमें कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। सरकार को इस प्रस्थापना को स्वीकार कर लेना चाहिए।

†**डा० राना राव** (काकिनाडा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हुआ तीन बातें कहना चाहता हूं। प्रथम यह कि यदि सरकार बोर्ड की स्थापना नहीं करना चाहती तो उसे किसानों के हितों की रक्षा के लिये कोई पग उठाने चाहिए। ऐसी बातें भी जाहिर हुई हैं कि मिल मालिक तोल में भी किसानों को धोखा देते हैं। दूसरे विचारे गरीब किसान को यह भी पता नहीं लगता कि उसके गन्ने से चीनी ९ प्रतिशत निकलती है अथवा ९·५ प्रतिशत। ऐसी बातों को देखते हुए सरकार को किसाने की रक्षा करनी ही चाहिए।

तीसरा यह कि गन्ना खरीदने में मिल मालिक भेद भाव का व्यवहार करते हैं। इससे किसानों में होड़ हो जाती है। इसके लिये सरकार को कोई नियम बनाना चाहिए। यदि बोर्ड का प्रस्ताव स्वीकृत हो तो उसम सब मामले आ जाते हैं। बोर्ड की स्थापना के पूर्व भी सरकार को किसानों के हितो के लिये कुछ करना चाहिए।

[**श्री बमन** पीठासीन हुए]

इन शब्दों से मैं प्रस्ताव का स्मर्थन करता हूं।

†**खाद्य उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : श्री रामचन्द्र रेड्डी का प्रस्ताव इस रिपोर्ट के परिणामस्वरूप है जो कि भारत सरकार द्वारा आस्ट्रेलिया भेजे गये शिष्ट मंडल ने प्रस्तुत की है। इस शिष्ट मंडल को वहां चीनी उद्योग का अध्ययन करने के लिए भेजा गया था। यह बहुत अच्छी सन्तुलित रिपोर्ट है और इसमें कई लाभदायक सुझाव हैं, जिन्हें भारत सरकार चीनी उद्योग के संबंध म लागू करना चाहती है। जहां तक इस बोर्ड की स्थापना का संबंध है, काफी अध्ययन के पश्चात् ये सिफारिशें उन राज्यों सरकारों के पास भेजी गयी थीं जहां कि गन्ने का उत्पादन होता है। परन्तु इन राज्यों का मत है कि वर्त्तमान व्यवस्था सन्तोषजनक है और इसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए।

इसके अलावा गन्ने के उत्पादन की लागत को निर्धारित करना बड़ा कठिन मामला है। इसका संबंध देश की अन्य फसलों से है। मूल्य का निर्णय करते समय हमें कई बातों का ध्यान रखना होता

---

†मूल अंग्रेजी में

है। देश का कृषि उत्पादन, अन्य फसलें, उपभोक्ताओं के हित और अन्त में सब से महत्वपूर्ण है चीनी उद्योग--इन सब का ध्यान रखना होता है।

रिपोर्ट पर अच्छी तरह विचार करने पर राज्यों सरकारों की सिफारिश है कि वर्त्तमान ढंग ही ठीक है। वर्त्तमान अवस्था में हम तदर्थ आधार पर मूल्य निर्धारित कर देते ह, परन्तु राज्य सरकारों तथा विशेषज्ञ निकायों की सिफारिशों की ओर भी ध्यान देना पड़ता है। केन्द्रीय गन्ना समिति और उत्पादकों के हितों का भी ध्यान रखना पड़ता है।

†सरदार लाल सिंह : कौन से राज्य हैं जिन्होंने ऐसी सिफारिशें की हैं।

†श्री मो० वें० कृष्णप्पा : गन्ना उत्पादक प्रमुख राज्य उत्तर प्रदेश और बम्बई हैं। उनका विचार है कि वर्त्तमान ढंग ही चालू रहना चाहिए। ५० प्रतिशत चीनी उत्तर प्रदेश में पैदा होती है और १० प्रतिशत बम्बई में, और बाकी दक्षिण भारत में। उनका यही मत है कि वर्त्तमान प्रणाली ठीक ढंग से कार्य कर रही है।

†सरदार लाल सिंह : यह गलत है कि उत्तर प्रदेश के १६ लाख और बिहार के ३½ लाख उत्पादकों ने और अखिल भारतीय गन्ना उत्पादक संघ ने इस बात का समर्थन किया है।

†श्री मो० वें० कृष्णप्पा : मैं तो सरकार का दृष्टिकोण बता रहा हूं। कुछ भी हो वे गन्ना पैदा करने वाले राज्यों की सरकारें हैं और उनका मत है कि वर्त्तमान व्यवस्था चालू रहनी चाहिए। उनके विचार में कोई दूसरा हल खतरनाक होगा। यह राज्य सरकारों की राय है। मैं यह मानता हूं कि विभिन्न निकायों की विभिन्न सिफारिशें होती हैं, और उन सब पर विचार किया जाना चाहिए।

†सरदार लाल सिंह : मैं अन्य राज्यों की बात नहीं करता। मैं उत्तर प्रदेश और बिहार के गन्ना उत्पादकों की बात कहता हूं।

†श्री मो० वें० कृष्णप्पा : मैं उत्तर प्रदेश तथा बम्बई की सरकारों की सम्मति ही बता रहा हूं। वह यही चाहती हैं कि वर्त्तमान व्यवस्था चालू रहे। उनका यही ख्याल है। इसलिए हमारा विचार है कि किसी नये निकाय की कोई आवश्यकता नहीं। मेरी श्री रामचन्द्र रेड्डी से प्रार्थना है कि वह अपना प्रस्ताव वापिस ले लें।

†श्री रामचन्द्र रेड्डी : मुझे इस से निराशा हुई है कि सरकार को बोर्ड का प्रस्ताव स्वीकार नहीं। मुझे दुःख है कि इस समय यहां उत्तर प्रदेश या बिहार का कोई प्रतिनिधि नहीं है जो अपना मत दे सके। उत्तर प्रदेश के पंडित कृष्ण चन्द्र शर्मा ने अपना मत दे ही दिया है। गन्ना उत्पादकों के प्रति सरकार का रवैया सन्तोषजनक नहीं। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि प्रस्ताव पर मतदान लिया जाय।

†सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

> "यह सभा सरकार से सिफारिश करती है कि गन्ना उत्पादकों और चीनी मिलों के हितों की रक्षा करने तथा भारत में चीनीं के उत्पादन को बढ़ाने की दृष्टि से गन्ने के मूल्य को निश्चित करने के लिये एक संविहित निकाय बनाने के हेतु शीघ्र एक कानून बनाया जाना चाहिए।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

इस के पश्चात् लोक-सभा शनिवार, २३ मार्च १९५७ के ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में

सभा पटल पर रखे गये पत्र १३५

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गये:—

(१) ऐसे मामलों के, जिन में लन्दन स्थित भारत स्टोर विभाग द्वारा ३१ दिसम्बर, १९५६ को समाप्त होने वाले वर्ष में निम्नतम टैण्डर स्वीकार नहीं किये गये, विवरण की एक प्रति।

(२) अल्यूमीनियम समिति के प्रतिवदन की एक प्रति।

राज्य-सभा से सन्देश १३५

सचिव ने राज्य सभा से प्राप्त एक संदेश की सूचना दी कि राज्य-सभा ने २१ माच, १९५७ की अपनी बैठक में भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक १९५७ को पारित कर दिया है।

राज्य-सभा द्वारा पारित किया गया विधेयक—सभा पटल पर रखा गया . . . १३६

सचिव ने भ्रष्टाचरार निवारण (संशोधन) बिधेयक, १९५७, राज्य-सभा द्वारा पास किये गये रूप में सभा पटल पर रखा।

प्राक्कलन समिति का प्रतिवेदन . . . १३६

समिति के उनचासवें और पचासवें प्रतिवेदन प्रस्तुत किय गये।

सदस्यों द्वारा पद-त्याग . . . १३६

अध्यक्ष ने बताया कि इन सदस्यों ने, उनके नाम के आगे बताई गई तारीखों से लोक-सभा क अपने पदों से त्याग-पत्र दे दिया है:—

(१) डा० एडवर्ड पाल मथुरम — २१ मार्च, १९५७ (मध्याह्न पूर्व)

(२) श्री देवेश्वर सर्मा — २१ मार्च, १९५७ (मध्याह्नत्तर

सरकारी विधेयक पुरःस्थापित किये गये १३६–३७

(१) विनियोग (रेलवे) विधेयक, १९५७

(२) विनियोग विधेयक, १९५७

(३) विनियोग (संख्या २) विधेयक, १९५७

(४) केरल विनियोग विधेयक, १९५७

आय-व्ययक—सामान्य १९५७–५८ . . . १३८–६६

आय-व्ययक (सामान्य) १९५७–५८ पर सामान्य चर्चा जारी रही।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक और संकल्प स्वीकृत हुए १६६–६७

समिति के अड़सठवें प्रतिवेदन के संबंध में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प—अस्वीकृत हुए

(१) चाय उद्योग के राष्ट्रीयकरण के संबंध में संकल्प पर आगे चर्चा समाप्त हुई और संकल्प अस्वीकृत हुआ १६७–७२

(२) श्री राम चन्द्र रेड्डी ने गन्ने के मूल्य को निश्चित करने के लिये एक संविहित निकाय बनाने के हेतु संकल्प प्रस्तुत किया। चर्चा के बाद प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ १७२–७७

शनिवार, २३ मार्च, १९५७ के लिये कार्यावलि

विनियोग (रेलवे) विधेयक, १९५७, विनियोग विधेयक, १९५७, विनियोग (संख्या २) विधेयक, १९५७ और केरल विनियोग विधेयक, १९५७ पर विचार तथा सामान्य आयव्ययक पर सामान्य चर्चा।